मासिक शिविरा पत्रिका

वर्ष : 61 | अंक : 06 | दिसम्बर, 2020 | पृष्ठ : 52 | मूल्य : ₹20

सत्यमेव जयते

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा
राज्य मंत्री
शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) विभाग
(स्वतंत्र प्रभार)
पर्यटन एवं देवस्थान विभाग
राजस्थान सरकार

अरुण यह मधुमय देश हमारा

सन् 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी के द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद् की 39वीं बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सम्बन्ध में दिए गए भाषण को पढ़ने का सौभाग्य पिछले दिनों मुझे प्राप्त हुआ। 21वीं सदी के स्वप्नदृष्टा एवं देश में सूचना व संचार क्रान्ति के सूत्रधार युवा प्रधानमंत्री ने तब कहा था-

''शिक्षा का उद्देश्य पढ़ने-लिखने तक की सीमित नहीं हो सकता। इसका उद्देश्य चरित्र-निर्माण, बच्चे के व्यक्तित्व का विकास, खेलकूद, कला में हमारी सांस्कृतिक विरासत को उजागर करना जैसे पारम्परिक रूप से उपेक्षित, किन्तु व्यक्ति के विकास के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण प्रतिभावान बच्चों और उन क्षेत्रों की ओर ध्यान देना है। हमें सर्वश्रेष्ठ बच्चों, सबसे अधिक प्रतिभावान बच्चों और उन क्षेत्रों का पता लगाना है, जिनमें उनका सबसे अच्छा विकास हो सकता है। हमें उन्हें उनके विशेष गुणों का विकास करने का अवसर प्रदान करना है।''

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर वर्तमान दौर में चल रही चर्चाओं के मध्य भारत-रत्न माननीय राजीव गाँधी द्वारा शिक्षा पर व्यक्त विचार पढ़कर मुझे बहुत सुकून मिला। एक राष्ट्र नायक का अपने राष्ट्र के प्रति विजन उनके भाषणों में झलकता है। बच्चे का समग्र विकास (3H), चरित्र निर्माण, हमारी कला एवं संस्कृति का संरक्षण, प्रतिभाशाली बच्चों के समुचित विकास के लिए अवसर प्रदान करना आखिर.... यही तो हम चाहते हैं शिक्षा के द्वारा! गुरुजन याद करें, प्रधानमंत्री के उपरोक्त संकल्प के दृष्टि मध्य ही देश में जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) खोले गए थे। इन विद्यालयों ने ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे लाने में बहुत शानदार काम किया है।

मुझे प्रसन्नता है कि राजस्थान में महात्मा गाँधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की स्थापना के पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मेरा यही सोचना था। हम चाहते हैं कि हमारे प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ने से कोई न रोक सके। हम इस सत्य को अच्छे से जानते हैं कि जब बच्चे आगे बढ़ेंगे तभी प्रांत आगे बढ़ेगा। देश-प्रदेश की प्रगति बच्चों की प्रगति में निहित है। इसलिए उनकी शिक्षा के लिए हर सम्भव प्रयास करना चाहिए।

नया वर्ष 2021 दहलीज पर आया खड़ा है। हम उसके स्वागत के लिए आतुर हैं। हमारे महान देश भारत के लिए नया वर्ष खुशियों का पैगाम लेकर आए। मुझे मेरा छात्र जीवन याद आता है। हमारे हिन्दी के गुरुजी बाबू जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत की बहुत सुन्दर, भावपूर्ण व्याख्या करते थे-

अरुण यह मधुमय देश हमारा,
जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा,
अरुण यह मधुमय देश हमारा।

हमें हमारे महान देश भारत को महानतम बनाना है। दुनिया में शिरोमणि, नम्बर वन! ऐसा ही स्वप्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गाँधी ने लिया था। उनकी राष्ट्रभक्ति बेमिसाल थी। उन्होंने कहा था, **''भारत एक युवा राष्ट्र है। मेरा सपना है-21वीं सदी का भारत मजबूत, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बने। दुनिया में प्रथम रेंक पर हो।''** आइए, हम सब मिलकर प्रतिबद्धता एवं समर्पण भाव से परिश्रम करके राजीव जी के स्वप्न को साकार करें।

हार्दिक शुभकामनाएँ....

(गोविन्द सिंह डोटासरा)

"मुझे प्रसन्नता है कि राजस्थान में महात्मा गाँधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की स्थापना के पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मेरा यही सोचना था। हम चाहते हैं कि हमारे प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ने से कोई न रोक सके। हम इस सत्य को अच्छे से जानते हैं कि जब बच्चे आगे बढ़ेंगे तभी प्रांत आगे बढ़ेगा। देश-प्रदेश की प्रगति बच्चों की प्रगति में निहित है। इसलिए उनकी शिक्षा के लिए हर सम्भव प्रयास करना चाहिए।"

मासिक

शिविरा पत्रिका

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते -श्रीमद्भगवद्गीता 4/38

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।

In this world there is no purifier as great as knowledge.

वर्ष : 61 | अंक : 6 | मार्गशीर्ष-पौष, २०७७ | दिसम्बर, 2020

प्रधान सम्पादक
सौरभ स्वामी

❁

वरिष्ठ सम्पादक
अनिल कुमार अग्रवाल

❁

सम्पादक
मुकेश व्यास

❁

सह सम्पादक
सीताराम गोदारा

❁

प्रकाशन सहायक
नारायणदास जीनगर
रमेश व्यास

मूल्य : ₹ 20

वार्षिक चंदा दर व शर्तें

- शिक्षकों/लिपिकों के लिए ₹ 100
- राजकीय संस्थाओं/कार्यालयों/विद्यालयों के लिए ₹ 200
- गैर राजकीय संस्थाओं के लिए ₹ 300
- मनीऑर्डर/बैंक ड्रॉफ्ट/पोस्टलऑर्डर **निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर** के नाम देय हैं।
- चैक स्वीकार्य नहीं है।
- कृपया पूर्ण पता मय पिन कोड लिखें।
- नवीनीकरण हेतु चंदा राशि कृपया दो माह पूर्व भिजवाएँ।

पत्र व्यवहार हेतु पता

वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर-334 011

दूरभाष : 0151-2528875

E-mail : shivira.dse@rajasthan.gov.in

शिविरा पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्त विचारों से **शिक्षा विभाग राजस्थान** का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **-वरिष्ठ संपादक**

इस अंक में

दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की निरन्तरता 5

आलेख

- शिक्षक होने का गर्व था जिन्हें 6
  गोविन्द सिंह डोटासरा
- सृजनात्मकता का विकास 7
  डॉ. राकेश कुमार
- बच्चों में सृजनशीलता 9
  कृष्ण कुमार राजपुरोहित
- विद्यालय में खेलों का महत्त्व 10
  दिनेश चन्द्र शर्मा
- विचार करके ही बोलना चाहिए 11
  सीताराम गुप्ता
- मेहनत करते जाओ सफलता पाते जाओ 12
  डॉ. देवेन्द्र सिंह राणावत
- राजीव गाँधी कॅरियर पोर्टल 13
  विमलेश चन्द्र
- नवाचारी शिक्षा का महत्त्व 14
  भगवान सिंह मीना
- बदलती शिक्षा : संवरता राजस्थान 38
  हेमलता चांदोलिया
- मास्टर भंवरलाल मेघवाल : एक परिचय 39
  डॉ. रणवीर सिंह

स्तम्भ

- पाठकों की बात 4
- बाल शिविरा 44
- शाला प्रांगण 45-48
- चतुर्दिक समाचार 49
- हमारे भामाशाह 50

पुस्तक समीक्षा 40-43

- आँख्याँ है अणमोल
  लेखक : ओम प्रकाश तंवर
  समीक्षक : **डॉ. राजकुमार शर्मा**
- आस री किरण
  लेखक : रामजीलाल घोड़ेला 'भारती'
  समीक्षक : **कालूराम कुम्हार**
- पीयूष सतसई
  लेखक : ज्ञानप्रकाश 'पीयूष'
  समीक्षक : **डॉ. अशोक कुमार मंगलेश**
- **समाजदृष्टा साहित्यकार रत्नकुमार सांभरिया भाग-2**
  संपादक : डॉ. विवेक शंकर,
  डॉ. अनिता वर्मा
  समीक्षक : **रमेश खत्री**

मुख्य आवरण :
नारायणदास जीनगर, बीकानेर

विभागीय वेबसाइट : www.education.rajasthan.gov.in/secondary

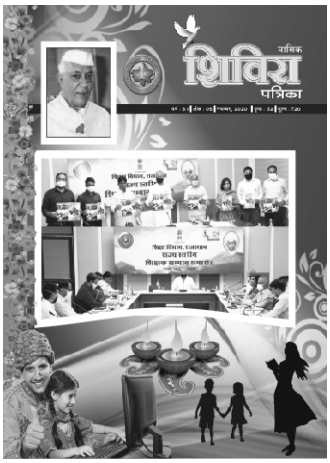

▼ चिन्तन

मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्,
मा स्वसारमुत स्वसा।
सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा
वाचं वदत भद्रया।।

(अथर्ववेद 3.30.3)

भावार्थ : भाई, भाई से द्वेष न करें, बहन, बहन से द्वेष न करें, समान गति से एक-दूसरे का आदर-सम्मान करते हुए परस्पर मिल-जुलकर कर्मों को करने वाले होकर अथवा एकमत से प्रत्येक कार्य करने वाले होकर भद्रभाव से परिपूर्ण होकर संभाषण करें।

उक्त तरह की भावना रखने से कभी गृहकलय नहीं होता और संयुक्त परिवार में रहकर व्यक्ति शांतिमय जीवन जी कर सर्वांगीण उन्नती करता रहता है।

पाठकों की बात

- मासिक शिविरा पत्रिका नवम्बर, 2020 आकर्षक फोटो कवर के साथ प्राप्त हुई, जिसका हर माह बेसब्री से इन्तजार रहता है। पत्रिका जहाँ उत्तरोत्तर परिवर्तन प्रतीत हो रहा है, जिसके लिए निश्चित रूप से सम्पादक मण्डल बधाई का पात्र है। पिछले वर्षों में शिक्षा विभाग राजस्थान में जो अकल्पनीय ढांचागत परिवर्तन एवं शैक्षिक नवाचार हुए हैं, उनको अवगत कराने का शिविरा पत्रिका श्रेष्ठ माध्यम है। कोविड-19 के दौरान जहाँ हमारी शिक्षण संस्थाओं में परम्परागत शिक्षण के स्थान पर ऑनलाइन शिक्षण कार्य चल रहा है तब निदेशक महोदय का दिशाकल्प e-कक्षा-भविष्योन्मुखी पहल एवं शिक्षा राज्य मंत्री महोदय का ऑनलाइन शिक्षा उपयोगिता एवं महत्त्व के आलेख प्रेरणादायी हैं जो विभाग के नवाचारों से अवगत कराते हैं। सफलता एक पथ, भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की महत्त्वपूर्ण जानकारी, लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण, समावेशी शिक्षा, सकारात्मक विचार आलेख अच्छे एवं ज्ञानवर्धक लगे। नेहरु जयन्ती विशेष पर पंडित जवाहर लाल नेहरु के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के आलेख प्रासंगिक एवं सटीक लगे। पिछले कुछ समय से बाल शिविरा को नवाचारों के रूप में जोड़ा गया है, अच्छा प्रयास है। इसी प्रकार यदि प्रतिमाह स्थायी स्तंभ के रूप में राज्य के किसी श्रेष्ठ आदर्श/उत्कृष्ट/अन्य विद्यालय की जानकारी मय फोटो के प्रकाशित की जाए तो सभी शिक्षण संस्थाओं के लिए अनुकरणीय रहेगा।

महेश कुमार मंगल, धौलपुर

- शिविरा पत्रिका नवम्बर, 2020 आकर्षक कलेवर के रूप में प्राप्त हुई। अपनों से अपनी बात व दिशाकल्प से ज्ञानवर्धक जैसे मंत्री जी ने महात्मा बुद्ध का संदेश, आचार्य तुलसी रचित अणुव्रत गीत व दिशाकल्प में निदेशक महोदय जी ने ICT लेब में उपलब्ध कम्प्यूटर की हार्ड डिस्क में अध्ययन सामग्री को सेव कर लें तथा इसका उपयोग ऑनलाइन तथा आवश्यकतानुसार ऑफलाइन शिक्षण में उपयोग करें इत्यादि। डिजिटल शिक्षण के बढ़ते महत्त्व को देखते हुए विद्यालय में आईसीटी लेब, स्मार्ट कक्षा-कक्ष, स्मार्ट बोर्ड आदि को अपडेट रखें। साथ ही अच्छे आलेख पढ़ने को मिले जैसे कमलनारायण शर्मा का आधुनिक भारत के निर्माता पं. जवाहर लाल नेहरु जी आलेख, श्री मेघाराम चौधरी का आलेख, श्री आत्माराम भाटी का आलेख साथ ही किशन गोपाल जी व्यास की कविता बहुत सुन्दर, रानू सिंह का आलेख गिजूभाई का बाल शिक्षा में योगदान आदि। मैं सम्पादक मण्डल को तहेदिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी प्रकार से सकारात्मक विचार वाले आलेख छापे और हमको पढ़ने को मिलते रहें।

रविप्रकाश शर्मा, बीकानेर

- माह नवम्बर 2020 शिविरा पत्रिका समय पर प्राप्त हुई। शिविरा पत्रिका को पढ़कर मन प्रफुल्लित हो गया। जिसमें मुझे शबनम भारतीय का आलेख राष्ट्रीय एकता में भाषाओं का योगदान एवं सुनिता पंचारिका का आलेख 'जीवन की सीख' क्रिकेट के शांति दूत से महेन्द्र सिंह धोनी की क्रिकेट के 'कैप्टन कूल' की छवि देखने को मिलती है, धोनी मेरे सबसे प्रिय खिलाड़ियों में से एक है। स्थाई स्तंभ में शाला प्रांगण एवं हमारे भामाशाह, चतुर्दिक समाचार मुझे अच्छे लगते हैं, इसके लिए मैं शिविरा के संपादक मण्डल का आभारी हूँ। मंत्री जी का लेख एवं निदेशक महोदय का 'दिशाकल्प' पढ़ने को मिलता है। शिविरा पत्रिका की गुणवत्ता में दिन-प्रतिदिन सुधार हो रहा है। यह शिविरा पत्रिका के लिए अच्छे संकेत हैं।

दीपक सारस्वत, बीकानेर

सत्यमेव जयते

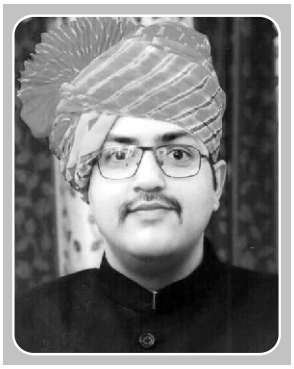

सौरभ स्वामी
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की निरन्तरता

कोरोना और सर्दी के साथ अब हम वर्ष 2020 के अंतिम दिसम्बर में हैं, पर हमारे साथ है गुणवत्तापूर्ण को समर्पित, दृढ़संकल्पित शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की ऊर्जावान टीम। कोविड-19 (वैश्विक महामारी) से जनजीवन पर पड़े प्रभाव के चलते हमारे विद्यालयों में भी कक्षा शिक्षण और सामूहिक गतिविधियाँ नहीं हो पा रही हैं। विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखने को विभाग ने चुनौती के रूप में लिया। अप्रैल, 2020 से ही विद्यार्थियों को घर पर ही डिजिटल माध्यम से अध्ययन सामग्री पहुँचाने हेतु **स्माइल कार्यक्रम** विद्यार्थियों द्वारा विद्यार्थियों/अभिभावकों के साथ वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रारंभ किया गया। अब विद्यार्थियों तक पाठ्यपुस्तकें पहुँच गयी हैं तथा कार्यपुस्तिकाएँ भी पहुँच रही हैं उक्त अध्ययन की प्रतिपुष्टि, निरंतरता एवं व्यापक पहुँच के लिए **स्माइल-2** प्रारंभ किया गया है, यह कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए गृहकार्य पर आधारित है। गृहकार्य, स्माइल की सामग्री के साथ ही सप्ताह में कक्षा 1 से 5 तक के लिए एक बार तथा कक्षा 6 से 8 तक के लिए सप्ताह में दो बार विद्यार्थियों तक पहुँचेगा। जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल संसाधन नहीं है, संस्थाप्रधान उन विद्यार्थियों तक गृहकार्य पहुँचाने एवं पुनः संकलित करने की व्यवस्था करेंगे। विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए विद्यालय आकर भी उक्त गृहकार्य सामग्री ले सकेंगे और जमा करवा सकेंगे। अब स्माइल के वाट्सएप ग्रुप विद्यालयवार न होकर कक्षावार हैं जिसे कक्षाध्यापक संचालित कर रहे हैं। कक्षाध्यापक, संस्थाप्रधान, पीईईओ., ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिशिअ. (मुख्यालय) माध्यमिक व प्रारंभिक, जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बेहतर समन्वय के साथ यह प्रयास करें कि जिले के विद्यालयों के समस्त विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तिका एवं गृहकार्य की गतिविधियाँ करें एवं इस कार्यक्रम से पूर्ण लाभान्वित हों। असेसमेंट के लिए वर्कबुक (कक्षा 6 से 8 तक) तैयार की जा रही है। e-कक्षा, कक्षा 6 से 12 तक कार्यक्रम के उत्साहजनक परिणामों के बाद e-कक्षा, कक्षा 1 से 5 तक के लिए भी कार्यक्रम लाया जाएगा।

शिक्षा विभाग की कार्ययोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मंत्रालयिक कर्मचारियों का योगदान महत्त्वपूर्ण होता है। विभाग 16 दिसम्बर को बीकानेर स्थित निदेशालय के स्थापना दिवस के रूप में मनाते हुए अपने श्रेष्ठ चयनित मंत्रालयिक एवं सहायक कर्मचारियों का सम्मान करता है। मुझे प्रसन्नता है कि गत वर्ष के राज्यस्तरीय सम्मान समारोह में माननीय शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा द्वारा सम्मानित कर्मचारियों को 11 हजार रुपये राशि देने की घोषणा को मूर्तरूप दे दिया गया है। सभी कर्मचारियों को अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएँ।

आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मंगलकामनाएँ!!

(सौरभ स्वामी)

“कक्षाध्यापक, संस्थाप्रधान, पीईईओ., ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिशिअ. (मुख्यालय) माध्यमिक व प्रारंभिक, जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बेहतर समन्वय के साथ यह प्रयास करें कि जिले के विद्यालयों के समस्त विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तिका एवं गृहकार्य की गतिविधियाँ करें एवं इस कार्यक्रम से पूर्ण लाभान्वित हों। असेसमेंट के लिए वर्कबुक (कक्षा 6 से 8 तक) तैयार की जा रही है। e-कक्षा, कक्षा 6 से 12 तक कार्यक्रम के उत्साहजनक परिणामों के बाद e-कक्षा, कक्षा 1 से 5 तक के लिए भी कार्यक्रम लाया जाएगा।”

स्मृति शेष

शिक्षक होने का गर्व था जिन्हें

❐ गोविन्द सिंह डोटासरा

मास्टर भंवर लाल जी मेघवाल नहीं रहे। गत माह 16 नवम्बर, 2020 को वे इस असार संसार को अलविदा कहकर अपनी अनन्त यात्रा पर प्रस्थान कर गए। राज्य सरकार में वे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे। पिछले चालीस वर्षों से सार्वजनिक सेवा में संलग्न मेघवाल जी राजस्थान के शिक्षा मंत्री भी रहे थे। राजनीति में आने से पूर्व वे शिक्षक थे। दरअसल शिक्षक से शिक्षामंत्री बने वे सदैव ही शिक्षा, शिक्षक व शिक्षार्थी हितैषी रहे। राजनीति में आने से पूर्व वे शिक्षक थे और विधायक एवं मंत्री बनने के बाद भी वे शिक्षक बने रहे। उन्होंने अपने नाम के साथ मास्टर जी शब्द लगा लिया था और मास्टर जी संबोधन से वे खुश होते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उन्हें मास्टर जी कहकर ही सम्बोधित करते थे।

राजस्थान विधानसभा में वे बहुत वरिष्ठ विधायक एवं राज्य मंत्रिमण्डल में वरिष्ठ कबीना मंत्री थे। उनके स्पष्ट एवं अनुभव आधारित सुझाव निर्णय लेने में बहुत अहम सिद्ध होते थे। उनके पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (समाज कल्याण) जैसा अत्यंत संवेदनशील महकमा था। विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पंक्ति के अन्तिम व्यक्ति तक पहुँचाने का उनका प्रयास रहता था। वे इसके लिए कृत संकल्पित थे। उनकी संवेदनशीलता अद्भुत व अनुकरणीय थी। बाहर से कई बार कठोर लगने वाले मास्टर भंवरलाल जी करुणा के साक्षात स्वरूप थे। वे अनुशासनप्रिय थे। उनकी वैचारिक हटता अनुकरणीय है। सोच समझकर ठोक बजाकर फैसले करते और क्रियान्विति के लिए दृढ़ रहते। उनके विराट व्यक्तित्व में चट्टान सरीखी मजबूती एवं मक्खन सरीखी कोमलता थी।

मास्टर भंवरलाल जी मेरे बड़े भाई एवं गुरु की तरह थे। सच तो यह है कि सार्वजनिक जीवन और राजनीति में प्रेरणा पुरुष थे। राजनीति का ककहरा मैंने उन्हीं से सिखा था। वे मेरे राजनीति गुरु थे। वर्तमान सरकार में मेरे शिक्षा मंत्री बनने पर उन्होंने बधाई एवं शुभकामनाएँ देते हुए कहा

था, ''बच्चों के साथ काम करते-करते शिक्षक उन जैसे ही बन जाते हैं' वे कुटिल एवं चालबाल नहीं होते। आप शिक्षक हित को प्राथमिकता देकर काम करें, बहुत अच्छा लगेगा।' बड़े भाई द्वारा दी गई यह सलाह मुझे उनकी याद दिला रही है। वे नहीं रहें, मगर विचार तो जिन्दा हैं। विचार कभी नहीं मरते, वे अमर होते हैं। वे राजनयिकों में शिक्षक और शिक्षकों में राजनयिक थे। 'He was a teacher among politocian and politician among teachers.'

उनकी बेहिसाब लोकप्रियता उनके विधानसभा क्षेत्र में जाकर देखी जा सकती है। सफल प्रशासक के साथ वे एक कुशल संगठनकर्ता थे। सबको अपने लगते थे। ऐसी अद्भुत आत्मीयता एवं आदर कम ही लोगों को मिलता है। मंत्री के रूप में राजधानी की सिविल लाईन के बंगल में रहने वाले मास्टर जी का मन दुर्गम एवं दूरस्थ गाँव के झोंपड़ों में बसता था। उनमें रहने वाले अभावग्रस्त ग्रामीण उनके इष्ट थे। वे इन्हीं की उपासना तथा इन्हीं की बेहतरी के लिए काम करते थे।

इस वर्ष फरवरी-मार्च में कोरोना महामारी का प्रकोप शुरू होने से लेकर मई में अस्वस्थ होने तक निरन्तर वे जन सेवा में संलग्न रहे। अभावग्रस्त पीड़ित मानवता के आँसू पोंछने के लिए उनकी सक्रियता ने उन्हें जननेता बना दिया था। वे जनता के थे, जन-जन के नेता। उन तक पहुँचना आसान था। वे सहज उपलब्ध थे। सीधी पहुँच, सपाट बात, दो टूक स्पष्ट निर्णय की उनकी विशेषता से मिलने वाला बहुत प्रभावित होता था।

आज मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल हमारे बीच नहीं रहे। शरीर नहीं रहा। शरीर नश्वर है। आत्मा अजर-अमर है। अभी प्रदेश को उनसे बहुत कुछ मिलना था। उनका योगदान एवं विचार उनकी याद दिलाते रहेंगे। एक छोटे से गाँव के सामान्य परिवार में जन्म लेकर प्रदेश की राजनीति एवं शीर्ष प्रशासन में केबिनेट मंत्री तक की ऊँचाई एवं उपलब्धियों की उनकी यात्रा बेमिसाल है। वे उत्साह एवं जीवट के धनी थे। उन्हें कभी निराश नहीं देखा। नकारात्मक विचार उनके पास फटक नहीं सकते थे। निराशा में डूबे व्यक्तियों के लिए आशा की टॉनिक थे।

ऐसे महापुरुष का असमय चले जाना प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है। हम उनके सिद्धांतों एवं आदर्शों को आत्मसात कर राज्य के विकास के लिए कार्य कर सकें, इसी कामना के साथ प्रदेश के लाखों शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों की ओर से दिवंगत पुण्यात्मा मास्टर भंवरलाल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं उन्हें नमन करता हूँ।

ॐ शान्ति! ॐ शान्ति!! ॐ शान्ति!!!

शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
राजस्थान सरकार, जयपुर

मास्टर भंवरलाल मेघवाल-एक परिचय

'एक बार शिक्षक हमेशा के लिए शिक्षक Once a teacher is always a teacher.' इस कथन पर जीवन भर चलकर मास्टर भंवरलाल मेघवाल 16 नवम्बर, 2020 के दिन ब्रह्मलीन हो गए। वे चाहे कितनी व कैसी ही ऊँची हैसियत में रहे हो, अपने भीतर में बैठे शिक्षक को कभी विस्मृत नहीं किया। उन्हें मास्टर शब्द बहुत अच्छा लगता था। समाज और समुदाय में तो मास्टर होते हैं। वे विधायिका एवं प्रदेश के शीर्ष प्रशासन में मास्टर थे। मास्टर भंवरलाल मेघवाल का जन्म चूरू जिले के सुजानगढ़ उपखण्ड की शोभासर पंचायत के गांव बाथसर पूर्वी में 2 जुलाई, 1948 के दिन हुआ था। पिता चुनाराम जी अत्यंत सरल एवं परिश्रमी व्यक्ति थे।

सृजनशीलता

सृजनात्मकता का विकास

❒ डॉ. राकेश कुमार

शिक्षक अभिभावक बैठक में छात्र की माँ शिकायती लहजे में अपने बेटे की परख में कम अंक आने पर और घर पर हमेशा वस्तुओं को तोड़फोड़ करते रहने से तंग आकर शिक्षिका को अपने बच्चे को और ज्यादा गृहकार्य तथा अनुशासित करने हेतु कठोर दण्ड की बात करती है। जिस पर शिक्षिका मुस्कुराते हुए छात्र की माँ को समझाती है कि प्रायः सभी बालकों में ऐसी आदतें होती हैं लेकिन कुछ बच्चों में वस्तुओं को जानने की उत्सुकता, उनमें जोड़-तोड़ करना, उनका अनपेक्षित उपयोग करना तथा नवीन तंत्रों का समन्वय करने का प्रदर्शन उनके अन्दर मौजूद सृजनशीलता के चलते पाया जाता है। यह सृजनशीलता बालक को गैर परम्परागत ढंग से नवीन मौलिक कार्यों को करने तथा उनको समाजोपयोगी बनाने के लिए उत्तरदायी कारक होता है। बालक की जीवन धारा एवं ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने तथा जीवन कौशल विकास के लिए सृजनशीलता का शिक्षकों एवं अभिभावकों के द्वारा सही रूप से नैसर्गिक धरातल पर विकास करना आवश्यक है।

सामान्य भाषा में सृजनशीलता का उपयोग दो प्रकार से किया जाता है, प्रथम-क्रिया रूप में तथा द्वितीय-विशेषण के रूप में। क्रिया के रूप में इसका उपयोग किसी कार्य अथवा वस्तु की नवीन रचना करने अथवा निर्माण से है। यह विचार के रूप में भी संभव है तो क्रिया निष्पादन के रूप में भी। संसार के प्रत्येक व्यक्ति में सृजनशीलता पायी जाती है, चाहे उसकी मात्रा न्यून हो या अत्यधिक। प्रत्येक व्यक्ति जन्म के साथ ही इस नैसर्गिक शक्ति का धनी होता है। सामान्यतः यह बुद्धि के साथ जुड़ी प्रतीत होती है परन्तु वास्तव में यह एक स्वतंत्र चर है और आवश्यक नहीं है कि अधिक बुद्धिमान व्यक्ति अधिक सृजनशील भी हो। सृजनात्मकता का अर्थ वैज्ञानिक अथवा कलात्मक सृजन से ही नहीं होता है, बल्कि समाज में कार्य करने वाले व्यक्ति के कार्य व्यवहार में भी सृजनात्मकता का बोध होता है। यह एक अमूर्त शक्ति होती है।

जिसका न तो कोई आकार है और न ही कोई रूप रंग है, केवल विशिष्ट व्यवहार के आधार पर अथवा नवीन रचनात्मक कार्यों के आधार पर सृजनात्मकता की कल्पना की जा सकती है अर्थात सृजनात्मकता केवल वैचारिक होती है जो व्यक्ति को परम्परागत तरीके से हटकर किसी नवीन ढंग से चिंतन द्वारा समाधान खोजने में समर्थ बनाती है। आशय यह है कि जीवन में सृजनात्मकता अंतिम लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आधारभूत तत्व है। जिसका विकास बालक में उसकी परिपक्वता के साथ-साथ किया जाना लाभप्रद है। बालक के इस पहलू के विकास में शिक्षा की जिम्मेदारी प्रारम्भ से ही अपनी भूमिका निभा रही है। एक शिक्षक बालक की इस शक्ति का परम पोषक होता है। पुनर्बलन के प्रयोग से बालक की अन्तर्निहित सर्जन शक्ति को समाजोपयोगी, विविधतापूर्ण तथा मौलिकता की ओर केन्द्रित करना शिक्षक का दायित्व है। यह जीवन निर्वहन से समायोजन की शक्ति का रूप है।

सरल भाषा में सृजनात्मकता व्यक्ति की वह संज्ञानात्मक/बौद्धिक योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का विद्वतापूर्ण समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने एवं विचार करने के योग्य बनाती है। इसकी निम्न विशेषताएँ हैः-

1. सृजनात्मकता एक उच्च मानसिक योग्यता है।
2. सृजनात्मकता में अपसारी चिन्तन निहित होता है।
3. सृजनात्मकता में मौलिकता पायी जाती है।
4. सृजनात्मकता में प्रभावशीलता पायी जाती है।
5. सृजनात्मकता में नवीनता निहित होती है।
6. सृजनात्मकता में लचीलापन एवं विविधता पायी जाती है।
7. सृजनात्मकता में कल्पना करने एवं कल्पना को मूर्त रूप में परिवर्तित करने की शक्ति निहित होती है।
8. सृजनात्मकता में सकारात्मकता का भाव निहित होता है।
9. सृजनात्मकता वैचारिक/शाब्दिक भी हो सकती है और कार्य निष्पादन के रूप में भी।
10. सृजनात्मकता में परिकल्पना निर्माण एवं उसकी सत्यता की जाँच करने की क्षमता होती है।
11. सृजनात्मकता में सामाजिक उपयोग एवं समाज कल्याण की भावना निहित होती है।

आज शिक्षा के बदलते स्वरूप में सृजनशीलता के विकास पर ध्यान दिया जाना अत्यावश्यक है। शिक्षा के माध्यम से सृजनात्मकता को विकसित करने वाले वातावरण का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। जिसके माध्यम से सृजनात्मकता का विकास बालक में पूर्ण रूप से हो सके। सृजनात्मकता को प्रदर्शित करने वाले कारक जैसे कि मौलिकता, विविधता, प्रवाह, अपसारी चिन्तन, संवदेनशीलता, सामाजिक उपयोगिता, आत्मविश्वास आदि की योग्यता का विकास कर सृजनात्मकता को फलीभूत करने वाले कुछ बिन्दु एवं क्रियाकलाप अपनाए जा सकते हैं। जिनसे बालक में सृजनात्मकता का पूर्ण विकास हो सके।

एक शिक्षक बालक की सृजनात्मकता के विकास के लिए उसकी मौलिकता जिसमें तथ्यों

से परे देखना, बालक की स्वतंत्र निर्णय क्षमता, हास्य-विनोद प्रियता, बालक की उत्सुकता, उसका निजी प्रभुसत्ता से जुड़ाव, उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य शैली, लक्ष्य प्राप्ति के लिए बैचेनी, गंभीर संवेदनशीलता आदि गुणों के आधार पर उसकी सहायता कर बालक की सृजन शक्ति को लौकिक धरातल प्रदान कर सकता है। शिक्षक वह शक्ति है जो विभिन्न गतिविधियों के आयोजन से इसका विकास कर सकते हैं तथा छात्र की सृजनशीलता के लिए सृजनकर्त्ता हो सकते हैं, साथ ही अभिभावकों की भी इसमें अहम भूमिका होती है। शिक्षकों एवं अभिभावकों के द्वारा बालक की इस शक्ति के लिए किए जाने वाले कुछ प्रयास निम्नानुसार है-

1. विद्यार्थी की प्रत्युत्तर स्वतंत्रता का विकास-शिक्षक और अभिभावक बालक से प्रायः एक निश्चित प्रतिक्रिया या परम्परागत उत्तर की अपेक्षा करते हैं। इस तरह से वे बच्चों की भीतर की सृजनात्मकता को विकसित न करके उसे दबा देते हैं। बालक को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा विचार प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। किसी समस्या को सुलझाने हेतु उन्हें तरीका ढूँढ़ने देने के अवसर प्रदान करने चाहिए तथा उसे उचित पुनर्बलन भी दिया जावे, जिससे बालकों की मौलिकता का विकास हो सकें।

2. प्रस्तुतीकरण हेतु प्रोत्साहन- कभी-कभी सृजनात्मकता होते हुए भी बालक संकोच तथा भय के कारण उसे व्यक्त नहीं कर पाता आगे बढ़कर कोई कार्य नहीं कर पाता, दूसरों के सामने खुलकर बात नहीं कर पाता, शिक्षक को उन कारणों का पता लगाना चाहिए तथा उन्हें दूर करना चाहिए तथा शनैः-शनैः बालक के प्रस्तुतीकरण के प्रति संकोच एवं भय को दूर करने में सहायक सिद्ध होना चाहिए।

3. अहम का विकास (ईगो डवलपमेन्ट)- यह मेरा सृजन है, इसे मैंने हल किया है, यह मेरी रचना है, इसमें मेरी कलाकारी है, ऐसे विचार बच्चों को खुशी तथा संतुष्टि प्रदान करते हैं। बालक सृजनात्मक कार्य करने का प्रयास तब करता है जब उसका अहं उससे घनिष्ठ रूप से संबंधित हो। इसलिए उसमें कार्य प्रतिभा का ज्ञान जाग्रत कर उसे स्वयं को सिद्ध करने के अवसरों को प्रदान करना शिक्षक एवं अभिभावकों का मूल उद्देश्य होना चाहिए।

4. मौलिकता तथा विविधता को बढ़ावा देना- छात्रों के मौलिक तथा वैविध्यपूर्ण कार्य को बढ़ावा देना चाहिए अगर छात्र अपनी सीखने की शैली को बदलना चाहते हैं तो हमें छात्रों को अवसर प्रदान करने चाहिए। इसके लिए बालक के चिन्तन को विकेन्द्रित कर अपसारण की आवश्यकता है क्योंकि बालक में जितना अधिक अपसारी चिन्तन होगा, बालक में इस शक्ति का विकास भी उतना ही अधिक होगा।

5. बालकों में स्वस्थ आदतों का विकास- सृजनात्मकता के लिए आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता जैसे गुण आवश्यक होते हैं। बालक को यह अहसास दिलाना आवश्यक है कि जो भी कार्य वह कर रहा है, वह अद्वितीय है। जो भी वह अभिव्यक्त करना चाहता है, वह करे।

6. सामुदायिक अभिप्रेरण प्रदान करना- बालकों को कला संस्थान, संग्रहालय, विज्ञान प्रदर्शनी, ऐतिहासिक स्थलों पर भ्रमण हेतु ले जाना चाहिए। साथ ही कलाकार, वैज्ञानिक आदि से मिलने के अवसर दिए जाने चाहिए अथवा ऐसे व्यक्तियों को स्कूल में आमंत्रित करना चाहिए जिससे छात्र उनकी कार्यशैली से परिचित हों जो बालकों की सृजनात्मकता को अभिप्रेरित कर सकें।

7. सकारात्मक वातावरण निर्माण- परम्परागत एवं रुढ़िवादी विचार, शिक्षण की अवैज्ञानिक विधियाँ, बेरुखीपूर्ण व्यवहार, डर, कुंठा, शैक्षिक उपलब्धि पर ज्यादा जोर देना, शिक्षक अभिभावकों की दबंग प्रवृत्ति, बालक की सृजनात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसलिए अभिभावक तथा शिक्षकों को इनसे बचना चाहिए। आशय है कि बालक का चित्त सकारात्मक बनें, ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाना आवश्यक है।

8. आदर्श प्रस्तुतीकरण- बालक उनके पालकों की व्यवहार की छाया है और बालक अपने व्यवहार में अधिकांशतः अपने से बड़ों का तथा शिक्षकों के व्यवहार का अनुकरण करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि बालकों के समक्ष आदर्श व्यवहार का प्रस्तुतीकरण किया जावे, जो सृजनशीलता से परिपूर्ण हो।

9. अपसारी चिन्तन को प्रोत्साहन- शिक्षक छात्रों के बेतुके एवं हास्यास्पद लगने वाले क्रियाकलापों की मूल भावना में निहित अर्थ को पहचानें तथा छात्रों द्वारा लीक से हटकर कार्यशैली को पोषित करें तथा विचार शक्ति में अपसारिता को प्रयोग करने हेतु उचित साधनों का समावेश करें तो निश्चित ही सृजनात्मकता के विकास को उचित दिशा मिलेगी।

10. खेलों का/खेल विधि का उपयोग- विद्यालय में खेल-खेल में शिक्षा तथा खेलों के माध्यम से नवीनता, मौलिकता तथा लचीलेपन की अवधारणा को उन्नत करने हेतु स्रोत छिपे हुए हैं। जिनका प्रयोग छात्रों की सृजनशीलता को पोषित करने हेतु सहज भाव से किया जा सकता है।

11. ब्रेनस्ट्रोर्मिंग (मस्तिष्क उद्वेलन)- नवीनता के लिए मौलिक विचार प्राथमिक तत्व है और मौलिक विचार के लिए मस्तिष्क में विचारों की उथल-पुथल की प्रक्रिया में शिक्षक ऐसे निदेशक के रूप में सक्रिय भूमिका निभा सकता है जो कि नवीनता की परिचायक है। वास्तव में ब्रेनस्ट्रोर्मिंग एक ऐसी जटिल तकनीक है जो आलोचना की जगह सराहना, समस्या की जगह समाधान तथा जटिलता की जगह सरलता को समृद्ध करती है। अतः मस्तिष्क उद्वेलन, सृजनात्मकता की आधारशिला है। इसका प्रयोग किया जाना लाजमी है।

सार रूप में जीवन के लिए औपचारिक शिक्षा में सृजनशीलता के विकास को प्रमुखता देकर न केवल बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्थान मिलेगा। बल्कि देश की मौलिक समृद्धता और सांस्कृतिक धरोहर की भी प्रगति होगी। इसलिए शिक्षा में शिक्षकों, अभिभावकों के साथ-साथ समाज की जिम्मेदारी भी है कि सृजनशक्ति को पोषित करें। जिससे राष्ट्र की शक्ति का सही उपयोग हो सके, विनाश से बचा जा सके, नकारात्मक विचारों को शून्य किया जा सके, हिंसा को मिटाया जा सके और विश्व शांति एवं जनकल्याण की प्राप्ति के साथ नवीन समाज एवं राष्ट्र का निर्माण किया जा सके।

कार्यक्रम अधिकारी
समग्र शिक्षा अभियान, भरतपुर
मो: 8058165060

नवाचार

बच्चों में सृजनशीलता

❒ कृष्ण कुमार राजपुरोहित

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के जीवन काल में वृक्षों के जन्म दिन, नवोद्भिदों को पृथ्वी जलवायु को सौंपने अर्थात् रोपण का दिन उत्सव की तरह मनाया जाता था और अब उनके महाप्रयाण दिवस 8 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है, शान्ति निकेतन के ये वृक्ष मानवीय जीवन की सार्थकता के गीत प्रसारित करने है, पर्यावरण संकट के समय इनकी प्रासंगिकता से भला कौन इनकार कर सकता हैं, भविष्य दृष्टि का अनुपम उदाहरण है।

विद्यार्थियों के बचपन में पेड-पौधों, फूलों, तितलियों, पक्षियों की चहचाहट का सानिध्य, सृजनशीलता बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हो सकता है, उन्हें इनके साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों का औचित्यपूर्ण उपयोग भी समझ में आएगा।

हममें से प्रत्येक, इस ओर अपेक्षित ध्यान प्राथमिकता से देना प्रारम्भ करे। विद्यालय में फूलों वाले पौधे, फलदार पौधे, सब्जियाँ लगाने से न केवल हमारी नित्य-प्रतिदिन की आवश्यकता की पूर्ति होगी, अपितु इससे हमारा सम्पूर्ण परिवेश संजीव व प्रफुल्लित हो जाएगा। जीवन के पालनागृह में, प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन, परम्परागत खेल, इनडोर-आऊटडोर खेल, पजल व शंतरंज जैसे खेलों की नियमितता के साथ विद्यालय में गुणवत्ता युक्त बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

बाल साहित्य से विद्यार्थियों को जोड़ना एक ऐसा कदम होगा जिससे पढ़ने का शौक विकसित होने से विद्यार्थी बाद के जीवन में भी साहित्य से जुड़े रहेंगे, कम्प्यूटर युग में किन्डल व इन्टरनेट पर मुंशी प्रेमचन्द, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरतचन्द्र, जयशंकर प्रसाद... ओ हेनरी, चेखब, मौपांसा का साहित्य ढूँढ़ेंगे व पढ़ने के बाद रूचि विकसित करने वाले शिक्षकों को सदैव याद करेंगे। मेरे अपने विचारों में अच्छा साहित्य पढ़ने से जीवन दृष्टि बदलती है इनमें मानवीय संवेदनाओं का धनीभूत चित्रण देखने को मिलता है। यह रूचि व्यक्तित्व विकास एवं अभिव्यक्ति कौशल क्षमता का भी संवर्धन कर पाएगी इसमें कोई संदेह नहीं है अन्ततोगत्वा इससे शिक्षा के वृहत्तर उद्देश्य को पाने में भी सहायता मिलेगी।

पुनः प्रकृति पर लोटते है रंग बिरंगे फूल सदियों से इंसान के जीवन में अपनी महक बिखेर रहे है। खुशी का मौका हो, घर सजाना हो, इबादत करनी हो या खुद को सजाना हो हर जगह फूल बड़ी खामोशी से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते आए हैं। जिंदगी शुरू करने से खत्म होने तक फूल साथ होते है, कई रंगों तथा कई रूपों में।

फूलों के पेड़ों के नीचे बैठकर कवियों और शायरों ने न जाने कितनी ही अनगिनत कालजयी रचनाओं को कलमबद्ध किया है, इनकी खुबसूरती केनवास पर उतारने के लिए चित्रकारों ने अपनी कूचियों को रंगो में डूबोकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है।

फूलों की खामोश जुबां होती है, लेकिन इनके बावजूद यह हमारे जज्बातों को बड़ी ही खूबसूरती से दूसरों तक पहुँचाने का सामर्थ्य रखते है यही वजह है कि सृष्टि में जो मौजूद सबसे खुबसुरत चीजों में से एक है।

''गार्डन ऑफ फ्रेग्रेन्स'' की लेखिका सूजी बहेल के मुताबिक ईश्वर की सांसें, फूलों की महक के रूप में धरती पर विचरती है जब एक फूल मुस्कुराता है तो तितलियां, भौंरे और मधुमक्खियां चाहकर भी उससे दूर नहीं रह पाती है ये खुशी व सामाजिक व्यवहार में मददगार है सौच बदलने, तनाव व अवसाद घटाने में सहायक है।

वाल्मिकी तथा कालीदास जैसे महान शाश्वत लेखकों ने वनों की स्तुति के बारे में खूब लिखा है हम कुछ यादगार प्रसंगों की और बढ़तें है, देवताओं और दानवों में अमृत प्राप्ति के लिए जब समुद्र मंथन हुआ उसी समय ईच्छापूर्ण करने वाले ''कल्पवृक्ष'' का उद्गम हुआ। बोध धर्म में पीपल के वृक्ष को ज्ञान का पर्याय माना जाता है। 'बोधिसत्व' का प्राप्ति स्थान है। अशोक, कदम्ब, चम्पा, परिजात, सरस, खेजड़ी का उल्लेख धार्मिक ग्रन्थों में विद्यमान है। कदम्ब वृक्ष जिसके फूल सुनहरी गैंद के समान दिखाई देते है। भगवान श्रीकृष्ण इसी वृक्ष के नीचे चित्रों में देखे जाते है।

हरियाली व खुशबु का प्रभाव हमें सुरक्षा का एहसास देता है एडिनबर्ग युनिवर्सिटी के शोध अनुसार यह माँसपेशियों के खिंचाव को कम करते हैं, तनाव रहित बनाता है। फूल सिर्फ खुशबु नहीं बिखेरते हैं इसमें विविध पोषक तत्व भी मौजुद होते है इनकी खुशबू प्राकृतिक औषधि की तरह है। आजकल फूलों का उपयोग 'एरिमोथैरेपी' के रूप में किया जा रहा है।

भारत में पुष्प दार्शनिक तथा आध्यात्मिक दिव्यता लिए हुए है इंदीवर अर्थात नील कमल माँ दुर्गा का प्रिय पुष्प है, कमल जिसे, सृष्टि का पर्याय कहा जाता है, आनंद व दिव्य महिमा का फूल है। फूलों की खुशबु से स्वर्ग जैसा एहसास होता है अलग-अलग रंगों के पुष्प कुछ प्रतीकों से जुड़े है लाल फूल प्रेम, गुलाबी फूल बचपन, नारंगी फूल जोश, पीला फूल दोस्ती, सफेद फूल पाकीजगी व मासूमियत।

राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों, सामाजिक सरोकार में भी पुष्प अपनी सार्थक उपस्थिति दर्ज कराते है। पुष्प स्वयं की प्राथमिकता के विषय में माखनलाल चतुर्वेदी की कविता ''पुष्प की अभिलाषा'' हृदस्पर्शी है।

अब कुछ जीव विज्ञान के तथ्यों पर आते हैं। पुष्प एक रूपान्तरित तना है जो जनन एवं जीवन के लिए उत्तरदायी हैं पर्व छोटे हो जाते है, पर्वसंधिया सन्निकट आकर कलिका बनाती हैं जो 'फ्लोरीजन' हार्मोन के प्रभाव से वृद्धिकर पुष्प बनती है। फल तथा बीज बनने के लिए पुष्प, पूर्व आवश्यक है।

अद्भुत, अलौकिक, दृश्यसुख, प्रसन्नता भाव देने वाले प्रकृति के इस उपहार के प्रति हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते है।

सृष्टि एक अद्भूत संरचना है रत्नगर्भा पृथ्वी, अनन्त प्रदीप्तमान प्रकाश, जीवनदायी जल, प्राणवायु, प्राकृतिक सुंदरता, निरालापन लिए वन्य जीव, सभी कुछ हमारे लिए है प्रश्न उठता हम इनके लिए है या नहीं।

सेवानिवृत्त,
अति. जिला शिक्षा अधिकारी, पाली
123, वी.डी. नगर, नहर के पास, पाली
मो: 9460820590

स्वास्थ्य और खेल

विद्यालय में खेलों का महत्त्व

❒ दिनेश चन्द्र शर्मा

एक स्वस्थ बालक स्वस्थ राष्ट्र की पहचान है। विद्यालयी शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण में सर्वांगीण विकास के अन्तर्गत विद्यार्थी के शारीरिक विकास को अत्यन्त महत्त्व दिया गया है। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन निवास करता है। मन स्वस्थ होगा तो बालक शिक्षण में रुचि लेगा, यदि उसका तन ही स्वस्थ नहीं है तो मन कैसे स्वस्थ होगा। स्वस्थ मन बालक को अध्ययन में प्रेरित करेगा, रुचि दर्शाएगा। अतः स्वस्थ शरीर बनाने में खेल, व्यायाम का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यही शारीरिक स्वास्थ्य का उत्तम एवं एकमात्र साधन है। ये तन में स्फूर्ति का संचार करते हैं। विद्यालय समय विभाग चक्र में नियमित खेलों का अवसर प्रदान किया जा सकता है। विद्यालय के समयोपरान्त भी खेल हेतु छात्रों को प्रेरित किया जा सकता है, जो नियमित होना चाहिए केवल क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने तक सीमित न रहें।

खेलना एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। बालकों में जन्म से ही खेलने की रुचि होती है उसे निखारने का कार्य शारीरिक शिक्षक को करना होता है। प्रतिभाएँ छिपी हुई होती है उसे उचित वातावरण के अभाव में वे लुप्त हो जाती हैं। शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए तथा शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए खेल, व्यायाम, योग, आसन का नियमित अभ्यास होना चाहिए। प्राचीन वैदिक काल में हमारे तपस्वी, ऋषि मुनि न केवल आध्यात्मिकता के महत्त्व को बल देते बल्कि शारीरिक शिक्षा सौष्ठव को भी महत्त्वपूर्ण स्थान देते थे। स्वामी विवेकानन्द ने शिक्षा व शारीरिक शिक्षा के दर्शन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि–भारत में गीता की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी फुटबॉल के मैदान की। क्योंकि सुडौल व स्वस्थ युवक इसी मैदान में पनपते हैं जो राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं जिनके कंधों पर राष्ट्र की उन्नति का भार है।

खेल मानव की स्वाभाविक प्रक्रिया है। खेलों में प्रत्येक छात्र अपनी रुचि, इच्छा, प्रवृत्ति को विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से प्रकट करता है। स्टीवेसन ने भी अपनी पुस्तक चाइल्ड प्ले में लिखा है–बालक की धूमिल भावना के संसार में खेल ही सब कुछ है। खेल मनोरंजन या दिल बहलाने के लिए नहीं बल्कि खेल छात्र की कल्पनाशीलता, रचनात्मकता, स्वाभाविकता को भी प्रोत्साहित करते हैं इससे बालक में अवलोकन क्षमता, अनुशासन, सच्चाई, बहादुरी, साहसिकता, देशभक्ति, सहयोग, नैतिक गुणों का संचार भी करते हैं। स्व–अनुशासन, स्वप्रगति का प्रशिक्षण देते हैं।

शिविरा वार्षिक पंचांग में प्रतिवर्ष, प्रथम, द्वितीय, तृतीय समूह (माध्यमिक शिक्षा) कक्षावार, दलवार, खेलकूद प्रतियोगिताओं की तिथियों का निर्धारण होता है जो तहसील स्तरीय, जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय, राज्य स्तरीय का समूहवार कार्यक्रम होता है। बालकों के अतिरिक्त शिक्षक एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए भी तिथियों का निर्धारण होता है। इतना सब कुछ होते हुए भी विद्यालयों में खेलों के स्तर और व्यवस्था सोचनीय है। दिन व दिन खेलों की उपेक्षा हो रही है। देशी खेल भी लुप्त होते जा रहे हैं क्योंकि इनकी कोई परीक्षा, परख, मूल्यांकन नहीं होता। यह दुर्भाग्य है कि कई विद्यालय भौतिक दृष्टि से सम्पन्न हैं लेकिन खेल जैसी अनिवार्य प्रवृत्तियों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पाठ्येत्तर सहगामी प्रवृत्तियाँ विशेषकर खेलों में ही समायी हैं। खेलों के कालांश भी शिक्षण में लगा दिए जाते हैं।

लाभः– शारीरिक शिक्षा बालक को सबल एवं पुष्ट बनाती है। शारीरिक क्रियाकलापों में एवं खेल में भाग नहीं लेने वाले बालक रोग ग्रस्त हो जाते हैं क्योंकि उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है अतः सर्दी, जुकाम, मोटापा, शीघ्र थकान, रक्त की कमी आदि रोगों से ग्रसित देखे जाते हैं। पहला सुख निरोगी काया। इसे निरोग रखने के लिए खेलकूद, व्यायाम, योग, आसन आवश्यक है। खेलों से शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है, आलस्य नहीं आता। मांसपेशियाँ बलवान बनती हैं। मनोरंजन भी खूब होता है। मस्तिष्क की थकान नो दो ग्यारह हो जाती है। खेलों से मातृभाव, देशभक्ति की भावना का विकास होता है। जब कोई खिलाड़ी खेल के मैदान में होता है उसमें टीम भावना व्याप्त होती है। उसे मिलजुल कर एकता की भावना रखते हुए खेलना होता है। अकेला खिलाड़ी हॉकी, फुटबॉल के खेल में गोल नहीं कर सकता अन्य साथी खिलाड़ियों का सहयोग लेना होता है तभी वह सफल होते हैं। इस प्रकार सहयोग, सहायता की भावना का विकास होता है। खेल के मैदान से बालक अनुशासन, एकता, भाईचारा, सहयोग की भावना का पाठ पढ़ता है और अपने भविष्य को उज्ज्वल व सार्थक बनाता हैं। खेल से छात्र तनाव मुक्त हो जाते हैं। खेल और अनुशासन का वही सम्बन्ध है जो आत्मा का शरीर से होता है। यदि विद्यालयों को खेलों से पृथक कर दिया जाए तो निश्चित रूप से वे विद्यालय अनुशासनहीन होकर कठिन समस्याओं को उत्पन्न कर देंगे। खेलों से सहभागी बालक सहृदयी और सहयोग की भावना से परिपूर्ण होते हैं। जिन विद्यालयों में खेलों पर ध्यान दिया जाता है और छात्रों को खेल के सुअवसर प्रदान होते हैं उन विद्यालयों का चहुँमुखी विकास होता है साथ ही अच्छे चरित्र निर्माण पर ध्यान दिया जाता है। वे छात्र पूर्णरूप से अनुशासन प्रिय होते हैं। उनका आचरण तथा व्यवहार अन्य छात्रों की अपेक्षा उत्तम होता है।

शिक्षा के पाठ्यक्रम में खेलों को विशेष महत्त्व दिया गया है परन्तु यह विद्यालयों पर निर्भर करता है कि खेलों को कितना महत्त्व दें। खेलों का मुख्य उद्देश्य है, बालकों को शारीरिक, मानसिक रूप से सक्रिय बनाना। इसके लिए विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। खेलों के साथ पी.टी. ड्रील के लिए उपकरणों का यथा समय प्रयोग किया जा सकता है जैसे डम्बल्स, लेजियम, लाठी, भाला आदि इनका सामूहिक प्रदर्शन, उत्सवों आदि में मन मोहक होता है। इसके लिए निरन्तर प्रयास हो तभी निखार आता है। यदि उपकरण विद्यालय में नही है तो बजट के अनुसार क्रय किए जा सकते हैं अनेक खेल ऐसे भी हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई आर्थिक भार नहीं पड़ता जैसे– कबड्डी, खो–खो, दौड़, कुर्सी दौड़, ऊँची कूद, भाला

फेंक, कुश्ती इत्यादि। बॉलीबाल, हॉकी, बेडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल आदि में उपकरणों की आवश्यकता होती है। आसन के नियमित अभ्यास से शरीर पुष्ट व निरोग होता है। ये आसन प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षक की देखरेख में ही करवाए जाएँ। आसनों में पद्मासन, मयूरासन, तुलासन, श्वासन, हलासन, जलनेति, सूर्य नमस्कार आदि हैं। इनके नियमित अभ्यास से तन्दुरुस्त रहते हैं और जीवनचर्या भी स्वस्थ बनेगी।

खेलों में प्रत्येक विद्यार्थी अपनी रुचि, इच्छा, प्रवृत्ति को विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से प्रकट करता है। खेल ज्ञानार्जन की निरसता को दूर करते हैं। खेल, खेल की भावना से खेले जाने चाहिए। इसमें ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, पूर्वाग्रह का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। खेलों का अर्थ मात्र यह नहीं है कि हार-जीत के मुकाबले किए जाए बल्कि शारीरिक क्षमता का विकास हो। बालक में छिपी प्रतिभा को प्रकाश में लाना है। खेलों में हीन भावना, किसी भी बालक में बालक में उत्पन्न न हो इस बात का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा भी कहा गया है कि- जितने खेल के मैदान उतने कम अस्पताल (More Number of Play Grounds And Less Number of Hospital)

यह कथन कितना स्वाभाविक है, अर्थात खेल के मैदानों की संख्या तथा अस्पतालों की संख्या में सीधा सम्बन्ध है। खेलों से मानव स्वस्थ रहेगा तो अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

खेल का कालांश प्रार्थना सभा के पश्चात ही होना चाहिए ताकि छात्रों को ताजगी का अनुभव हो, अध्ययन के लिए उत्सुकता आ जाती है। मेरा शारीरिक शिक्षक बन्धुओं से विनम्र निवेदन है कि वे अपने मनोयोग से समर्पित भावना से कार्य करेंगे तो खेलों का भविष्य उज्ज्वल होगा। ऐसी आशा एवं विश्वास के साथ-

खेलें, कूदें योग करें नित्य व्यायाम।
नव पीढ़ी हो हष्ट-पुष्ट यही आयाम।।

शारीरिक शिक्षक
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जूनावास,
भीलवाड़ा (राज.)
मो: 9414372076

सार्थक संवाद

विचार करके ही बोलना चाहिए

❒ सीताराम गुप्ता

डॉक्टर रोगी को विशेष रूप से अत्यधिक कमजोर अथवा गंभीर रोग से ग्रस्त व्यक्ति को बोलने से बिल्कुल मना करते हैं। इसीलिए कई अत्याधुनिक अस्पतालों ने तो रोगियों से मिलने का समय ही निश्चित कर रखा है और मरीजों के पास ज्यादा देर तक रुकने की मनाही भी कर रखी है। मिजाजपुर्सी के लिए आना और मरीज से बातें करना व उसको दिलासा देना उसके हित में ही होता है फिर क्यों डॉक्टर बाहरी लोगों को मरीज से मिलने और मरीज के बोलने पर पाबंदी लगाते हैं? इसका क्या कारण हो सकता है? कारण स्पष्ट है। बोलने से रोगी थक जाता है क्योंकि बोलने में ऊर्जा व्यय होती है। बोलने में ही नहीं बोलने के प्रयास व सोचने की प्रक्रिया में भी ऊर्जा व्यय होती है। रोगी की ऊर्जा का स्तर वैसे ही कमजोर होता है अतः जब वो अधिक सोचेगा या बोलेगा तो उसकी शेष ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी। ऊर्जा हमारे काम करने में ही नहीं रोगमुक्ति व उपचार में भी सहायक होती है। इसी से साधना में ही नहीं दैनिक जीवन में भी मौन को बड़ा महत्त्व दिया गया है। मौन को सर्वोत्तम भाषण कहा गया है।

यदि रोगी शांत रहेगा तो उसकी ऊर्जा रोगमुक्ति व उपचार की दिशा में प्रवाहित होकर उसे अपेक्षाकृत शीघ्र स्वस्थ करने में सहायक होगी। प्रश्न उठता है कि क्या स्वस्थ व्यक्ति के बोलने से उसके स्वास्थ्य पर भी कोई दुष्प्रभाव पड़ता है? बोलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। बोलने की भी एक सीमा होनी चाहिए। सभी का मानना है कि न तो अधिक बोलना ही श्रेयस्कर होता है और न बिल्कुल चुप रहना ही उत्तम होता है इसलिए एक स्वस्थ व्यक्ति भी कम बोले अथवा आवश्यकता पड़ने पर ही बोले तो अच्छा है। इसके कई कारण हैं। पहला तो यही कि बोलने में ऊर्जा व्यय होती है। यदि हम अपनी सारी ऊर्जा बोलने में ही व्यय कर देंगे तो काम करने के लिए ऊर्जा बचेगी ही नहीं। दूसरे हम जितना ज्यादा बोलते हैं गलत अथवा निरर्थक बोलने की संभावना बढ़ जाती है। जो ज्यादा बोलते हैं उन्हें सोचने का वक्त नहीं मिल पाता या कह सकते हैं कि जो सही बोलने के लिए सोचने की जहमत नहीं उठाते वे लोग ही ज्यादा बेकार की बक-बक करते हैं।

जो लोग जितना कम बोलते हैं जीवन में प्रायः अधिक संतुलित रहते हैं। जो लोग जितना ज्यादा बोलते हैं जीवन में उतना ही कम कर पाते हैं। उनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर रहता है। जो लोग बहुत अधिक बोलते हैं गलत बोलने की संभावना भी उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। ऐसे लोग उचित विचार करने के उपरांत सही-सही बोलने की बजाय जो कुछ मुँह में आए बकने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। लोग उनसे उलझने की बजाय उनसे दूर भागने में ही अपनी भलाई समझते हैं। ऐसे लोग सही लोगों से कटकर बेकार लोगों के संपर्क में रह जाने को विवश होते हैं। सही बोलना भी किसी कला से कम नहीं। जीवन में सफलता के लिए इस कला का विकास अनिवार्य है।

यदि हम कम तथा संतुलित व सार्थक बोलेंगे तो हमारी करनी और कथनी में अंतर नहीं होगा। इससे समाज में न केवल हमारी विश्वसनीयता व प्रतिष्ठा बढ़ेगी अपितु हमारे आत्मसम्मान में भी वृद्धि होगी जो हमारे अपने विकास के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। आत्मसम्मान से भरपूर व्यक्ति ही अपने जीवन में अन्य सद्गुणों का विकास सरलतापूर्वक कर सकता है इसमें भी संदेह नहीं। यदि हम चाहते हैं कि हम ऊर्जस्वित व कर्मशील बने रहें तथा मनसा वाचा कर्मणा संतुलित बने रहें व हमारी करनी और कथनी में अंतर न हो तो हमें कम व केवल उचित सोच-विचार करने के उपरांत ही बोलना चाहिए। कम बोलने के साथ-साथ सार्थक व उपयोगी विषयों पर बोलना ही हमारे हित में होगा। हमारे बोलने या बातचीत करने का ढंग भी ठीक होना चाहिए। हमारी बातचीत में शालीनता व शिष्टता होनी चाहिए।

ए.डी. 106-सी, पीतमपुरा, दिल्ली-110034
मो: 09555622323

मेहनत-सफलता

मेहनत करते जाओ सफलता पाते जाओ

❒ डॉ. देवेन्द्र सिंह राणावत

सफलता कोई चमत्कार या परिणाम नहीं होती। सफलता समर्पण, साहस, सदाचार एवं सर्जनात्मकता का ही प्रसाद होती है। कोई हमेशा नम्बर वन नहीं रह सकता। कहीं न कहीं, कोई न कोई तो आगे रहता ही है। अक्सर हम इस व्यर्थ की दौड़ में जाने-अनजाने में प्रतिभागी बन जाते हैं। इस कारण लक्ष्य से भटक जाते हैं। मूल लक्ष्य गौण हो जाता है। हम सारी ऊर्जा नम्बर वन को प्राप्त करने में लगा देते हैं, जबकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि हम कर्म के महत्त्व को स्वीकार कर उसी पर ध्यान केन्द्रित रखें। इसकी प्राप्ति का एकमात्र मार्ग सतत् कर्म ही है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प है ही नहीं। सफलता के लिए सिर्फ इसके अनुसरण पर बल देने की आवश्यकता है।

कुछ लोगों में निपुणता, ज्ञान और सफल होने की चाह तो होती है, लेकिन वह चाह प्रभावकारी नहीं होती है, बल्कि यह कहना चाहिए कि उस चाह में जुनून नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि अपने काम के प्रति जुनून का होना तो सही मनोवृत्ति है। जुनून की हद तक भरोसा होना जरूरी होता है। यह उस महान वैज्ञानिक की कहानी की तरह है जिन्होंने दस हजार से अधिक बार असफलता प्राप्त करने के बाद भी निराशा को अपने नजदीक भी नहीं आने दिया और विद्युत बल्ब का आविष्कार कर दिखाया। वह व्यक्ति थे थॉमस एल्वा एडीसन। क्या आप उन्हें असफल कहेंगे वे हारकर बैठ सकते थे, लेकिन एडीसन के लिए हार एक पल की बाधा थी, कोई अंत नहीं।

अपने सपनों के प्रति हमें अटूट विश्वास होना चाहिए। कभी बाधाओं से हार न मानते हुए उन्हें बीच में नहीं छोड़ने का दृढ़ निश्चय आपके लिए सहयोगी सिद्ध होता है। हम सभी सपने देखते हैं और पूरा भी करना चाहते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने से पहले ही हार मान लेना या उन्हें बीच में छोड़ देना सफलता से आपकी दूरी कई कदम और बढ़ा देता है। जीवन में असफलताओं से हार न मानकर सफलता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी के शब्द Fortune (फॉर्च्युन) का अनुसरण करें। इस सात अक्षर वाले फॉर्च्युन शब्द का विश्लेषण करने पर आप सफलता के गुण पाएँगे जो इसमें छिपे हैं। देखिए यहाँ क्या है ये फॉर्च्युन- Fortune

F- Fidelity in Work
(काम के प्रति समर्पण)

O- Obeisance towards
(उद्देश्य के प्रति समर्पण)

R-Run for the Best
(श्रेष्ठता की ओर दौड़ो)

T- Tackle the goal
(कुशलतापूर्वक लक्ष्य भेदो)

U-Utilization the knowledge
(ज्ञान का प्रयोग करो)

N-Necessitate the nobleness
(उत्कृष्टता को आवश्यकता बनाओ)

E-Earnest efforts with enthusiam
(उत्साह के साथ निरंतर प्रयास)

ध्यान रहे फॉर्च्युन आपको तभी सहयोग देता है जब आप-

- अपने कार्य की शुरूआत उचित समय पर करते हैं।
- अपने ज्ञान का सही प्रकार से उपयोग करते हैं।
- अपनी प्रतिभा का उपयोग विकासशील क्षेत्र में करते हैं।
- गंभीरता से निरंतर प्रयास करते हैं और संघर्षरत बने रहते हैं।
- उपलब्ध अवसर का सदुपयोग करते हैं।

सतत् परिश्रम का अर्थ है असफलता होने पर भी निराश न होना, बार-बार कामयाबी के लिए प्रयत्न करना। एडीसन का कहना है कि उनके आविष्कार सतत परिश्रम का ही फल है। जो निराश या हतोत्साहित होना नहीं जानता वही अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। वस्तुतः लक्ष्य की ओर चलने वाले व्यक्ति के लिए निराशा का कोई प्रश्न ही नहीं क्योंकि उसका ध्यान इस ओर नहीं होता कि वह कितना कामयाब हुआ, बल्कि उसकी दृष्टि सदा लक्ष्य पर रहती है कि वह अपने कर्त्तव्य का पालन कहाँ तक कर रहा है? जब लोग आलस्य में ऊँघते हैं तब कर्मशील व्यक्ति कर्म की उपासना में जुटा रहता है। गीता में कहा गया है-

'या निशा सर्वभूताना तस्यां जागर्ति संयमी।'

अर्थात- जो साधारण पुरुष के लिए रात्रि है वह संयमी अथवा कर्मयोगी के जागने अथवा कर्त्तव्य-कर्म करने का काल है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति रात-दिन अपने कर्त्तव्य में जुटा है। वही आगे बढ़ सकता है। बिना धुन के कोई काम संभव नहीं है। किसी भी सफल या महान व्यक्ति का जीवन देखें तो यही ज्ञात होगा कि उसने अपने जीवन के एक-एक क्षण का उपयोग किया है। सफलता के लिए कठिन परिश्रम के सिवा कोई दूसरा तरीका नहीं है। कठिन परिश्रम सभी कठिनाइयों को समाप्त कर देता है।

लक्ष्य निश्चय करना सरल है, पर लक्ष्य को सतत् स्मरण रख कर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना कठिन है। जब आप चलना आरम्भ कर देते हैं, कठिनाई तब ज्ञात होती है। उन कठिनाईयों से आप हार न मानें तथा उन बाधाओं की आप चिंता न करें, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। जहाँ कठिनाइयाँ हैं वहीं पौरुष है। जहाँ पौरुष है वहीं सफलता है।

तो लक्ष्य की नब्ज को महान वैज्ञानिक एडीसन की तरह पकड़ें। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से जूझकर और जीतकर जिन्होंने खुद को विजेता बनाया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस खुद पर यकीन रखिए और प्रयास लक्ष्य पाने की दिशा में कीजिए। सफलता आपके कदम चूमेगी।

व्याख्याता (भूगोल)
राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय
विकास नगर, बून्दी
मो: 9214921322

नवाचार

राजीव गाँधी कॅरियर पोर्टल

❒ विमलेश चन्द्र

आज के इस भागमभाग भरी दौड़ वाले भौतिकतावादी युग में हर माता-पिता का स्वप्न है कि उनका बच्चा परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करे व पढ़-लिखकर डॉक्टर या इंजीनियर बने। बच्चा माता-पिता की इच्छा के अनुसार अपने विषयों का चयन करे एवं बड़ा होकर खूब पैसा कमाएं। कुछ माता-पिता की ऐसी संकुचित एवं दकियानूसी सोच का ही परिणाम है कि कई बार बच्चे काफी मेहनत के बावजूद तनावग्रस्त होने के कारण माता-पिता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाते हैं अर्थात या तो परीक्षाओं में अच्छे अंक नहीं बना पाते हैं या फिर माता-पिता की इच्छित नौकरी का सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। नतीजा यह होता है कि उन्हें उचित मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण वे समाज एवं माता-पिता के भय से अवसादग्रस्त हो जाते हैं।

बच्चों की इस पीड़ा को शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा महसूस किया गया एवं बच्चों को अवसादग्रस्त होने से बचाने, उन्हें उनका खोया बचपन लौटाने तथा विषयों एवं कॅरियर सम्बन्धी मार्गदर्शन हेतु कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए 'राजीव गाँधी कॅरियर गाइडेंस पोर्टल' की स्थापना की गई है। प्रत्येक विद्यालय में इस पोर्टल के संचालन के लिए संस्थाप्रधान द्वारा प्रभारी नियुक्त किया जाता है। प्रभारी द्वारा कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थियों की सहायता से राजीव गाँधी कॅरियर पोर्टल पर उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता है एवं अध्ययन तथा कॅरियर सम्बन्धी गाइडेंस प्रदान किया जाता है।

राजीव गाँधी कॅरियर पोर्टल– 6 फरवरी 2019 को राजस्थान के शिक्षा मंत्री माननीय श्री गोविन्द सिंह जी डोटासरा ने कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को बेहतर कॅरियर मार्गदर्शन हेतु यूनीसेफ के सहयोग से 'राजीव गाँधी कॅरियर गाइडेंस पोर्टल' का शुभारंभ किया जो देश का पहला कॅरियर गाइडेंस पोर्टल है।

राजीव गाँधी कॅरियर पोर्टल का उद्देश्य– विद्यार्थियों को बेहतर कॅरियर मार्गदर्शन एवं विभिन्न परीक्षाओं, छात्रवृत्तियों एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करना इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है जिसे पूर्ण करने के लिए शिक्षा विभाग प्रयासरत है। 10 अप्रैल 2020 से इस महत्त्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा यूट्यूब पर लाइव वीडियो सुविधा उपलब्ध करवाई गई है जिसे कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों तक पहुँचाना हर शिक्षक का दायित्व है। इस पोर्टल पर 200 से अधिक व्यावसायिक शिक्षा, 237 से अधिक पेशेवर कॅरियर, 460 से अधिक रोजगार क्षेत्रों, देश के प्रमुख 6400 से अधिक कॉलेजों, 930 छात्रवृत्तियों व 955 से अधिक प्रवेश परीक्षा के बारे में जानकारी उपलब्ध है। भारत सहित 14 देशों के 2 लाख से भी अधिक शैक्षणिक कोर्सेज के बारे में जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से ली जा सकती है।

राजीव गाँधी कॅरियर पोर्टल पर लॉगिन प्रक्रिया– इस पोर्टल पर जाने के लिए आपको गूगल के माध्यम से राजीव गाँधी कॅरियर पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है जिसका लिंक https://rajcereerportal.com है। पेज खुलने पर लॉगिन करने हेतु आपको विद्यार्थी की यूनिक आई.डी. व पासवर्ड का उपयोग करना होगा। ध्यान रहे विद्यार्थी की यूनिक आई.डी. शाला दर्पण आई.डी. व एस.आर. नंबर से मिलकर बनी है। उदाहरण के लिए यदि किसी विद्यालय का शाला दर्पण आई.डी. 216200 है व विद्यार्थी का एस.आर. नंबर 7801 है तो उस विद्यार्थी की यूनिक आई.डी. 2162007801 होगी। रही बात पासवर्ड की तो आपको बता दें इस पोर्टल पर डिफाल्ट पासवर्ड 123456 सेट किया हुआ है जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार बदल सकते हैं।

राजीव गाँधी कॅरियर पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आप निम्नलिखित मेन्यू से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं-

- **कॅरियर सम्बन्धी जानकारी–** कॅरियर सम्बन्धी जानकारी में इस पोर्टल पर आपको प्रोफेशनल कॅरियर के अंतर्गत मेडिकल साइंस, आर्किटेक्चर एंड प्लैनिंग, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्प्यूटर साइंस, विजुअल कम्यूनिकेशन सर्विसेज, एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस, कानूनी सेवा, फाइनेंस एंड बैंकिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, आर्ट्स एवं सोशल साइंस आदि के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होंगी।
- **कॉलेज सम्बन्धी जानकारी–** विद्यार्थी स्कूली शिक्षा के बाद किस कॉलेज में व किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहते हैं आदि जानकारियाँ इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर भारत के अलावा विद्यार्थी यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, अमेरिका, कतर, सिंगापुर, बांग्लादेश, चीन, ओमान, बहरीन, हांगकांग, कुवैत देशों में अपनी पसंद के हिसाब से कक्षा 10 व 12 के बाद 3-4 साल का डिग्री कोर्स अथवा 6 महीने से 3 साल का डिप्लोमा/रोजगार देने वाला कोर्स चुन सकते हैं जिसे आप किसी भी भाषा हिन्दी, अंग्रेजी, तेलगू आदि में कर सकते हैं व बाद में आप किसी अन्य भाषा का भी चयन कर सकते हैं।
- **व्यावसायिक कॅरियर–** यहाँ पर विद्यार्थी अभियांत्रिकी, आईटी/आईटीएस, अतिथि एवं पर्यटन, इलेक्ट्रानिक और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एमिनेशन और ग्राफिक्स, कृषि व खाद्य, खरीद और बिक्री, चमड़ा और परिधान, जेम एंड ज्वेलरी निर्माण, बैंकिंग वित्तीय सेवा और बीमा, मल्टीमीडिया और मनोरंजन, रक्षा और सुरक्षा, वस्त्र और हथकरघा, व्यवसाय प्रबंधन और उद्यमिता, शिक्षा और शिक्षण (व्यावसायिक), सौन्दर्य और कल्याण, स्पोर्ट्स एवं फिटनेस और स्वास्थ्य देखभाल कॅरियर सम्बन्धी जानकारी ले

सकते हैं।

- **छात्रवृत्ति, प्रतियोगिता और फेलोशिप सम्बन्धी जानकारी–** आप यहाँ पर सभी प्रकार की छात्रवृत्ति, प्रतियोगिता और फेलोशिप सम्बन्धी सभी प्रकार की जानकारियाँ जैसे- General Information, Awards, Eligibility, Application Fees, Application Procedure, Selection Process, Important Dates & Other Information आदि की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं।
- **प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी जानकारी–** आप यहाँ से प्रवेश परीक्षाओं जैसे GATE, BCA, MCA, M.VOC. Banking & Finance, ACET, M. Tech., IGNOV Diploma Courses, MBA, IIM Rohtak, NMU-CET, BBA, PG, HAL, B.VOC, B. Sc. JNTU-M. Sc. VMOU Diploma Course इत्यादि से संबंधित प्रवेश परीक्षा के नोटिफिकेशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिसमें आपको परीक्षा की General Information, Eligibility, Exam pattern, Available Seats, Application Fees, Application Procedure, Participating Colleges, Exam Centers, Important Dates, Syllabus आदि की जानकारी आसानी से मिल जाएगी।

आज के इस प्रतियोगी दौर में हर विद्यार्थी आगे निकलना चाहता है लेकिन उचित मार्गदर्शन के अभाव में वह अपने को अकेला व ठगा-सा महसूस करता है। वह नहीं समझ पाता है कि उसे कौनसे विषय लेने चाहिए या उसे किस क्षेत्र में जॉब करना चाहिए? विद्यार्थियों की इस मृगमरीचिका युक्त स्थिति से पार लगाने में यह पोर्टल अपनी अहम भूमिका निभा रहा है।

अतः समस्त संस्थाप्रधान एवं शिक्षक कोविड-19 एडवायजरी का पालन करते हुए कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों का राजीव गाँधी कॅरियर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर उन्हें विस्तार से लॉगिन की प्रक्रिया बताएँ ताकि छात्र अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकें।

वरिष्ठ अध्यापक
राजकीय मोहता बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय
राजगढ़ (चूरू)
मो: 9460489940

नवाचार

नवाचारी शिक्षा का महत्त्व

❐ **भगवान सिंह मीना**

आधुनिक युग में शिक्षा को अधिक प्रभावोत्पादक एवं गुणवत्तापूर्ण स्वरूप प्रदान करने हेतु नित नए अभिनव प्रयोग हो रहे हैं। हमारी परम्परागत शिक्षा प्रणाली से अलग नई विधियों, नई कार्यपद्धतियों एवं नई शिक्षण तकनीक द्वारा अधिकाधिक फलदायी एवं परिवर्तित रूप में प्रस्तुत करने के लिए जिन नई गतिविधियों या क्रियाकलापों का समावेश किया गया है, उनमें नवाचार की विशेष एवं महत्ती भूमिका है। नवाचार वस्तुतः नव व आचार दो शब्दों के योग से बना है, जिसका आशय किसी सेवा या उत्पाद या प्रक्रिया में नवीन प्रयोग से है, जिससे उसकी गुणवत्ता में संवर्धन हो।

शिक्षण संस्थानों खासकर, प्रारम्भिक विद्यालयों में शिक्षा को और अधिक अर्थवत्ता प्रदान करने तथा उसे रोचक एवं आनन्दपूर्ण बनाने हेतु नवाचार का प्रयोग शिक्षा के नए प्रतिमानों की स्थापना में सहायक साबित हो रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 सुझाती है कि बच्चों को उनके स्कूली जीवन से बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा द्वारा विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति की जगह बोधात्मक शिक्षण के द्वारा सीखने पर विशेष बल दिया गया है। वस्तुतः गतिविधियों और क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना और उनमें कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना नवाचार की मूल अवधारणा है। शैक्षिक विधाओं में नवाचार ने अपनी उपादेयता और सार्थकता सिद्ध कर दी है।

नवाचार को लेकर शिक्षाविदों, विचारकों एवं चिंतकों ने अलग-अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। सर्वविदित है कि कुछ बदलाव हेतु समाज में बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। नवाचार के प्रयोग से विद्यालयों में सीखने की प्रक्रिया प्रभावकारी रूप से सम्पन्न होती है। इसी प्रकार नवाचार का महत्त्व विद्यार्थियों में उत्सुकता एवं नवचेतना के संचरण में भी सहायक सिद्ध होता है।

टायटेन के अनुसार, ''शैक्षिक नवाचारों का उद्भव स्वयं नहीं होता, बल्कि उन्हें खोजना पड़ता है तथा सुनियोजित तरीके से इन्हें प्रयोग में लाना होता है, ताकि शैक्षिक कार्यक्रमों को परिवर्तित परिवेश में गति मिल सके और परिवर्तन के साथ गहरा तारतम्य में बनाए रख सकें।'' इस प्रकार नवाचार एक नवीन विचार है, एक व्यवहार है अथवा वस्तु या कोई नया तरीका है जो नवीन और वर्तमान का गुणात्मक स्वरूप है। महान वैज्ञानिक डार्विन के अनुसार प्रकृति उन्हीं को जीने का अधिकार देती है जो जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। अतः स्वयं के अस्तित्व हेतु हमें नवाचार को स्वीकारना होगा।

दूसरी ओर एक प्रश्न और उठता है कि नवाचार की आवश्यकता क्यों है? इस संबंध में कहा जा सकता है कि जिस प्रकार आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उसी प्रकार से शिक्षा प्रणाली में बदलाव द्वारा ही विद्यालयों में सीखने की प्रणाली को अधिक रोचक एवं प्रभावी बनाया जा सकता है। नवाचार की आवश्यकता पर बल देते हुए मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डोक का विचार है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, अब बड़े छोटे को हरा नहीं पाएंगे। अब जो तेज है, वे धीमे को हराएँगे। यदि हमें विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति एवं ठहराव को बढ़ाना है, तो शिक्षण अधिगम को रोचक एवं आनंददायक बनाना होगा, अन्यथा शिक्षा की परंपरागत प्रणाली से ढाक के तीन पात वाली कहावत चरितार्थ होगी। आनंदमयी शिक्षण एक ऐसा उपक्रम है, जिसके द्वारा विद्यार्थियों पर बिना कोई मानसिक दबाव डाले सहज तरीके से शिक्षण करवाकर विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाई जा सकती है। नवाचार को अपनाकर क्षेत्रीय परिवेश के अनुरूप क्रियाकलापमूल शिक्षण को प्रस्तुत किया जाना श्रेयस्कर है। उल्लेखनीय है कि शिक्षा में नवाचार की भूमिका सर्वोपरि है। शिक्षण, पाठ्यक्रम और शिक्षक शिक्षा के साथ अभिनव होना चाहिए। कक्षाओं की वास्तविक अधिगम परिस्थिति के प्रतिमानों का समावेश अधिगम को अधिक त्वरित गति दे सकेगा।

व्याख्याता
राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर
मो: 7891330439

आदेश-परिपत्र : नवम्बर, 2020

1. शिक्षक सम्मान समारोह 2020 में आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्थाप्रधानों को सम्मानित हेतु विद्यालय पुरस्कार राशि भिजवाने बाबत्।
2. आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्थाप्रधानों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में प्रशंसा-पत्र प्रदान/ सम्मानित करने के सम्बन्ध में।
3. 2020-21 के लिए हितकारी निधि वार्षिक अंशदान बाबत।
4. हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान वर्ष 2020-21 की कटौती वेतन बिलों से करने बाबत।
5. हितकारी निधि का अंशदान माह दिसम्बर, 2020 भुगतान जनवरी, 2021 सीधे ही वेतन बिलों की आंतरिक राशि में से कटौती करने हेतु मार्ग निर्देश।
6. Add Group Dependent Deducation में कटौती शुरू करवाने बाबत।
7. Add Group Dependent Deducation में कटौती शुरू करवाने बाबत।
8. शिक्षा विभाग के कार्मिकों के वेतन में हितकारी निधि डिडक्शन जोड़ने के क्रम में।
9. APAR के सम्बन्ध में।
10. शिक्षा विभागीय (राज्य स्तरीय) मंत्रालयिक एवं सहायक कर्मचारी पुरस्कार एवं सम्मान समारोह-2020
11. हितकारी निधि के अन्तर्गत माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर वित्तीय सहायता हेतु प्रार्थना-पत्र आमंत्रण : अन्तिम तिथि 04.01.2021
12. नवीन पदस्थापन पर वेतन आहरण निलम्बन/ पदस्थापन पर कार्मिकों को निर्देश देने के सम्बन्ध में।

1. शिक्षक सम्मान समारोह 2020 में आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्थाप्रधानों को सम्मानित हेतु विद्यालय पुरस्कार राशि भिजवाने बाबत्।

● कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग जयपुर ● क्रमांकः संनि/स्कू.शि/जय/शै.प्र./फा-आदर्श विद्यालय/2020/319 दिनांकः 21.10.2020 ● मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा जिले प्रतापगढ़, चूरू, श्रीगंगानगर, भरतपुर तथा हनुमानगढ़। ● विषयः शिक्षक सम्मान समारोह 2020 में आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्थाप्रधानों को सम्मानित हेतु विद्यालय पुरस्कार राशि भिजवाने बाबत्। ● प्रसंगः निदेशालय का पत्रांक शिविरा-माध्य/आदर्श विद्यालय /पुरस्कार/61067/2019-20/24 दिनांक 19.08.2020 एवं 30 दिनांक 13.10.2020 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शिक्षक सम्मान समारोह 2020 में राज्य के आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के तीन-तीन संस्थाप्रधानों को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया है। आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों में विकास कार्य करने हेतु कुल राशि रु. 26,000/- प्रति विद्यालय पुरस्कार राशि 21,000/- व आयोजन व्यय हेतु राशि 5,000 रु. दिए गए है। यह राशि सम्मानित विद्यालय के SDMC/SMC के खाते में दिनांक 21.10.2020 को ऑनलाइन हस्तांतरित की जा चुकी है। उक्त संस्थाप्रधान ये राशि का उपयोग निदेशालय बीकानेर के पत्रांक 24 दिनांक 19.08.2020 तथा 30 दिनांक 13.10.2020 के (संलग्न पत्र) अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नः उपर्युक्तानुसार

● **(रतन सिंह यादव)**, संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग जयपुर।

2. आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्थाप्रधानों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में प्रशंसा-पत्र प्रदान/ सम्मानित करने के सम्बन्ध में।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांकः शिविरा-माध्य/आदर्श विद्यालय/पुरस्कार/61067/2019-20/24 दिनांक : 19.08.2020 ● सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर। ● विषयः आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्थाप्रधानों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में प्रशंसा-पत्र प्रदान/ सम्मानित करने के सम्बन्ध में। ● प्रसंगः आपके पत्रांक-प.4 (6) शिक्षा-1/2014 पार्ट जयपुर, दिनांक 17.08.2020 के क्रम में।

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि राज्य में आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन के आधार पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह (5 सितम्बर) में आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के तीन-तीन संस्थाप्रधानों को भी पुरस्कृत किया जाता है।

गत वर्ष संस्थाप्रधानों को सम्मानित करने हेतु प्रति विद्यालय पुरस्कार राशि रुपये 21,000/- तथा अन्य पुरस्कार सामग्री/आयोजन व्यय हेतु राशि रुपये 5,000/- प्रति संस्था (प्रति विद्यालय राशि रुपये 26,000/-) की दर से कुल राशि रुपये 1,56,000/- (अक्षरे रुपये एक लाख छप्पन हजार मात्र) का भुगतान आरएसटीबी., जयपुर द्वारा समग्र शिक्षा जयपुर को किया गया था।

इस वर्ष भी उक्त पुरस्कार/सम्मान हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया शासकीय दिशा-निर्देशानुसार प्रारम्भ कर दी गई है। अतः गत वर्ष की भाँति इस वर्ष एवं आगामी वर्षों में आयोजित होने वाले राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में तीन आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के

संस्थाप्रधानों को पुरस्कृत करने हेतु प्रतिवर्ष कुल राशि रुपये 1,56,000/- (अक्षरे रुपये एक लाख छप्पन हजार मात्र) की राशि शासन द्वारा राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह की सम्पूर्ण व्यवस्था हेतु नियुक्त नॉडल अधिकारी संभागीय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), जयपुर को उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।

उपर्युक्त के क्रम में इस वर्ष हेतु शिक्षक दिवस (05 सितम्बर, 2020) के अवसर पर आयोजित होने वाले शिक्षक सम्मान समारोह में उक्त संस्थाप्रधानों को सम्मानित/पुरस्कृत करने हेतु वांछित राशि (रुपये 1,56,000/-) तत्काल नॉडल अधिकारी संभागीय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), जयपुर को उपलब्ध करवाए जाने का श्रम करावें।

नोटः- उक्त सम्मान संस्थाप्रधान के माध्यम से संस्था/विद्यालय के लिए प्रदान किया जाता है। साथ ही इसमें पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाने वाली राशि/सामग्री को भी संस्था/विद्यालय के विकास हेतु उपयोग में लिया जाता है।

● **(सौरभ स्वामी)**, आइ.ए.एस. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

3. 2020-21 के लिए हितकारी निधि वार्षिक अंशदान बाबत।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांकः शिविरा/मा./हि.नि./28203/2019-20 दिनांक : 10.11.2020 ● निदेशक, समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर, ● समस्त संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, ● समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) (माध्यमिक/प्रारम्भिक) ● समस्त डाइट प्राचार्य, ● समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ● समस्त विशिष्ट संस्थाएँ, उप-पंजीयक कार्यालय ●विषय : 2020-21 के लिए हितकारी निधि वार्षिक अंशदान बाबत।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.21(7) शिक्षा-2/हितकारी निधि/2017 दिनांक 15.06.2018 के द्वारा अनुमोदन उपरान्त हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान वर्ष 2020-21 का शिक्षा विभाग के समस्त राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्ग के कार्मिकों के वेतन विपत्र माह दिसम्बर, 2020 देय जनवरी, 2021 पूर्व निर्धारित दर से कटौती कर भिजवाया जाना है, वेतन से कटौती बाबत दिशा निर्देश इस कार्यालय के पत्र दिनांक 9.11.2020 द्वारा जरिए मेल प्रेषित किए जा चुके है, अतः समस्त आहरण वितरण अधिकारी अपने अधीनस्थ समस्त कार्मिकों के वेतन से कटौती की जानी सुनिश्चित करें।

राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक अंशदान की दरें:-

01	समस्त राजपत्रित अधिकारी (स्कूल व्याख्याता सहित)	रुपये 500/- प्रतिवर्ष
02	समस्त अराजपत्रित कार्मिक (अध्यापक एवं सहायक कर्मचारी सहित)	रुपये 250/- प्रतिवर्ष
	हितकारी निधि कल्याणकारी योजनाएँ:-	
	इस कल्याणकारी योजनान्तर्गत 2018-19 से नियमित अंशदाता को ही लाभ प्राप्त हो सकेगा।	
01	सेवा में रहते कार्मिक के निधन पर उसके आश्रितों द्वारा आवेदन करने पर आर्थिक सहायता।	1,50,000/-
02	शिक्षा विभाग के कार्मिकों के 500 बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर सहायता।	10,000/-
03	शिक्षा विभागीय कार्मिक एवं उसके आश्रित के असाध्य रोग से पीड़ित होने पर अधिकतम सहायता।	20,000/-
04	एक मुश्त छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शिक्षा कर्मियों के पुत्र/पुत्री के राजकीय विद्यालय में अध्ययन करते हुए 70 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति। (राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा आयोजित Xth के 950 एवं 50 विशिष्ट उपाध्याय, संस्कृत के छात्र/ छात्राओं को)	11,000/-
05	बालिका उपहार योजनान्तर्गत (सेवाकाल में एक बार) पुत्री के विवाह पर, प्रति वर्ष 1000 प्रकरणों में	11,000/-
06	मंत्रालयिक एवं च.श्रे.कर्म. को भारत भ्रमण सुविधा के तहत राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने पर अधिकतम सहायता।	12,000/-
07	बालिका शिक्षा हेतु ऋण।	50,000/-

हितकारी निधि की सफलता के लिए आपके अधीनस्थ कार्यालयों /विद्यालयों में इस पत्र की प्रतिलिपि मय आपके निर्देशों के भिजवावें, ताकि सफल परिणाम प्राप्त हो सकें। अंशदान की कटौती होने के पश्चात निर्देशानुसार ECS Cash Book एवं कटौती शिड्यूल की प्रति अध्यक्ष, हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के नाम से भिजवायी जानी है, कटौती शिड्यूल में कार्मिक के I.D. संख्या का आवश्यक रूप से उल्लेख करें, क्योंकि यही I.D. कार्मिक का खाता संख्या है, तद्नानुसार खातों में प्रविष्टियाँ की जाएगी।

अतः समस्त आहरण वितरण अधिकारी, हितकारी निधि अंशदान माह दिसम्बर, 2020 देय वेतन जनवरी, 2021 का निर्देशानुसार वेतन से कटौती कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

● **(सौरभ स्वामी)** आइ.ए.एस., निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं अध्यक्ष, हितकारी निधि राजस्थान, बीकानेर।

4. हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान वर्ष 2020-21 की कटौती वेतन बिलों से करने बाबत।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांकः शिविरा/मा./हि.नि./28203/2020-21 दिनांक : 09.11.2020 ● निदेशक, समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर ● समस्त संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, ● समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) (माध्यमिक/प्रारम्भिक) ● समस्त डाइट प्राचार्य, ● समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ● समस्त विशिष्ट संस्थाएँ, उप-पंजीयक कार्यालय ●विषय : हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान वर्ष 2020-21 की कटौती वेतन बिलों से करने बाबत।

उपर्युक्त विषय में लेख है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 21(7) शिक्षा-2/हितकारी निधि/2017 दिनांक 13.10.2017 एवं पत्रांक 15.06.2018 के द्वारा अनुमोदन उपरान्त हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान वर्ष 2018-19 से वेतन बिलों की आंतरिक राशि में से वेतन माह दिसम्बर देय जनवरी से प्रारंभ किया गया, उसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2020-21 में वेतन माह दिसम्बर, 2020 देय जनवरी, 2021 की कटौती पूर्व निर्धारित प्रक्रिया एवं दर से की जानी है।

हितकारी निधि वार्षिक अंशदान वेतन माह दिसम्बर, 2020 देय जनवरी, 2021 के सम्बन्ध में गत वर्ष की भाँति एक निर्देशिका इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, अतः इस सम्बन्ध में कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारी से सम्पर्क कर कटौती सुनिश्चित करावें एवं उक्त समस्त दस्तावेज अपने अधीनस्थों को प्रेषित कर आवश्यक मार्ग निर्देश प्रदान करें। इस सम्बन्ध में यदि आवश्यक हो तो निम्न मोबाइल नम्बर पर डायल कर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 9461244803, 9461479245

● **(पितराम सिंह),** उप निदेशक (प्रशासन) एवं सचिव हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

5. हितकारी निधि का अंशदान माह दिसम्बर, 2020 भुगतान जनवरी, 2021 सीधे ही वेतन बिलों की आंतरिक राशि में से कटौती करने हेतु मार्ग निर्देश।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● विषय : हितकारी निधि का अंशदान माह दिसम्बर, 2020 भुगतान जनवरी, 2021 सीधे ही वेतन बिलों की आंतरिक राशि में से कटौती करने हेतु मार्ग निर्देश।

01 वेतन माह दिसम्बर 2020 देय जनवरी 2021 हितकारी निधि अंशदान कटौती हेतु निदेशालय के परिपत्र का पूर्ण अवलोकन करें, परिपत्र अलग से जारी किया जा रहा है।

02 वार्षिक अंशदान परिपत्र अनुसार निर्धारित दर से किया जाना है।

03 प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी साथ संलग्न (क्र. सं. 1) के अनुसार एक पत्र अपने कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। उक्त पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किए जावें।

1. वेतन बिल के साथ (क्र. सं. 2) अनुसार प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा हितकारी निधि का कटौती शिड्यूल संलग्न किया जावें, जिसके अन्त में डीडीओ. के हस्ताक्षर मय कार्यालय मोहर एवं डीडीओ. कोड अंकित किया जावें।
2. पत्र के साथ निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 15.3.2018 एवं 19.12.2018 (क्र. सं. 3,4) संलग्न करें।
3. पत्र के साथ हितकारी निधि खाता संख्या 51020721611 की बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति संलग्न करें। (क्र. सं. 05)

04 बिन्दु संख्या 03 में अवगत कराए अनुसार पत्रादि तैयार कर संबंधित कोषालय/उप-कोषालय में पत्र प्रस्तुत कर कटौती सुनिश्चित करें।

05 पे-मैनेजर पर Add. Groupe Dependent Deducation के माध्यम पर Add. करवा कटौती करवाए।

06 दिसम्बर 2020 के वेतन बिल से कटौती हो जाने के पश्चात आप को अपने स्तर से कटौती के Option को डिलिट करना होगा, ताकि अगले माह पुनः कटौती ना हो जावें, इसका विशेष ध्यान रखा जावें, क्योंकि यह कटौती वार्षिक है।

07 दिसम्बर 2020 के वेतन से यदि किसी कारणवश वेतन आहरित नहीं हुआ है, तो जब भी दिसम्बर का वेतन आहरित हो उक्त प्रक्रिया से ही कटौती की जाए।

08 वेतन विपत्र से कटौती दिसम्बर, 2020 देय जनवरी, 2021 के वेतन से ही अनिवार्य रूप से की जानी है, यदि कटौती नहीं होती है तो हितकारी निधि की लाभकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।

09 वेतन विपत्र पारित होने के उपरान्त हितकारी निधि, अंशदान कटौती के शिड्यूल एवं ई.सी.एस. कैश बुक की एक प्रति हस्ताक्षरित प्रति, अध्यक्षक हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान, बीकानेर के नाम से प्रेषित करें, ताकि जमा राशि का मिलान किया जा सके।

10 पी.डी. खाते से जिनका वेतन आहरण किया जाता है, इस सम्बन्ध में वेतन आहरण अधिकारी ही शिड्यूल एवं ई.सी.एस. प्रति भिजवाने हेतु जिम्मेदार होंगे।

6. Add Group Dependent Deducation में कटौती शुरू करवाने बाबत।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी ● विषय : Add Group Dependent Deducation में कटौती शुरू करवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माह दिसम्बर, 2020 का वेतन जो माह जनवरी, 2021 में देय होगा जिसमें समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से हितकारी निधि फण्ड के लिए वार्षिक अंशदान की कटौती की जानी है। उक्त कटौती पै-मैनेजर में Add Group Dependent Deducation से की जानी है।

इस प्रकार से काटी गई राशि हितकारी निधि में निम्नानुसार जमा की जानी है।

01	Bank Account No.	51020721611
02	Bank IFSC Code	SBIN0031347
03	Bank Branch	के.ई.एम. रोड, शाखा, बीकानेर।

वर्तमान में Add Group Dependent Deducation में कटौती वर्ष 2018-19 से प्रारंभ की गई है। अतः पूर्वानुसार कृपया Add Group Dependent Deducation में कटौती शुरू करवाने का श्रम करावें। इस कार्यालय की ऑफिस आई.डी. .....है।

क्र.सं.	ग्रुप का नाम जिसमें कटौती की जानी है।
01	हितकारी निधि

हस्ताक्षर
DDO;-
Code No.:-

7. Add Group Dependent Deducation में कटौती शुरू करवाने बाबत।

● राजस्थान सरकार निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर ● क्रमांकः एफ.5(थ-75) कोष/ IFMS/ Paymanager/21318 दिनांकः 15.03.2020 ● निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। ● विषय : Add Group Dependent Deducation में कटौती शुरू करवाने बाबत। ● संदर्भः आपका पत्र दिनांक 07.02.2018 ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र द्वारा Add Group Dependent Deducation Pay manager System में हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान आहरण एवं वितरण अधिकारियों के मार्फत वेतन बिलों की आंतरिक राशि में से कटौती कर एस.बी.आई. खाता संख्या 51020721611 में जमा करवाने का विकल्प उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में लेख है कि उक्त सुविधा कोषाधिकारी लॉगिन में उपलब्ध है। अतः तदानुसार संबंधित कोषाधिकारी से सम्पर्क कर वांछित कार्यवाही करवाया जाना अपेक्षित हैं।

● **(मंजुला वर्मा)** निदेशक

8. शिक्षा विभाग के कार्मिकों के वेतन में हितकारी निधि डिडक्शन जोड़ने के क्रम में।

● राजस्थान सरकार निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर ● क्रमांकः एफ.5(थ-75)कोष/ IFMS/ Paymangager/9966-10006 दिनांकः 19.12.2018 ● कोषाधिकारी, समस्त। ● विषय : शिक्षा विभाग के कार्मिकों के वेतन में हितकारी निधि डिडक्शन जोड़ने के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शिक्षा विभाग के कार्मिकों के वेतन से हितकारी निधि की डिडक्शन (जो माह दिसम्बर देय माह जनवरी के वेतन के की जानी है) जोड़ने को को-ऑपरेटिव डिडक्शन के रूप में जोड़ने की सुविधा डीडीओ. लॉगिन में उपलब्ध है, जिसका पाथ निम्नानुसार हैः-

DDO Login Deducation Master Co-Operative Deducation

अतः संबंधित डीडीओ अपने स्तर से उक्त डिडक्शन को जोड़े जाने से हेतु निर्देशित करें।

● **(अमिता शर्मा)** अतिरिक्त निदेशक (IFMS)

9. APAR के सम्बन्ध में।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● विषय : APAR के सम्बन्ध में। ● परिपत्र।

APAR (Annual Performance Appraisal Report) एक महत्त्वपूर्ण राजकीय दस्तावेज है। प्रत्येक सरकारी कार्मिक (लोकसेवक) के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रतिवर्ष APAR के माध्यम से किया जाता है। APAR में कार्मिक के कार्य, आचरण, चरित्र और क्षमताओं को दर्ज किया जाता है। प्रत्येक राजकीय कार्मिक के लिए आवश्यक है वह अपने पदानुरूप दायित्त्व का नियमित मूल्यांकन करे। वह स्वयं इस तथ्य की समीक्षा करे कि राजकीय कार्मिक के रूप में जो कार्य/लक्ष्य उसे सौंपे गए हैं उनकी प्रगति/प्राप्ति किस स्तर तक हुई है, ताकि वह आगामी समय में सुधार कर अपनी कार्य क्षमताओं में वृद्धि कर सके।

APAR प्रणाली का एक अन्य उद्देश्य कर्मचारियों के गुणों, लक्षणों, शक्तियों और कमजोरियों के बारे में उच्चतर अधिकारियों को जानकारी प्रदान करना है ताकि उन्हें उन दायित्त्वों को सौंपा जा सके जहाँ उनकी योग्यता का सबसे अधिक उपयोग किया जा सके। APAR प्रणाली कर्मचारियों की योग्यता का आंकलन करने के लिए डेटा भी प्रदान करती है जब पुष्टि, पदोन्नति, चयन ग्रेड, दक्षता पार करने और एक निश्चित आयु से परे सेवा में निरंतरता या कुछ वर्ष की सेवा पूरी होने पर उपयोगी होते हैं। इस प्रकार, APAR विभिन्न प्रयोजनों के लिए बुनियादी और महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इसलिए सभी कार्मिकों को जिम्मेदारी के साथ APAR फॉर्म भरने का कार्य करना चाहिए।

व्याख्या- यदि इन निर्देशों के आवेदन, व्याख्या और दायरे से संबंधित कोई भी संदेह उत्पन्न होता है, तो कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 05.06.2008 में प्रदत्त निर्देश और समय-समय पर कार्मिक विभाग द्वारा जारी संशोधन मान्य होंगे और तत्सम्बन्धी निर्णय अंतिम होगा।

1. वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में रखे जाने वाले दस्तावेज- वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अतिरिक्त निम्न निर्दिष्ट दस्तावेजों और संचार की प्रतियाँ वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन डोजियर में रखी जाएगी।

A. राष्ट्रपति/राज्य सरकार द्वारा दिए गए पुरस्कारों की प्रतियाँ।
B. सरकार द्वारा जारी किए गए प्रशंसा-पत्र।
C. विशेष निकायों के प्रमुखों द्वारा जारी किए गए प्रशंसा पत्र या आयोग या ऐसे निकायों की रिपोर्ट में शामिल नाम से सराहना के पैराग्राफ।
D. व्यक्तिगत गैर-अधिकारियों से प्रशंसा के पत्र अगर वे सचिव के पूर्व अनुमोदन से विभाग के प्रमुख/ विभाग के अनुमोदन के साथ सामान्य कर्त्तव्य से परे सेवा की सराहना से संबंधित है।
E. अधीनस्थ/मंत्रालयिक सेवा से संबंधित कर्मचारी संबंध में विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किए गए प्रशंसा पत्र।
F. राजस्थान सिविल सेवा (CC & A) नियमों में निर्दिष्ट किसी भी दंड को लागू करने के आदेश की प्रतियाँ।
G. नियुक्ति अधिकारी या उच्च अधिकारियों द्वारा लोकसेवक के कार्य व व्यवहार पर नाराजगी या चेतावनी देते हुए जारी किए गए पत्र की प्रतियाँ।

H. संबंधित लोकसेवक द्वारा किए गए अध्ययन या प्रशिक्षण के अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अभिलेख।

2. वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) का रखरखाव

i. प्रत्येक लोकसेवक का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का डोजियर निर्धारित चैनल के अनुरूप स्वीकारकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रखा जाएगा।

ii. APAR की डुप्लीकेट प्रतियों का रखरखाव वांछनीय नहीं है। हालांकि, यदि प्रतिवेदन की प्रतियों को बनाए रखना आवश्यक माना जाता है, तो कार्मिक विभाग की विशिष्ट स्वीकृति लेनी होगी।

iii. अपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसे संबंधित प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी को वापस कर दिया जाए। अपूर्ण प्रतिवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाए।

iv. किसी मृत कर्मचारी से संबंधित प्रदर्शन उसकी मृत्यु तारीख से दो वर्ष की अवधि के बाद नष्ट किया जा सकता है और सेवानिवृत्त लोकसेवक की उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के पाँच साल बाद या पेंशन लाभ के निपटाने के बाद, जो भी बाद में हो।

3. वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) का प्रारूप– APAR को भरने के उद्देश्य से कर्मचारियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इन श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए, एक अलग प्रारूप निर्धारित किया गया है और निम्नानुसार इन निर्देशों के लिए संलग्न है–

क्र.सं.	श्रेणी	प्रपत्र
1.	जिला व मण्डल स्तर के पदों को धारण करने वाले राज्य सेवा के लोकसेवक	फार्म–I
2.	जिला व मण्डल स्तर के पदों के अलावा अन्य पदों को धारण करने वाले राज्य सेवा के लोकसेवक	फार्म–II
3.	अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाओं पर कार्यरत लोकसेवक	फार्म–III

4. रिपोर्टिंग की अवधि

1. कार्यालय में कार्यरत समस्त लोकसेवकों के संबंध में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष के आधार पर तैयार किया जाएगा।

2. विद्यालय में कार्यरत समस्त लोकसेवकों (मंत्रालयिक कार्मिक वित्तीय वर्ष के आधार पर) के संबंध में APAR 01 जुलाई से 30 जून के आधार पर तैयार किया जाएगा।

3. यदि किसी लोकसेवक ने संबंधित प्रतिवेदक अधिकारी के अधीन/सुपरविजन में न्यूनतम 03 माह की अवधि में कार्य नहीं किया है तो संबंधित लोकसेवक की APAR तैयार नहीं की जाएगी।

4. किसी कर्मचारी की एक ही वर्ष की अवधि में (भिन्न–भिन्न नियंत्रण अधिकारी के अधीन 3 या 3 माह से अधिक सेवा अवधि होने पर) 2 या 2 से अधिक प्रतिवेदन (APAR) भी हो सकते है, लेकिन उनमें से पहला प्रतिवेदन उस नियंत्रण अधिकारी के स्थानान्तरण के तत्काल बाद का होना चाहिए। वर्ष के अंत की प्रतीक्षा नहीं करनी है।

यदि वर्ष के मध्य में समीक्षक अधिकारी या स्वीकारकर्ता अधिकारी परिवर्तित हुए हैं लेकिन प्रतिवेदक अधिकारी वही रहते हैं तो नए सिरे से प्रतिवेदन लिखने की आवश्यकता नहीं है।

यदि रिपोर्टिंग अवधि में एक से अधिक समीक्षक अधिकारी रहते हैं तो अंत में आए अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन की समीक्षा की जाएगी लेकिन शर्त यह है कि उस अधिकारी के द्वारा संबंधित कार्मिक के कार्य को कम से कम 3 माह की अवधि का सुपरविजन किया गया हो। यदि ऐसा नहीं है तो पूर्व के समीक्षा अधिकारी का प्रतिवेदन मान्य होगा, लेकिन यहाँ भी शर्त कम से कम 3 माह के सुपरविजन की रहेगी।

5. जहाँ एक प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी ने किसी भी प्रकार का अवकाश (उपार्जित/अर्द्धवैतनिक आदि) लिया है या लंबे समय तक प्रशिक्षण पर रहता है (प्रतिवेदन अवधि के दौरान 15 दिन से अधिक) तो APAR लिखने/समीक्षा करने हेतु आवश्यक न्यूनतम 03 महीने की अवधि की गणना के लिए उक्त अवकाश/प्रशिक्षण की अवधि को कुल अवधि से घटाया जाना चाहिए। हालांकि न्यूनतम प्रतिवेदन अवधि का यह सिद्धांत अनाधिकृत अनुपस्थिति के मामले में लागू नहीं होगा जहाँ ऐसी अनुपस्थिति के लिए संबंधित लोकसेवक APAR में प्रतिकूल प्रविष्टि की जानी है। कम अवधि के अवकाश/प्रशिक्षण को उक्त उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं माना जाना चाहिए।

6. पर्सनल/असिस्टेंट/पर्सनल सेक्रेटरी के APAR की समीक्षा की आवश्यकता नहीं है।

7. APAR में किसी व्यक्ति के काम और आचरण के बारे में उसकी टिप्पणी लिखने के लिए प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारी के अलावा किसी भी प्राधिकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं है। परन्तु जिला स्तर के अधिकारियों के मामले में, संबंधित जिला कलेक्टर तथा संभाग स्तर के अधिकारियों के मामले में संभागीय आयुक्त, प्रतिवेदन अधिकारी से प्राप्त APAR पर निर्धारित स्थान पर अपनी टिप्पणी कर समीक्षक अधिकारियों को प्रेषित करेंगे।

8. प्रतिवेदन की प्रत्येक अवधि के लिए, किसी भी परिस्थिति में एक से अधिक प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी नहीं होने चाहिए। हालाँकि, कुछ मामलों में प्राधिकारी के रूप में अपनी टिप्पणी दर्ज करने के लिए एक से अधिक अधिकारी हो सकते हैं।

5. लोकसेवक (Reportee) की जिम्मेदारियाँ:–

1. लोकसेवक को अपने कैडर के लिए निर्धारित APAR फॉर्म का उपयोग करना चाहिए यथा– फार्म I, II या III आदि।

2. प्रत्येक लोकसेवक की जिम्मेदारी होगी कि वह तय समय–सारणी के अनुसार भाग–I को पूर्ण करने के बाद अपने प्रतिवेदक अधिकारी को अपने कैडर के अनुरूप APAR फॉर्म प्रस्तुत करे।

3. APAR की तारीख और अवधि सही हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

4. APAR के प्रत्येक पृष्ठ पर लोकसेवक अपना नाम, पद, विषय (यदि कोई हो) जन्मतिथि, मूल्यांकन वर्ष, एम्पलॉय आईडी एवं हस्ताक्षर अवश्य अंकित करे।

5. APAR में स्व-मूल्यांकन के संबंध में लोकसेवकों के लिए आवश्यक प्रविष्टियाँ बनाने के लिए पर्याप्त स्थान आवंटित किया गया है और उन्हें आवंटित स्थान पर अपना स्व-मूल्यांकन अंकित करना चाहिए। APAR फॉर्म सबमिट करते समय स्टेटमेंट्स और सर्टिफिकेट्स के साथ-साथ सेल्फ एप्रिसिएशन का विवरण आदि वांछनीय नहीं है।

6. प्रतिवेदक अधिकारी (Reporting Officer) की जिम्मेदारियाँ-

1. प्रतिवेदक अधिकारी का कर्त्तव्य होगा कि वह निर्धारित मापदंडों पर ध्यान से विचार करे /या लोकसेवकों को सौंपे गए कर्त्तव्यों को अपनी राय दर्ज करने से पहले बताए। जहाँ कोई मापदंड तय नहीं हैं, वहाँ प्रतिवेदक अधिकारी को प्रतिवेदन अवधि की शुरूआत से पहले सम्भव मात्रा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। यदि वर्ष की शुरूआत या प्रतिवेदन की अवधि में कोई लक्ष्य नहीं सौंपा गया है, तो APAR बहुत अधिक व्यक्तिपरक होगा, अपरिहार्य है। प्रतिवेदक अधिकारी को जल्दबाजी में राय नहीं बनानी चाहिए या अपर्याप्त आँकड़ा/सूचना या अफवाह के आधार पर निष्कर्ष पर नहीं पहुँचना चाहिए।

2. वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के भाग संख्या II के बिंदु संख्या 01 के तहत विभिन्न प्रविष्टियों में प्रतिवेदक अधिकारी सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, प्रत्येक प्रविष्टि के सम्मुख अंकित पाँच में से किसी एक बॉक्स में अपने लघु हस्ताक्षर अवश्य अंकित करें, कोई टिप्पणी या सही (✓) का निशान अंकित नहीं किया जाए।

3. भाग संख्या II के बिंदु संख्या 02 (क) लोकसेवक के सामान्य मूल्यांकन से संबंधित है। इसमें प्रतिवेदक अधिकारी को आवश्यक रूप से और बुद्धिमानी से संबंधित व्यक्ति के प्रदर्शन और क्षमताओं का आंकलन करना चाहिए। इसमें उन तरीकों पर भी टिप्पणी करनी चाहिए जिनके द्वारा संबंधित लोकसेवक ने इस अवधि के दौरान अपने विभिन्न कर्त्तव्यों को पूरा किया है। रिपोर्ट करने वाले अधिकारी द्वारा मूल्यांकन करते समय संबंधित लोकसेवक के सामान्य महत्त्व के कुछ गुण जैसे कि बुद्धिमत्ता, उत्सुकता, परिश्रम, चातुर्य, वरिष्ठों के प्रति रवैया, अधीनस्थों और आम जनता, साथी-कर्मचारियों के साथ संबंध, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/समाज के कमजोर वर्ग के लोगों, निःशक्तजन के प्रति संवेदनशीलता आदि पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा इसमें लोकसेवक के चरित्र, व्यक्तित्व, आचरण, योग्यताओं, कमियों और क्षमताओं का सामान्य उल्लेख भी होना चाहिए।

4. प्रतिवेदक अधिकारी को न केवल अपने अधीनस्थ के कार्यों और गुणों का एक वस्तुपरक मूल्यांकन करना चाहिए बल्कि उनके दोषों को ठीक करने के लिए आवश्यक सलाह, मार्गदर्शन और सहायता अपने अधीनस्थों को हर समय देनी चाहिए। इस तरह की सलाह या आलोचना को भाग संख्या II के बिंदु संख्या 2 (ख) में दर्ज किया जाना चाहिए।

5. प्रतिकूल प्रविष्टियाँ, यदि कोई हो तो APAR फॉर्म के निर्धारित स्थान पर ही दर्ज की जानी चाहिए और कहीं नहीं। यदि किसी लोकसेवक को लगातार सुधार/मार्गदर्शन के बावजूद वह सुधार दिखाने में विफल रहता है तो प्रतिकूल टिप्पणी APAR में दर्ज की जानी चाहिए। किसी भी दोष की प्रविष्टि करते समय प्रतिवेदनक अधिकारी द्वारा किए गए सुधारात्मक प्रयासों और इन प्रयासों के परिणाम का उल्लेख करना चाहिए।

6. समग्र मूल्यांकन के कॉलम को भरने के दौरान, प्रतिवेदक अधिकारी को लोकसेवक की समग्र ग्रेडिंग/विशिष्ट वर्गीकरण अर्थात 'उत्कृष्ट', 'बहुत अच्छा', 'अच्छा', 'संतोषजनक', 'असंतोषजनक' में संबंधित एक श्रेणी में अपने लघु हस्ताक्षर के रूप में प्रविष्टि अंकित करनी चाहिए। कोई टिप्पणी या सही (✓) का निशान अंकित नहीं किया जाए। उसे इन श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य श्रेणी या दो श्रेणी के मध्य की स्थिति यथा 'अच्छे और बहुत अच्छे के बीच' या 'बहुत संतोषजनक' आदि दर्ज नहीं किया जाना है।

7. समग्र मूल्यांकन के आधार पर कॉलम को भरने के दौरान, प्रतिवेदक अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऊपर (बिन्दु सं. 6) में बताए अनुसार दर्ज की गई ग्रेडिंग टिप्पणी के अनुसार हो, जैसा कि भाग-II के बिंदु संख्या 5 के तहत आवश्यक है अर्थात यदि किसी व्यक्ति को बिंदु संख्या 1 में 'असंतोषजनक' श्रेणीबद्ध किया जाता है, तो उसी ग्रेडिंग को बिन्दु संख्या 5 में दर्ज किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि समग्र मूल्यांकन बिंदु संख्या 1 से बिन्दु संख्या 2 में की गई टिप्पणी/प्रविष्टियों के अनुसार होना चाहिए।

7. समीक्षक अधिकारी (Reviewing Officer) की जिम्मेदारियाँः-

1. हालांकि एक उच्च अधिकारी के लिए अपने से दो या दो से अधिक ग्रेड के नीचे वृहद संख्या में कार्यरत लोकसवेकों को जानना कठिन हो सकता है, फिर भी उसका उन लोकसेवकों के चरित्र, प्रदर्शन और क्षमता का समग्र मूल्यांकन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि सुधारात्मक कार्य किया जा सके। किसी लोकसेवक का अगला उच्चाधिकारी (प्रतिवेदक अधिकारी) अपने निर्णय में हो सकता है कि पूरी तरह निष्पक्ष हो, फिर भी कभी-कभी उसका निर्णय अत्यंत संकीर्ण और व्यक्तिपरक हो सकता है इसलिए प्रतिवेदक अधिकारी से उच्चतर अधिकारी यानी समीक्षक अधिकारी को उन लोकसेवकों के कार्य और आचरण के बारे में व्यक्तिगत रूप से पता होना चाहिए और उनको प्रति अपना स्वयं का निर्णय स्थापित करना चाहिए

जिनकी APAR भरी जा रही है।

2. भाग III या भाग IV (जो भी लागू हो) के बिन्दु संख्या 1 के तहत अपनी टिप्पणी करते समय अधिकारी को तद्नुसार प्रतिवेदक अधिकारी की टिप्पणियों पर सकारात्मक और स्वतंत्र निर्णय का प्रयोग करना चाहिए और उन टिप्पणियों के साथ स्पष्ट रूप से अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करनी चाहिए। प्रतिकूल टिप्पणी के मामले में यह विशेष रूप से आवश्यक है कि वहाँ उच्चतर अधिकारी की राय को सही मूल्यांकन के रूप में माना जाएगा।

3. प्रतिवेदक अधिकारी की टिप्पणी की शुद्धता को सत्यापित करने की जिम्मेदारी समीक्षक अधिकारी की है। यदि समीक्षा करने वाला अधिकारी लोकसेवक के कार्य से पर्याप्त रूप से परिचित नहीं है, जिस पर उसको स्वयं के उचित और स्वतंत्र निर्णय पर पहुँचने में सक्षम होने के रूप में सूचित किया गया है, तो वह इस संबंध में पूछताछ कर सकता है जिससे वह सही निर्णय ले सके।

4. प्रतिवेदक अधिकरी से समीक्षा हेतु प्राप्त APAR में यदि प्रविष्टियाँ पर्याप्त रूप से सार्थक नहीं है या अस्पष्ट या अप्रतिबद्ध हो तो ऐसे प्रतिवेदन को प्रवर्धन या स्पष्टीकरण के लिए प्रतिवेदक अधिकारी को वापस किया जाना चाहिए।

5. जहाँ प्रतिवेदक अधिकारी ने प्रतिकूल प्रविष्टियाँ दर्ज की हैं, समीक्षक अधिकारी प्रतिवेदक अधिकारी के साथ ऐसी प्रतिकूल प्रविष्टियों पर चर्चा कर सकता है और प्रतिकूल प्रविष्टियों सहित प्रतिवेदन संशोधित यथा निम्नगत/क्रमोन्नत (Down-grade/Up grade) कर सकता है।

6. समीक्षा अधिकारी को लोकसेवक के समग्र ग्रेडिंग/विशिष्ट वर्गीकरण अर्थात 'उत्कृष्ट', 'बहुत अच्छा', 'अच्छा', 'संतोषजनक', 'असंतोषजनक' भाग III के बिंदु संख्या 2 पर दर्ज करना होगा। समीक्षा अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा किया गया समग्र मूल्यांकन भाग III या भाग IV में इस प्रयोजन के लिए प्रदान की गई जगह में उसके द्वारा दर्ज की गई वर्णनात्मक टिप्पणियों के अनुरूप हो। समीक्षा करने / स्वीकार करने वाले अधिकारी को अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन को डाउन-ग्रेड/अपग्रेड करने का अधिकार है, जहाँ इसे सार्वजनिक हित में समीचीन माना जाता है। ऐसा करते समय, न केवल अधिकारी को प्रतिवेदक या समीक्षा करने वाले अधिकारी के मूल्यांकन के साथ अपनी असहमति व्यक्त करनी चाहिए, बल्कि इस तरह के डाउन-ग्रेडेशन/अपग्रेडेशन के विशिष्ट कारणों को भी प्रदान किए गए स्थान पर ही प्रपत्र में दर्ज किया जाना चाहिए।

8. **स्वीकारकर्ता (Accepting Officer) अधिकारियों की जिम्मेदारियाँ:–** यह स्वीकार करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह प्रतिवेदक और समीक्षा करने वाले अधिकारियों द्वारा यहाँ दिए गए निर्देशों के अनुसार APAR को भरें। जहाँ प्रविष्टियाँ पर्याप्त रूप से सार्थक नहीं है तो ऐसे प्रतिवेदन को प्रतिवेदक/समीक्षा अधिकारी को प्रवर्धन या स्पष्टीकरण के लिए लौटाया जाना चाहिए।

9. **APAR लिखने के लिए सामान्य निर्देश**

1. 'संदिग्ध चरित्र', 'अनुचित लाभ प्राप्त करने की शिकायतें' जैसे रिमार्क्स स्वीकार्य नहीं है। प्रविष्टियाँ स्थापित तथ्यों पर आधारित नहीं होनी चाहिए न कि केवल संदेह पर। जो तथ्य, मूल्यांकन, निष्कर्ष आदि विरोधाभासी है उन्हें APAR को लिखते/समीक्षा/स्वीकार करते समय टाला जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रतिवेदन के समय से पहले के तथ्यों, घटनाओं और परिस्थितियों का उल्लेख APAR में नहीं किया जाना चाहिए।

2. प्रतिवेदन लिखने वाले अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि APAR लिखने के लिए वह सक्षम है। इसे विशेष रूप से प्रतिवेदन अवधि वर्ष की जाँच करनी चाहिए और स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि उसे निश्चित रूप से प्रतिवेदन अवधि के लिए संबंधित लोकसेवक हेतु सक्षम प्रतिवेदक/समीक्षा/स्वीकार करने का अधिकार था।

3. APAR लिखने के लिए समय-सारिणी में दिए गए समय का पालन किया जाना चाहिए। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 13(48) कार्मिक (क-1)/गोप्र/77 दिनांक 16.07.1980 एवं एफ.13 (51)कार्मिक/ए-।/एसीआर/08 दिनांक 05.06.2008 में स्पष्ट प्रावधान है कि निर्धारित तिथि तक लोकसेवक द्वारा प्रतिवेदन के भाग-। की पूर्ति कर समय पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो प्रतिवेदक अधिकारी निर्धारित तिथि पश्चात प्रतीक्षा नहीं करें तथा कार्यालय अभिलेख से भाग-। की पूर्ति करें एवं अपनी टिप्पणी अंकित कर सम्बन्धित समीक्षक अधिकारी को भिजवा दें। यह प्रतिवेदक अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

4. प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी APAR पर अपनी टिप्पणी अंकित करते समय इस बात की पुष्टि अवश्य करें कि उसने अपने अधीनस्थ सभी लोकसेवकों को APAR पर प्रतिवेदन/समीक्षक टिप्पणी अंकित कर सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत कर दिए हैं। APAR उच्च अधिकारी को भेजने से पूर्व संधारण रजिस्टर (संलग्न प्रपत्र-'B') में प्रत्येक संवर्ग व पदवार इन्द्राज अवश्य किया जावे।

5. सेवानिवृत्त होने वाले प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी का वैधानिक कर्त्तव्य है कि उनके अधीन कार्यरत लोकसेवक जिसने कम से कम तीन माह से अधिक समय तक कार्य किया हो उनका APAR प्रतिवेदन अवश्य भरें अन्यथा उनको अदेय प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा।

6. तीन वर्षों से पूर्व के प्रतिवेदन राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-14(29)कार्मिक/एसीआर/73 दिनांक 19.07.1985 के अनुसार स्वीकार योग्य नहीं है। अतः तीन वर्षों से पूर्व के मूल प्रतिवेदन तैयार नहीं करवाए जाएँ, इसके स्थान पर तीन वर्ष से पूर्व के प्रतिवेदन प्रतिवेदक अधिकारी स्वयं द्वारा कार्यालय अभिलेख के आधार पर (कार्यालय स्तर पर) तैयार कर भिजवाए जाएँ। ध्यान रहे कि ऐसे

प्रतिवेदनों में समग्र मूल्यांकन संतोषप्रद से ऊपर की श्रेणी का नहीं भरा जावे।

7. प्रतिवेदक अधिकारी लोकसेवक के प्रतिवेदन पर टिप्पणी अंकित करने से पूर्व जाँच करे कि लोकसेवक द्वारा अपने विभाग का मूल पद, मूल विषय, कार्य करने की सेवा अवधि, वर्तमान पद का चयन वर्ष, उस वर्ष का बोर्ड परीक्षा का परिणाम आदि सही रूप से भरा है अथवा नहीं? लोकसेवक का मूल पद एवं विषय का सही उल्लेख नहीं होने के कारण प्रतिवेदन संधारण में असुविधा एवं अनावश्यक विलम्ब होता है।

8. प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी और स्वीकारकर्ता अधिकारी का नाम उनके हस्ताक्षरों के बाद संबंधित पदनामों के साथ स्पष्ट रूप से बड़े अक्षरों में दर्शाया जाना चाहिए। प्रतिवेदक अधिकारी प्रतिवेदन के भाग-I की प्रविष्टियों को प्रमाणित कर अपने हस्ताक्षर अंकित करें। भाग-II की पूर्ति के पश्चात अपनी मोहर अवश्य लगाए, जिसमें अपना नाम, पदनाम का स्पष्ट उल्लेख हो। यदि पदस्थापन स्थान परिवर्तित हो गया है तो पूर्व स्थान की मोहर तथा वर्तमान पदस्थापन की मोहर दोनों लगावें। उल्लेखित पदनाम प्रतिवेदन की अवधि से संबंधित होना चाहिए। उपर्युक्त प्रक्रिया समीक्षक अधिकारी द्वारा भाग-II एवं भाग-III में भी अपनाई जावे।

9. जिला स्तरीय अधिकारियों के APAR प्रतिवेदक अधिकारी की टिप्पणी के बाद सम्बन्धित जिला कलेक्टर की टिप्पणी हेतु एवं मंडल स्तरीय अधिकारियों का प्रतिवेदन प्रतिवेदक अधिकारी की टिप्पणी के बाद सम्बन्धित संभागीय आयुक्त को प्रेषित किया जाएगा। कलेक्टर/संभागीय आयुक्त अपनी टिप्पणी के बाद APAR समीक्षक अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

10. बोर्ड परीक्षा का परिणाम APAR में अवश्य अंकित करने के साथ-साथ परीक्षा परिणाम की प्रमाणित प्रति में संलग्न करें। न्यून परीक्षा परिणाम की स्थिति में प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी अपनी टिप्पणी में इसका उल्लेख अवश्य करें। चूंकि शिक्षा विभाग में संस्थाप्रधानों/व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक का परीक्षा परिणाम मुख्य उपलब्धि की श्रेणी में आता है, अतः जिन कार्मिकों का परीक्षा परिणाम न्यून है, अन्य उपलब्धियाँ चाहे जितनी भी श्रेष्ठ हो उनका समग्र मूल्यांकन अच्छा से ऊपर अंकित नहीं किया जाए। इसकी पालना कठोरता से की जाए, ताकि प्रतिवेदन संधारण में अनावश्यक पत्र व्यवहार न करना पड़े।

11. APAR में प्रतिकूल प्रविष्टि का इन्द्राज प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी उस समय तक नहीं करे जब तक कि प्रतिकूल प्रविष्टि के साक्ष्य में उनके पास पर्याप्त ठोस प्रमाण न हो। प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल प्रविष्टि को समीक्षक अधिकारी, प्रतिवेदक अधिकारी से लिखित सलाह मशविरा कर ही निरस्त कर सकता है।

12. प्रतिवेदक यह सुनिश्चित करें कि बिन्दु संख्या 1 से 2 तक में की गई अभियुक्तियों एवं बिन्दु संख्या 5 में किए गए समग्र मूल्यांकन में एकरूपता हो। बिन्दु 1 से 2 तक में कहीं पर भी प्रतिकूल अभियुक्ति नहीं होने पर बिन्दु संख्या 5 में तद्नुरूप ही समग्र मूल्यांकन किया जाए। यदि कहीं पर भी कोई प्रतिकूल अभियुक्ति हो तो समग्र मूल्यांकन भी असंतोषप्रद ही किया जाए।

13. समीक्षक अधिकारी प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा किए गए समग्र मूल्यांकन को उस स्थिति में ही परिवर्तित कर सकता है जबकि वह कार्मिक एवं उसके व्यवहार से पूर्णतया परिचित हो तथा प्रतिवेदक द्वारा किए गए मूल्यांकन को परिवर्तित करने के उसके पास ठोस प्रमाण हो। समग्र मूल्यांकन परवर्तित करते समय वह उन पर्याप्त कारणों/औचित्य का उल्लेख अपनी समीक्षक टिप्पणी में अवश्य अंकित करें, तत्पश्चात ही किए गए समग्र मूल्यांकन को परिवर्तित करें।

14. समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी को प्रतिवेदक अधिकारी के अभिमत से सहमति/असहमति दोनों ही स्थितियों के संबंध में स्पष्ट तथ्यों सहित अभिमत अभिलिखित करना चाहिए। विशेषतः उच्च अधिकारी के अभिमत को मूल्यांकन की दृष्टि से सर्वोत्तम माना जाता है अतः उच्च अधिकारीगण को प्रतिकूल प्रविष्टियों एवं प्रविष्टियों को निम्नगत/क्रमोन्नत (Down grade / Up grade) करने की स्थिति में मूल्यांकन के साथ-साथ स्वयं की टिप्पणियों के बारे में सकारण विवरण आवश्यक रूप से अंकित करना चाहिए।

15. पातेय वेतन व्यवस्था के कार्यरत लोकसेवक APAR प्रतिवेदन जिस मूल पद से चयनित किए गए हो उसके संधारण अधिकारी द्वारा ही निर्धारित किए जाएँगे।

16. अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले लोकसेवक मूल पद एवं विषय, मूल विभाग का ही अंकित करें। सम्बन्धित प्रतिवेदक अधिकारी भी अपनी प्रतिवेदन टिप्पणी अंकित करने से पूर्व विशेष रूप से इसकी जाँच करें।

17. कार्मिक विभाग के पत्रांक प. 13(51)/का./क-1/गो.प./2016 जयपुर दिनांक 17.05.2018 के अनुसार राजपत्रित अधिकारियों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के साथ संलग्न अचल सम्पत्ति विवरण प्रपत्र को हटा दिया गया है। डीपीसी के वक्त संबंधित कार्यालय अपने अधीन कार्यरत राजपत्रित अधिकारी जिसकी डीपीसी प्रस्तावित है का अचल सम्पत्ति विवरण जो कि स्वयं राजपत्रित अधिकारी ने SSO ID द्वारा ऑनलाइन किया है कि स्व-प्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।

10. APAR लिखने के लिए सक्षम/अक्षम

1. <u>अधिकारी के निलंबन के तहत</u>- यदि प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी निलंबन के अधीन है, तो उसकी ड्यूटी के समय कार्यरत रहे लोकसेवकों की वह APAR लिखने/समीक्षा करने में सक्षम नहीं होगा।

2. <u>रिश्तेदार की APAR</u> - अधिकारी अपने करीबी रिश्तेदार की APAR को लिखने या समीक्षा करने के लिए अधिकृत नहीं है।

3. तीन महीने से कम की अवधि– प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी उन लोकसेवकों की APAR को लिखने/समीक्षा के सक्षम नहीं है जिन लोकसेवकों ने उनके सुपरविजन में 03 माह से कम अवधि हेतु काम किया है।

4. न्यायालय में साक्ष्य– जहाँ किसी लोकसेवक ने प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी के खिलाफ न्यायालय के समक्ष सबूत पेश किए हैं, वहाँ प्रतिवेदक/समीक्षा करने वाला अधिकारी संबंधित लोकसेवक की APAR लिख नहीं सकते हैं/समीक्षा नहीं कर सकते हैं।

5. वे लोकसेवक जिन्हें निलंबन के तहत रखा गया है अथवा पोस्टिंग आदेश की प्रतीक्षा में है अथवा पोस्टिंग आदेश की प्रतीक्षा में है अथवा अध्ययन अवकाश पर है उनकी उक्त अवधि की APAR तैयार नहीं की जाएगी।

6. प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकृति अधिकारी की सेवानिवृत्ति– जब प्रतिवेदक/समीक्षा/स्वीकारकर्ता अधिकारी सेवानिवृत्ति हो जाता है या कार्यालय से किसी कारण से वंचित हो जाता है, तो वह APAR से संबंधित दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकता और न ही पूर्व में किसी APAR में अपने द्वारा अंकित की गई प्रतिकूल प्रविष्टि के खिलाफ प्रस्तुत अभ्यावेदन पर टिप्पणियाँ दे सकता है।

7. पुनर्नियुक्त कर्मचारी– पुनर्नियोजन पर एक सेवानिवृत्त अधिकारी इस पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान उसके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों का APAR लिखने, समीक्षा करने या स्वीकार करने (इनमें से कोई भी मामला हो) के लिए सक्षम होगा। हालांकि, ऐसा कोई अधिकारी उस समय के APAR को लिखने/समीक्षा करने/स्वीकार करने में सक्षम नहीं होगा (यदि कोई हो) जो उस प्रासंगिक समय में लिखा/समीक्षा/स्वीकार नहीं किया गया था, जब वह पुनर्नियोजन से पहले सेवा में था। (अर्थात सेवानिवृत्त नहीं हुआ था तब का कोई बकाया मामला अब वह पूरा करने हेतु अधिकृत नहीं है)

8. अतिरिक्त प्रभार धारण करने वाला अधिकारी के संबंध में– यदि किसी प्रतिवेदक/समीक्षा करने वाले अधिकारी ने तीन महीने से अधिक समय तक अतिरिक्त प्रभार संभाला है और जिस व्यक्ति को रिपोर्ट किया गया है, उससे वरिष्ठ है, तो वह अतिरिक्त प्रभार की क्षमता में उन लोकसेवकों के APAR लिख सकता है, जिनके कार्य का पर्यवेक्षण किया था।

9. जहाँ प्रतिवेदक अधिकारी किसी विशेष अवधि के लिए कर्मचारी के संबंध में एक प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में APAR को लिखने के लिए सक्षम नहीं है, वहाँ रिपोर्ट (APAR) समीक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में लिखी जाएगी और स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा समीक्षा अधिकारी और स्वीकारकर्ता अधिकारी दोनों के रूप में रिपोर्ट लिखी जाएगी।

   यदि कोई अधिकारी किसी विशेष अवधि के लिए किसी कर्मचारी के APAR की समीक्षा करने के लिए सक्षम नहीं है, तो स्वीकारकर्ता अधिकारी APAR को स्वीकार करने के साथ ही समीक्षा भी करेगा।

   इसी तरह, किसी भी अधिकारी के किसी प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में या किसी समीक्षा अधिकारी के रूप में लिखने के लिए सक्षम नहीं होने की स्थिति में रिपोर्ट (APAR) की शुरूआत, समीक्षा और स्वीकृति ये तीनों कार्य स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा किए जाएँगे।

   जहाँ कोई भी अधिकारी APAR को लिखने, उसकी समीक्षा करने या उसे स्वीकार करने के लिए सक्षम नहीं है, तो इस आशय की प्रविष्टि APAR में की जाएगी। समीक्षक अधिकारी को प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में कार्य करते समय और स्वीकारकर्ता अधिकारी को समीक्षक अधिकारी के रूप में कार्य करते समय विशेष रूप से उन परिस्थितियों के बारे में बताना चाहिए जिनके तहत उन्हें ऐसा करना पड़ा।

11. प्रतिकूल प्रविष्टियाँ (Adverse Entries)

1. विभागाध्यक्ष/कॉडर नियंत्रण अधिकारी द्वारा संबंधित लोकसेवक की APAR पूर्ण होकर प्राप्त होने पर उस लोकसेवक को सूचित कर अवलोकन हेतु आमंत्रित किया जाएगा एवं लोकसेवक को प्रतिवेदन का अवलोकन कराने के पश्चात अवलोकन करने का उससे प्रमाण पत्र लिया जाएगा। यदि अवलोकन पश्चात लोकसेवक अपने कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अंकित प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी की ग्रेडिंग/टिप्पणी/मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं हो तो वह ग्रेडिंग टिप्पणी/मूल्यांकन सुधार हेतु 15 दिवस में अपना अभ्यावेदन संबंधित विभागाध्यक्ष/कॉडर नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। लोकसेवक द्वारा APAR के अवलोकन करने पर यात्रा भत्ता एवं उपस्थिति प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने का प्रावधान है।

2. यदि संबंधित लोकसेवक अपने मूल्यांकन के विरुद्ध 15 दिवस में अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं करे तो APAR कार्मिक/संबंधित विभाग को भिजवाया जाए।

3. यदि लोकसेवक किए गए मूल्यांकन के विरुद्ध ग्रेडिंग/टिप्पणी/मूल्यांकन में सुधार हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करें तो विभागाध्यक्ष/कॉडर नियंत्रण अधिकारी द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर एक माह में उस पर निर्णय लिया जाएगा।

4. यदि विभागाध्यक्ष/कॉडर नियंत्रण अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन पर लिए गए निर्णय से लोकसेवक संतुष्ट नहीं हो तो वह उसके विरुद्ध अपीलीय बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

5. अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाओं के कर्मचारियों के मामलों में नियुक्ति अधिकारी और राज्य सेवाओं के अधिकारियों में मामले में कार्मिक विभाग तय करेगा कि APAR में कौन सी टिप्पणियाँ प्रतिकूल प्रविष्टियों का निर्माण करेगी और कौनसी टिप्पणियों के बारे में उस व्यक्ति को (जिसकी APAR है) सूचित किया जाना चाहिए। प्रतिवेदक अधिकारी के मामले में, निर्धारित स्थान (भाग– II) के तहत दर्ज की गई टिप्पणियों को प्रतिकूल माना जाएगा। समीक्षक अधिकारी के लिए, किसी प्रविष्टि को तब तक प्रतिकूल नहीं माना

जाएगा जब तक कि समग्र मूल्यांकन भी असंतोषजनक न हो।

6. किसी लोकसेवक की APAR में अंकित सभी प्रतिकूल प्रविष्टियाँ चाहे वे उसके प्रदर्शन से संबंधित हो चाहे उसके मूलभूत गुणों व क्षमताओं से संबंधित हो का निर्देशों में निर्धारित अवधि के भीतर-भीतर उस लोकसेवक को सूचित करना चाहिए। एक लोकसेवक को कभी भी अपने उच्चाधिकारियों की राय से अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए। जहाँ उस लोकसेवक की सेवा को संतोषजनक नहीं माना जाता है, तो उससे संबंधित आलोचना को सूचित किया जाना चाहिए।

7. लाईलाज प्रकृति के सूचित दोषों को संप्रेषित करते समय तक एक निश्चित मात्रा में विवेक रखना चाहिए। उदाहरणतः किसी लोकसेवक को प्रतिवर्ष यह बताया जाता है कि उसकी बुद्धिमत्ता औसत से कम है या वह बहुत संवेदनशील है ऐसे प्रकरण में यह लाभदायक की जगह हानिकारक हो सकता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के शारीरिक दोषों के बारे में यदि APAR में अंकन है तो इस बारे में उसको सूचित किया जाना आवश्यक नहीं है।

8. प्रतिकूल टिप्पणियों को संप्रेषित करते समय, अच्छे बिन्दुओं को उल्लेख भी किया जाना चाहिए। इसी तरह, जहाँ एक रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने दोषों को दूर करने के लिए सफल प्रयास किए हैं, जिन पर उसका ध्यान पहले से आकर्षित किया गया था तो उसे उनके बारे में भी सूचित किया जाना चाहिए ताकि उसे मालूम हो सके कि सुधार के उसके प्रयासों को अनदेखा नहीं किया गया है।

9. केवल ऐसी प्रतिकूल प्रविष्टियों को ही जिन्हें समीक्षा/स्वीकार करने वाले अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है, को ही संप्रेषित किया जाना चाहिए। इसलिए समीक्षा करने/स्वीकार करने वाले अधिकारी को सामान्य रूप से यह बताना चाहिए कि वह प्रतिवेदक अधिकारी की टिप्पणी से सहमत है अथवा नहीं। यदि प्रतिवेदन बहुत संक्षिप्त, गूढ़ या अस्पष्ट हो तो आवश्यकता होने पर अतिरिक्त टिप्पणी भी दर्ज करनी चाहिए। जिन मामलों में निर्णय निलंबित किया गया है, उन पर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए।

10. नियमान्तर्गत भरी हुई APAR में दर्ज की गई किसी भी प्रतिकूल प्रविष्टि को उस अधिकारी द्वारा लिखित रूप में संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाएगा, जिसके अधीन रिपोर्ट रखी गई है, निर्धारित समय सीमा में, व्यक्ति को अभ्यावेदन हेतु लिखित सूचना दी जानी चाहिए और उस आशय का अभिलेख संबंधित लोकसेवक के APAR डोजियर में रखा जाना चाहिए।

11. किसी लोकसेवक के स्वभाव के संबंध में जब कोई सलाह/चेतावनी/प्रतिबंधों के रूप में मौखिक या लिखित माध्यम से सूचना दी जाए तो अत्यन्त सावधनी रखने की आवश्कता है। यह सलाह उसके लिए लाभदायक हो और उसमें सुधारात्मक प्रयास लाने वाली होनी चाहिए।

12. संबंधित लोकसेवक को APAR में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणी की सूचना देते समय संबंधित अधिकारी की पहचान का खुलासा करना आवश्यक नहीं है।

13. प्रतिकूल प्रविष्टियों के खिलाफ प्राप्त अभ्यावेदन को APAR में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इन्हें लोकसेवक के APAR फाइल के साथ एक अलग फाइल कवर में रखा जा सकता है। प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ प्राप्त अभ्यावेदन का निस्तारण कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाए।

12. प्रतिनियुक्ति/मूल विभाग में वापसी कर APAR लिखने की प्रक्रिया

1. अन्य विभागों/संगठनों में प्रतिनियुक्त पर कर्मचारियों के मामले में जो राज्य द्वारा नियंत्रित होते हैं की APAR संलग्न परिशिष्ट में यथा निर्धारित चैनल के अनुसार लिखा जाएगा तथा नियुक्त अधिकारी या कार्मिक विभाग को भेजा जा सकता है जैसा भी मामला हो।

2. ऐसे मामलों में, जब कोई लोकसेवक जो अपनी मूल सेवा में अपने ग्रहणाधिकार (LIEN) को धारण करते हुए किसी अन्य सेवा में शामिल हो गया था, अपनी मूल सेवा में लौट आता है, तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है-

A. यदि अन्य सेवा में कार्यरत अवधि के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट (एस)/गोपनीय रिपोर्ट (एस) उपलब्ध हैं, तो उन्हें कर्मचारी के मूल्यांकन डोजियर में रखा जाएगा और पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए इसे ध्यान में रखा जाएगा।

B. यदि वे उपलब्ध नहीं है, तो अप्राप्त रिपोर्ट के मामले में निर्धारित प्रक्रिया लागू होगी।

13. अध्ययन या प्रशिक्षण के अनुमोदित पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त लोकसेवकों APAR के लेखन की प्रक्रिया- जिस अवधि के लिए किसी कर्मचारी ने भारत या विदेश में किसी अनुमोदित संस्थान में कोई प्रशिक्षण लिया है, उसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

1. जब भी कोई अधिकारी अध्ययन या प्रशिक्षण के अनुमोदित पाठ्यक्रम में भाग लेता है, तो इसका इन्द्राज इस अवधि की APAR में करना चाहिए।

2. प्रतिनियुक्त संस्था के प्रमुख से प्राप्त यदि कोई प्रतिवेदन है तो उस लोकसेवक की डोजियर में मूल रूप से रखी जानी चाहिए या उसका कोई सारभूत तथ्य उसमें प्रविष्ट होना चाहिए।

14. कोई प्रमाण नहीं की रिपोर्ट (No report certificate)

1. प्रतिवर्ष 31 मार्च को प्रशासनिक सचिव द्वारा राज्य सेवा के अधिकारियों की तथा नियुक्ति अधिकारी द्वारा अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा के उन लोकसेवकों की सूची तैयार की जाएगी जो कि निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:-

A. जिन कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश दिया गया है।

B. जिन कर्मचारियों को निलंबित रखा गया।

C. जिन कर्मचारियों को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया हैं।

D. उन कर्मचारियों के मामले में, जिनमें से कोई भी प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षा करने वाला अधिकारी और स्वीकार करने वाला अधिकारी APAR लिखने के लिए सक्षम नहीं है।

E. उन कर्मचारियों के मामले में जिनकी अवधि पाँच वर्ष से अधिक पुरानी है, पूरा होने के लिए लंबित है।

2. उपर्युक्त व्यक्तियों के लिए, यदि अवधि तीन महीने या उससे अधिक है तो कारणों का उल्लेख करने वाले एक नोट को डोजियर में 'नो रिपोर्ट सर्टिफिकेट' के रूप में रखा जाना चाहिए।

15. एसीपी प्रकरण में आवश्यक APAR – वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के पत्र क्रमांक प.14(86)वित्त/नियम/2008 जयपुर दिनांक 04.11.2016 के निर्देश के तहत यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन गत 07 वर्षों की निरन्तरता में उपलब्ध नहीं है तो एसीपी के प्रकरणों का निर्धारण निम्न आधार पर किया जाए–

A. राज्य सेवा के अधिकारियों के मामले में जितने वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है उतने वर्षों के अधिकतम गत 03 वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन देखे जा सकते है।

B. इसी प्रकार राज्य सेवा के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले में जितने वर्षों के कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है उतने वर्षों के अधिकतम गत 02 वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन देखे जा सकेंगे।

C. यदि फिर भी 07 वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होते है तो ऐसे प्रकरणों में जितने वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन कम है उतने आगामी वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर 07 वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण होने पर ही एसीपी स्वीकार की जा सकेगी।

16. APAR प्रस्तुत करने की समय–सारणी: –

क्र. सं.	प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, टिप्पणी अंकित करना व प्रेषित करना	प्रस्तुत/प्रेषित करने की अंतिम तिथि	
		कार्यालय में कार्यरत लोकसेवकों के लिए (शिक्षक सवंर्ग सहित)	विद्यालयों में कार्यरत लोकसेवकों के लिए (मंत्रालयिक कार्मिकों के अतिरिक्त)
1.	लोकसेवकों द्वारा APAR प्रस्तुत करना	10 अप्रैल	15 अगस्त
2.	प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन पर टिप्पणी अंकित करना	10 मई	15 सितम्बर
3.	प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा समीक्षक अधिकारी को प्रेषित करना	15 मई	20 सितम्बर
4.	समीक्षक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में टिप्पणी अंकित करना एवं संबंधित कार्यालय को संधारण हेतु भिजवाना	15 जून	20 अक्टूबर

उक्त परिपत्र में उल्लेखित समय सारिणी अनुसार समस्त लोकसेवक शासन से निर्धारित APAR चैनल (व्यवस्था) के अनुसार अपनी APAR भरें। तदनुसार प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी आगे की कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय में संधारण अधिकारी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उपर्युक्त सभी निर्देशों की कठोरता से पालना की जाए, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार योग्य नहीं है।

● संलग्न : APAR चैनल (व्यवस्था)

● **(सौरभ स्वामी), आइ.ए.एस.** निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

वार्षिक कार्य मूल्यांक प्रतिवेदन की रसीद और अभिलेख संधारण देखने के लिए रजिस्टर का अनुलग्नक 'B' प्रोफार्मा

क्र.सं.	कार्यालय/विद्यालय का नाम मय ब्लॉक एवं जिले का नाम	लोकसेवक का नाम	पिता/पति के नाम	पद एवं विषय	जन्म की तारीख	एम्पलॉय आई.डी.
01	02	03	04	05	06	07

बकाया APAR मूल्यांकन वर्ष	APAR प्राप्ति की तारीख	APAR भेजने की नियत तारीख	अगले उच्चाधिकारी को भेजने की तारीख	प्रेषित संबंधित कार्यालय को प्राप्त होने की तारीख	हस्ताक्षर लिपिक/प्रभारी	वि.वि.
08	09	10	11	12	13	14

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षा के कार्यरत लोकसेवकों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) की व्यवस्था (चैनल)

विद्यालय स्तर पर

क्र.सं.	लोकसेवक/प्रतिवेदित (Reportee) का पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी (Reporting Officer)	समीक्षक अधिकारी (Reviewing Ofiicer)	स्वीकारकर्ता अधिकारी (Accepting Officer)
1.	राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल–1, लेवल–2, शा.शि. तृतीय श्रेणी,	संस्थाप्रधान	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक

	पुस्तकालयाध्यक्ष तृतीय श्रेणी, कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड तृतीय			
2.	राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल-1, लेवल-2, प्रबोधक (ग्रामीण क्षेत्र)	पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक
3.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त शा. शि. ग्रेड तृतीय (ग्रामीण क्षेत्र)	पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक
4.	राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल-1, लेवल-2 (शहरी क्षेत्र)	अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-प्रथम	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक
5.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त शा. शि. तृतीय श्रेणी (शहरी क्षेत्र)	अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-प्रथम	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक
6.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त वरिष्ठ अध्यापक (ग्रामीण क्षेत्र)	पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	संयुक्त निदेशक, संभाग
7.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त वरिष्ठ अध्यापक (शहरी क्षेत्र)	अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-प्रथम	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-प्रथम	संयुक्त निदेशक, संभाग
8.	राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त वरिष्ठ अध्यापक, शा.शि. ग्रेड द्वितीय, पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड द्वितीय, वरिष्ठ सहायक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड द्वितीय	संस्थाप्रधान	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	संयुक्त निदेशक, संभाग
9.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त व्याख्याता,	संस्थाप्रधान	मुख्य ब्लॉक शिक्षा	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
10.	शा.शि. ग्रेड प्रथम, पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड प्रथम राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	अधिकारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

क्र.सं.	लोकसेवक/प्रतिवेदित (Reportee) का पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी (Reporting Officer)	समीक्षक अधिकारी (Reviewing Ofiicer)	स्वीकारकर्ता अधिकारी (Accepting Officer)
1.	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-प्रथम	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
2.	अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-द्वितीय	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
3.	संदर्भ व्यक्ति (RP- Lecture Rank)	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
4.	संदर्भ व्यक्ति (CWSN-Sr Teacher Rank)	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	संयुक्त निदेशक, संभाग
5.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	संयुक्त निदेशक, संभाग
6.	कनिष्ठ सहायक	प्रभारी अधिकारी-अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक

क्र.सं.	लोकसेवक/प्रतिवेदित (Reportee) का पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी (Reporting Officer)	समीक्षक अधिकारी (Reviewing Ofiicer)	स्वीकारकर्ता अधिकारी (Accepting Officer)
1.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	निदेशक माध्यमिक/ प्रारम्भिक शिक्षा	आयुक्त स्कूल शिक्षा

2.	अति. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/ प्रारम्भिक	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
3	उप जिला शिक्षा अधिकारी शा.शि.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/ प्रारम्भिक	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
4.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/ प्रारम्भिक	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
5.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/ प्रारम्भिक	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	संयुक्त निदेशक, संभाग
6.	अध्यापक ग्रेड तृतीय	प्रभारी अधिकारी-अति. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/ प्रारम्भिक	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/ प्रारम्भिक	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक
7.	कनिष्ठ सहायक	प्रभारी अधिकारी-अति. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/ प्रारम्भिक	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/ प्रारम्भिक	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (संभाग)

क्र.सं.	लोकसेवक/प्रतिवेदित (Reportee) का पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी (Reporting Officer)	समीक्षक अधिकारी (Reviewing Ofiicer)	स्वीकारकर्ता अधिकारी (Accepting Officer)
1.	संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	आयुक्त, स्कूल शिक्षा	प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा
2.	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम/द्वितीय	संयुक्त निदेशक, (संभाग)	अति. निदेशक माध्यमिक /प्रारम्भिक शिक्षा	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
3.	उप जिला शिक्षा अधिकारी-संस्थापन (प्रधानाध्यापक मावि. समकक्ष)/उप जिला शिक्षा अधिकारी (शा.शि.)/ प्रशासनिक अधिकारी	संयुक्त निदेशक, (संभाग)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
4.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	प्रभारी अधिकारी- उपजिशिअ./अति. जिशिअ.	संयुक्त निदेशक (संभाग)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
5.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक	प्रभारी अधिकारी- उपजिशिअ./अति. जिशिअ.	संयुक्त निदेशक (संभाग)	संयुक्त निदेशक, संभाग
6.	कनिष्ठ सहायक	प्रभारी अधिकारी- उपजिशिअ./अति. जिशिअ.	संयुक्त निदेशक (संभाग)	संयुक्त निदेशक, संभाग

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET)

क्र.सं.	लोकसेवक/प्रतिवेदित (Reportee) का पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी (Reporting Officer)	समीक्षक अधिकारी (Reviewing Ofiicer)	स्वीकारकर्ता अधिकारी (Accepting Officer)
1.	प्रधानाचार्य (जिशिअ. समकक्ष)	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद	आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ठ शासन सचिव

2.	उप प्रधानाचार्य/वरिष्ठ व्याख्याता (प्रधानाचार्य उमावि. समकक्ष)/ व्याख्याता/शा.शि. ग्रेड प्रथम	प्रधानाचार्य (जिशिअ. समकक्ष)	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
3.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक	प्रधानाचार्य (जिशिअ. समकक्ष)	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	संयुक्त निदेशक (संभाग)
4.	कनिष्ठ सहायक	प्रभारी अधिकारी–उप प्रधानाचार्य/वरिष्ठ व्याख्याता (प्रधानाचार्य उमावि. समकक्ष)	प्रधानाचार्य (जिशिअ. समकक्ष)	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा

क्र.सं.	लोकसेवक/प्रतिवेदित (Reportee) का पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी (Reporting Officer)	समीक्षक अधिकारी (Reviewing Ofiicer)	स्वीकारकर्ता अधिकारी (Accepting Officer)
1.	संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी	निदेशक (मा.शि./प्रा.शि.)	शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा	शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा
2.	स्टाफ ऑफिसर	निदेशक (मा.शि./प्रा.शि.)	निदेशक (मा.शि./ प्रा.शि.)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
3.	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक (प्रधानाचार्य उमावि. समकक्ष)/संस्थापन अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी	जिशिअ./उपनिदेशक/संयुक्त निदेशक/अति. निदेशक (संबंधित ग्रुप अधिकारी)	निदेशक (मा.शि./ प्रा.शि.)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
4.	व्याख्याता	सहायक निदेशक (संबंधित अनुभाग अधिकारी)	जिशिअ./उपनिदेशक/ संयुक्त निदेशक/अति. निदेशक (संबंधित ग्रुप अधिकारी)	निदेशक (मा.शि./प्रा.शि.)
5.	वरिष्ठ अध्यापक/अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी/अध्यापक/ सहायक प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक/पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–तृतीय व द्वितीय/कनिष्ठ सहायक	सहायक निदेशक (संबंधित अनुभाग अधिकारी)	जिशिअ./उपनिदेशक/ संयुक्त निदेशक/अति. निदेशक (संबंधित ग्रुप अधिकारी)	निदेशक (मा.शि./प्रा.शि.)

पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, बीकानेर

क्र.सं.	लोकसेवक/प्रतिवेदित (Reportee) का पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी (Reporting Officer)	समीक्षक अधिकारी (Reviewing Ofiicer)	स्वीकारकर्ता अधिकारी (Accepting Officer)
1.	पंजीयक (उपनिदेशक समकक्ष)	निदेशक (प्रा.शि.)	शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा	शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा
2.	जिला शिक्षा अधिकारी	पंजीयक	निदेशक (प्रा.शि.)	शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा
3.	सहायक निदेशक (प्रधानाचार्य उमावि. समकक्ष)/संस्थापन अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी	पंजीयक	निदेशक (प्रा.शि.)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
4.	व्याख्याता	जिला शिक्षा अधिकारी (संबंधित अनुभाग अधिकारी)	पंजीयक	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
5.	वरिष्ठ अध्यापक/अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी/अध्यापक/ सहायक प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक	जिला शिक्षा अधिकारी (संबंधित अनुभाग अधिकारी)	पंजीयक	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर

क्र.सं.	लोकसेवक/प्रतिवेदित (Reportee) का पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी (Reporting Officer)	समीक्षक अधिकारी (Reviewing Ofiicer)	स्वीकारकर्ता अधिकारी (Accepting Officer)
1.	प्रधानाचार्य (उपनिदेशक समकक्ष)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा	शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा
2.	उप प्रधानाचार्य/ RHM (समकक्ष प्रधानाचार्य उमावि.)	प्रधानाचार्य	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
3.	कोच/शा.शि. ग्रेड प्रथम/पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड प्रथम/व्याख्याता/ अति. प्रशासनिक अधिकारी	प्रभारी अधिकारी/उप प्रधानाचार्य/RHM	प्रधानाचार्य	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
4.	वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक	प्रभारी अधिकारी-उप प्रधानाचार्य/RHM	प्रधानाचार्य	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान (IASE) बीकानेर/अजमेर

क्र.सं.	लोकसेवक/प्रतिवेदित (Reportee) का पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी (Reporting Officer)	समीक्षक अधिकारी (Reviewing Ofiicer)	स्वीकारकर्ता अधिकारी (Accepting Officer)
1.	प्रधानाचार्य (संयुक्त निदेशक समकक्ष)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा	शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा
2.	उपप्रधानाचार्य (उपनिदेशक समकक्ष)/ प्रोफेसर (जिशिअ. समकक्ष)	प्रधानाचार्य	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा
3.	रीडर (प्रधानाचार्य उमावि. समकक्ष)/व्याख्याता/पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड प्रथम/अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	प्रधानाचार्य	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
4.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी/प्रयोगशाला सहायक ग्रेड द्वितीय/ वरिष्ठ सहायक/प्रयोगशाला सहायक ग्रेड तृतीय/कनिष्ठ सहायक	संबंधित प्रभाग अधिकारी	प्रधानाचार्य	संयुक्त निदेशक (संभाग) बीकानेर/अजमेर

राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर

क्र.सं.	लोकसेवक/प्रतिवेदित (Reportee) का पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी (Reporting Officer)	समीक्षक अधिकारी (Reviewing Ofiicer)	स्वीकारकर्ता अधिकारी (Accepting Officer)
1.	प्राचार्य	संयुक्त निदेशक (संभाग) जोधपुर	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा
2.	उप प्राचार्य (जिशिअ. (शा. शि.) समकक्ष)	प्राचार्य	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा
3.	कोच/शा.शि. ग्रेड प्रथम/पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड द्वितीय/व्याख्याता /अति. प्रशासनिक अधिकारी	उप प्राचार्य	प्राचार्य	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
4.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक	उप प्राचार्य	प्राचार्य	संयुक्त निदेशक, जोधपुर
5.	कनिष्ठ सहायक	उप प्राचार्य	प्राचार्य	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, जोधपुर

गुरुनानक भवन संस्थान, जयपुर

क्र.सं.	लोकसेवक/प्रतिवेदित (Reportee) का पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी (Reporting Officer)	समीक्षक अधिकारी (Reviewing Ofiicer)	स्वीकारकर्ता अधिकारी (Accepting Officer)
1.	मैनेजर (प्रधानाचार्य-उमावि. समकक्ष)	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी-जयपुर	संयुक्त निदेशक-जयपुर संभाग	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

2.	व्याख्याता	मैनेजर	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी–जयपुर	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
3.	वरिष्ठ अध्यापक/सहायक प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक/पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड द्वितीय	मैनेजर	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी–जयपुर	संयुक्त निदेशक, जयपुर संभाग
4.	अध्यापक/पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड तृतीय/शा.शि. ग्रेड तृतीय/कनिष्ठ सहायक	मैनेजर	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर

राजकीय भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर

क्र.सं.	लोकसेवक/प्रतिवेदित (Reportee) का पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी (Reporting Officer)	समीक्षक अधिकारी (Reviewing Ofiicer)	स्वीकारकर्ता अधिकारी (Accepting Officer)
1.	प्रधानाचार्य (जिशिअ. समकक्ष)	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा
2.	व्याख्याता	प्रधानाचार्य	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
3.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक/पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड द्वितीय/शा.शि. ग्रेड द्वितीय	प्रधानाचार्य	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर	संयुक्त निदेशक, अजमेर
4.	कनिष्ठ सहायक	प्रभारी–व्याख्याता एवं समकक्ष	प्रधानाचार्य (जिशिअ. समकक्ष)	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, अजमेर

राजकीय संगीत माध्यमिक (प्रभाकर) विद्यालय, कोटा

क्र.सं.	लोकसेवक/प्रतिवेदित (Reportee) का पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी (Reporting Officer)	समीक्षक अधिकारी (Reviewing Ofiicer)	स्वीकारकर्ता अधिकारी (Accepting Officer)
1.	प्रधानाध्यापक (मा.वि. समकक्ष)	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, कोटा	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
2.	अध्यापक/शा.शि. ग्रेड तृतीय/कनिष्ठ सहायक	प्रधानाध्यापक	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, कोटा

नोटः– समस्त कार्यालयों में आशुलिपिक/निजी सहायक/अतिरिक्त निजी सचिव/निजी सचिव हेतु प्रतिवेदन अधिकारी एवं समीक्षक अधिकारी संबंधित अधिकारी एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी पद के अनुसार नियुक्त अधिकारी होगा।

* राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग के पत्र क्रमांक पं. 21(32) प्राशि./आयो.2017/पार्ट जयपुर दिनांक 27.09.2018 द्वारा निर्धारित।

** राजस्थान सरकार प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग के पत्र क्रमांक पं. 21 (32)प्राशि./आयो/2017/पार्ट जयपुर दिनांक 15.10.2018 द्वारा निर्धारित शेष पद 18.09.2020 को शासन द्वारा अनुमोदित।

● **(सौरभ स्वामी) आइ.ए.एस.** निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

10. शिक्षा विभागीय (राज्य स्तरीय) मंत्रालयिक एवं सहायक कर्मचारी पुरस्कार एवं सम्मान समारोह–2020

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा–माध्य/साप्र/बी–2/4399(49)(16)/2020/02 ● दिनांक : 24.11.2020 ● संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा सम्भाग स्तरीय शिक्षा संकुल बीकानेर/जयपुर/अजमेर/कोटा/जोधपुर/उदयपुर/पाली/भरतपुर/चूरू, समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्राथमिक/माध्यमिक ● विषय : शिक्षा विभागीय (राज्य स्तरीय) मंत्रालयिक एवं सहायक कर्मचारी पुरस्कार एवं सम्मान समारोह–2020

शिक्षा विभाग द्वारा अपने मंत्रालयिक कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य कर विभाग की प्रतिष्ठा बढाई हैं को प्रतिवर्ष माह दिसम्बर में राज्य स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाता रहा है, इस क्रम में पुरस्कार एवं सम्मान समारोह 2020 का आयोजन दिनांक 16.12.2020 को विभागीय मुख्यालय बीकानेर में किया जाएगा।

विभाग में उत्कृष्ट एवं प्रशंसनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत एवं सम्मानित किए जाने बाबत उनके चयन के प्रस्ताव

अनिवार्यतः निदेशालय को उपलब्ध कराने का दायित्व आपका है।

1. इस योजना में शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारी ही सम्मिलित होंगे जो अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियमों के अन्तर्गत वर्णित पद नाम के है तथा संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, वाहन चालक, जमादार, सहायक कर्मचारी एवं समकक्ष, निजी सचिव, अतिरिक्त निजी सचिव, निजी सहायक, आशुलिपिक इत्यादि। कुल 36 कार्मिकों (9 मण्डल × 4=36) को राज्य स्तरीय मेरिट बनाकर प्रत्येक मण्डल से प्रस्तावित कार्मिकों में से शीर्ष 04 मेरिट वाले कार्मिकों का चयन किया जाकर तदनुसार सम्मानित किया जाएगा, प्रत्येक मण्डल का कोटा निर्धारित होने के कारण उस मण्डल के 5वीं वरीयता पर प्रस्तावित कार्मिक के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे कार्मिक की मेरिट अन्य मण्उल के कार्मिकों से अधिक होने पर भी उसके चयन पर विचार नहीं किया जावेगा। राज्य स्तरीय कमेटी की विशेष अनुशंसा पर निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा से 02-02 (कुल 04) कार्मिकों का चयन मेरिट अनुसार किया जाएगा।

2. जिले में संचालित समस्त विद्यालयों, कार्यालयों एवं विशिष्ट संस्थानों में कार्यरत सहा. कर्म. संवर्ग/मंत्रालयिक संवर्ग/निजी सहायक संवर्ग/वाहन चालक संवर्ग में न्यूनतम 15 वर्ष की शिक्षा विभागीय सेवाएँ पूर्ण कर चुके उत्कृष्ट कार्य वाले कार्मिकों के प्रस्ताव स्वयं संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रस्तावित किए जाकर गोपनीय स्तर पर तीन प्रतियों में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारंभिक) को दिनांक 04.12.2020 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु परिशिष्ठ-1 (क), (ख-।), (ख-।।), ग, घ संलग्न हैं।

3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी उक्त प्राप्त प्रस्तावों में प्रमाण-पत्र मय आवश्यक अनुशंषा सहित प्रस्ताव तीन प्रतियों में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) स्तर पर गठित कमेटी के समक्ष गोपनीय रूप से दिनांक 05.12.2020 तक प्रस्तुत करेंगे।

प्रपत्र की पूर्तियों संबंधित संस्थाप्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्मिक के रिकार्ड, व्यक्तिगत पंजिका, सेवा पुस्तिका तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन आदि स्रोतों से की जावें। इसके साथ ही सभी सूचनाएँ, प्रशंषा प्रमाण-पत्रों, शैक्षिक एवं तकनीकी शिक्षा आदि की प्रमाणित फोटो प्रतियाँ तथा प्रकाशित पुस्तक, लेख साहित्य इत्यादि की पुष्टि के अभिलेख संलग्न किए जावें। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित वर्ष का संतोषजनक सेवा प्रमाण-पत्र संलग्न किया जावें।

4. कार्मिक से किसी भी प्रकार का प्रपत्र नहीं भरवाया जावें। अनुशंषा नितान्त निष्पक्ष एवं न्यायोचित होनी चाहिए इसमें पूर्णतया गोपनीयता बरती जावें।

5. अब तक राज्य स्तर पर पुरस्कृत समस्त कार्यरत कार्मिकों एवं भविष्य में पुरस्कृत कार्मिकों की सेवा पुस्तिका में उक्त पुरस्कार का इन्द्राज संस्थाप्रधान/नियंत्रण अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से स्वतः किया जावें। पूर्व वर्षों में पुरस्कृत कार्मिक जो कि वर्तमान में सेवा में है, की सेवा पुस्तिका में इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करावें। पुरस्कृत कार्मिकों को अपना राज्य स्तरीय प्रमाण-पत्र सम्बन्धित संस्थाप्रधान/नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. (I) जिले में संचालित विद्यालयों एवं कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों का जिला स्तर पर चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है। यह कमेटी संबंधित अधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों पर संलग्न सूक्ष्म अंक योजना के आधार पर कार्मिकों का चयन कर मेरिट के आधार पर न्यूनतम 10(दस) प्रस्ताव अनिवार्य रूप से संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग स्तरीय शिक्षा संकुल को गोपनीय रूप से दिनांक : 06.12.2020 तक वाहक स्तर पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगी।

1.	जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक	सदस्य
3.	प्रशासनिक अधिकारी (जि.शि.अ. मुख्यालय)	सदस्य
4.	प्रधानाचार्य, राउमावि. (जिशिअ. मा. मुख्यालय द्वारा मनोनीत)	सदस्य
5.	अति. जिशिअ. मुख्यालय (माध्यमिक)	सदस्य सचिव

6. (II) एससीईआरटी, (ईटीसेल सहित) उदयपुर, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, शा. शिक्षक महाविद्यालय, सार्दुल स्पोर्टस स्कूल तथा संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अपने कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के न्यूनतम दो प्रस्ताव तीन-तीन प्रतियों में सीधे ही संबंधित नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को गोपनीय रूप से अनुशंषा सहित दिनांकः 06.12.2020 तक वाहक स्तर पर प्रेषित करेंगे। मण्डल स्तर पर अंतिम चयन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता हैं :-

1.	संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग स्तरीय शिक्षा संकुल	नोडल अधिकारी
2.	मुख्य जि.शि.अ. मण्डल मुख्यालय	सदस्य
3.	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय	सदस्य
4.	संस्थापन अधिकारी मुख्य जिशिअ.	सदस्य
5.	सहायक निदेशक, कार्यालय संयुक्त निदेशक	सदस्य-सचिव

उपर्युक्त समिति जिला चयन समितियां, विशिष्ठ संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों पर सूक्ष्म अंक योजना के आधार पर कार्मिकों का चयन कर मेरिट के आधार पर न्यूनतम 10 (दस) प्रस्ताव दो-दो प्रतियों में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को गोपनीय रूप से दिनांक 08.12.2020 तक वाहक स्तर पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगी।

6. (III) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में कार्यरत कर्मचारियों के प्रस्ताव संबंधित अनुभाग/ग्रुप अधिकारी गोपनीय रूप से कार्मिकों का चयन कर अपनी अनुशंषा सहित निदेशालय स्तर पर गठित चयन समिति के समक्ष दिनांक 04-12-2020 तक दो-दो प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे।

निदेशालय माध्यमिक शिक्षा में चयन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

1.	उप निदेशक (प्रशासन) माध्यमिक शिक्षा	अध्यक्ष
2.	संस्थापन अधिकारी	सदस्य
3.	सहायक निदेशक (माध्यमिक)	सदस्य
4.	लेखाधिकारी (बजट)	सदस्य
5.	सहायक निदेशक, (प्रशासन)	सदस्य सचिव

उपर्युक्त समिति प्राप्त प्रस्तावों पर सूक्ष्म अंक योजना के आधार पर कार्मिकों का मेरिट के आधार पर चयन कर न्यूनतम 10 (दस) दो प्रतियों में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा की अनुशंषा सहित राज्य स्तरीय चयन हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा को दिनांक 10.12.2020 को प्रस्तुत करेंगी।

6. (IV) प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में कार्यरत कर्मचारियों के प्रस्ताव संबंधित अनुभाग/ग्रुप अधिकारी गोपनीय रूप से कार्मिकों का चयन कर अपनी अनुशंषा सहित निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर गठित चयन समिति के समक्ष दिनांक 04-12-2020 तक प्रस्ताव दो प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे।

निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा में चयन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

1.	उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय	अध्यक्ष
2.	संस्थापन अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय	सदस्य
3.	सहायक निदेशक (शैक्षिक), प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय	सदस्य
4.	लेखाधिकारी (बजट) प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय	सदस्य
5.	सहायक निदेशक, (प्रशासन) प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय	सदस्य सचिव

उपर्युक्त समिति प्राप्त प्रस्तावों पर सूक्ष्म अंक योजना के आधार पर कार्मिकों का मेरिट के आधार पर चयन कर न्यूनतम 10 (दस) प्रस्ताव दो प्रतियों में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा की अनुशंषा सहित राज्य स्तरीय चयन हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा को दिनांक 10.12.2020 तक प्रस्तुत करेंगी।

7- राज्य स्तर पर चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता हैं :-

1.	अतिरिक्त निदेशक (RAS) माध्यमिक शिक्षा	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त निदेशक (RAS) प्रारंभिक शिक्षा	सदस्य
3.	वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
4.	संयुक्त निदेशक (प्रशासन) माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
5.	संयुक्त निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा	सदस्य
6.	सहायक निदेशक, (प्रशासन)	सदस्य सचिव

सूक्ष्म अंक योजना कुल 90 अंकों की होगी। अधिकतम 10 अंक राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा दिए जाएँगे। इस प्रकार राज्य स्तरीय मेरिट कुल 100 अंकों की होगी। राज्य स्तरीय चयन समिति अधिनस्थ कार्यालयों से प्राप्त एवं निदेशालय (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा) स्तर पर गठित कमेटियों से प्राप्त प्रस्तावों एवं अंकों की जाँच रिकार्ड के आधार पर की जाकर प्रस्तावित अंकों की समीक्षा करने में सक्षम होंगी। तत्पश्चात राज्य स्तर पर मेरिट बनाकर कार्मिकों का चयन अन्तिम रूप से अनुमोदन एवं निर्णय हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को 11.12.2020 को प्रस्तुत करेंगी।

8. पंचांग :-

मंत्रालयिक कर्मचारी सम्मान से संबंधित सभी कार्यों के लिए समयबद्ध निष्पादन के लिए निम्नानुसार पंचांग निर्धारित किया जाता है :-

क्र.	करणीय कार्यवाही का विवरण	निर्धारित तिथि
1.	जिले में संचालित समस्त विद्यालयों, कार्यालयों एवं विशिष्ट संस्थानों में कार्यरत सहा.कर्म. संवर्ग/मंत्रालयिक संवर्ग/निजी सहायक संवर्ग/वाहन चालक संवर्ग में न्यूनतम 15 वर्ष की शिक्षा विभागीय सेवाऐं पूर्ण कर चुके उत्कृष्ट कार्य वाले कार्मिकों के प्रस्ताव स्वयं संस्थाप्रधान/नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रस्तावित किए जाकर गोपनीय स्तर पर तीन प्रतियों में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारंभिक) को तक भिजवाया जाना।	04.12.2020
2.	जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारंभिक स्तर पर) प्रकरण अधिनस्थों से प्राप्त कर जिला स्तरीय चयन समिति को अनुशंषा सहित प्रस्ताव मण्डल अधिकारियों को उपलब्ध कराना एवं विशिष्ठ संस्थानों द्वारा प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर अनुशंषा सहित मण्डल अधिकारियों को उपलब्ध कराना।	06.12.2020
3.	संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा (नोडल अधिकारी) स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर अनुशंषा सहित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराना।	10.12.2020
4.	निदेशालय माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा से प्राप्त प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर अनुशंषा सहित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की राज्य स्तरीय गठित कमेटी को उपलब्ध कराना।	10.12.2020
5.	राज्य स्तर पर गठित कमेटी द्वारा चयन कर प्रस्ताव निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के समक्ष अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करना।	11.12.2020
6.	चयनित कार्मिकों की सूची जारी करना।	11.12.2020
7.	राज्य स्तरीय पुरस्कार एवं सम्मान समारोह का आयोजना, बीकानेर	16.12.2020

प्रस्ताव में पूर्ण गुणवत्ता व विशेष रूचि के साथ कार्य संपादित करने की ओर विशेष ध्यान दिया जावें। सम्मान हेतु अनुशंषित किए जाने वाले प्रकरणों में पूर्णतः गोपनीयता बरती जावें। इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा सम्भाग स्तरीय शिक्षा संकुल को एवं संयुक्त निदेशक (नोडल अधिकारी) द्वारा निदेशालय को भिजवाने जाने वाले प्रस्ताव शीलबंद पैकेट में संबंधित प्रभारी अधिकारी के साथ ही भिजवावें। यह ध्यान रहे कि प्रस्तावों के साथ भेजे जाने वाले अग्रेषण पत्र में चयनित कर्मचारियों के नाम अंकित नहीं करें बल्कि उनके प्रस्तावों की मात्र संख्या ही अंकित की जावें।

पूर्व में शिक्षा विभागीय राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित कार्मिक एवं जिन कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है/प्रस्तावित है उनके प्रस्ताव नहीं भिजवावें।

उक्त प्रस्ताव हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि इस संबंध में विस्तृत रूप से प्रचार प्रसार किया जावें ताकि उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को इस योजना का लाभ मिल सके।

पूर्व वर्षों में यह देखने में आया है कि मंत्रालयिक एवं सहायक कर्मचारी एवं समकक्ष सम्मान समारोह हेतु कुछ ईकाइयों द्वारा एक भी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में उस मण्डलाधीन कार्यरत उत्कृष्ट कार्मिक सम्मान से वंचित रह जाते हैं अतः समस्त मण्डल अधिकारियों/जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीन उत्कृष्ट कार्मिकों के प्रस्ताव व्यक्तिशः रूचि लेकर तैयार कर सक्षम अधिकारी को समय पर प्रस्तुत करें। यदि किसी भी स्थिति में आपके मण्डल द्वारा प्रेषित किए जाने वाले प्रस्तावों की संख्या 10 (दस) से कम भिजवाई जाती है तो इससे उत्पन्न विपरित परिस्थितियों हेतु आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

उक्त पत्र मय संलग्न अधीनस्थ समस्त कार्यालयों/संस्थानों/विद्यालयों में आपके कार्यालय स्तर पर तत्काल प्रसारित किया जाकर प्रस्ताव प्राप्त करने की कार्यवाही निर्धारित पंचांग के अनुसार संपादन हेतु आपको एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है।

●संलग्न : 1. प्रपत्र 2. सूक्ष्म चयन अंक योजना

● **(सौरभ स्वामी) आइ.ए.एस.,** निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

भाग–'ख–1'

जिला समिति/मण्डल समिति (नॉडल)/मा.शि एवं प्रा.शि. निदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा भरा जावेगा

(मंत्रालयिक सवर्ग के कर्मचारियों के लिए)

कुल अंक–90 **अंक–10**

1	कार्य का मूल्यांकन	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषप्रद
1.	नोटिंग	1	3/4	1/2	1/4
2.	पत्र लेखन की क्षमता				
3.	पंजिकाओं का संधारण				
4.	पीयूसी प्रस्तुत करने की स्थिति				
5.	लंबित प्रकरणों की स्थिति				
6.	दैनंदिनी संधारण				
7.	स्मरण डायरी की स्थिति				
8.	कार्य निष्पादन की गति				
9.	टंकण कार्य की कुशलता/कम्प्यूटर				
10.	कार्यालयी कार्य क्षमता				

अंक–12

2.	व्यक्तित्व एवं प्रतिष्ठा	उत्कृष्ठ 1	बहुत अच्छा 3/4	अच्छा 1/2	संतोषप्रद 1/4
1.	व्यक्तित्व				
2.	व्यवहार				
3.	शिष्टाचार				
4.	धैर्यता				
5.	चारित्रिक गुण				
6.	शारीरिक क्षमता				
7.	मानसिक जागरूकता				
8.	प्रासनिक क्षमता				
9.	दूरदर्शिता				
10.	कार्य निष्पादन क्षमता				
11.	जनता/सहकर्मियों से संबंध				
12.	मानवीय दृष्टिकोण				

अंक–06

3.	व्यक्तित्व एवं प्रतिष्ठा	उत्कृष्ट 3	बहुत अच्छा 2	अच्छा 11/2	संतोषप्रद 1
1.	स्थानीय कार्यालय/संस्था में प्रतिष्टा				
2.	समाज सेवा				

अंक–10

(प्रतिवर्ष 2 अंक)

4. गत 05 वर्षों के गोपनीय वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों की टिप्पणी

	वित्तीय वर्ष	उत्कृष्ट 2	बहुत अच्छा 11/2	अच्छा 1	संतोषप्रद 1/2
1.	2015–16				
2.	2016–17				
3.	2017–18				
4.	2018–19				
5.	2019–20				

नोट – वा.का.मू. प्रतिवेदन उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित वर्ष का संतोषजनक प्रमाण–पत्र संलग्न किया जावे। इस हेतु अंक योजना की गणना प्रतिवर्ष 1/2 अंक के आधार पर देय होगी

5. अंक–7

सेवा की पूर्ण अवधि	15 से 20 वर्ष 1 अंक	20 से 25 वर्ष 5 अंक	25 से अधिक 7 अंक
कुल सेवा			

6. अंक–10

(राष्ट्रीय–10, राज्य–7, मण्डल–5,जिला–03,स्थानीय, स्तर–02)

क्या कर्मचारी ने लेख/रचनाएँ/पुस्तक लिखी हैं?

यदि हाँ तो उनका पूर्ण विवरण देंवें।

7. अंक–10

(राष्ट्रीय–10, राज्य–7, मण्डल–5,जिला–03,स्थानीय, स्तर–02)

क्या कर्मचारी ने विभागीय प्रतियोगिता में भाग लिया हैं
अथवा आयोजन में रचनात्मक कार्य/सहयोग दिया है?
उल्लेख करें।

8. अंक–02

यदि कर्मचारी विकलांग हैं।
(जिन्हें नियमानुसार विकलांग वाहन भत्ता देय है।)

9. अंक–10

कर्मचारी को संस्था/कार्यालय/समुदाय/समाज राष्ट्रीय स्तर–10
/जिला प्रशासन/राज्य सरकार/भारत सरकार से राज्य स्तर–07
कोई पुरस्कार, प्रशंसा पत्र मिले हो तो विवरण दें। मण्डलस्तर–05
(सत्यापित प्रतियां संलग्न की जावें) जिला स्तर–03
स्थानीय स्तर–02

10. अंक–5

अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य/उपलब्धियों का जिसका उल्लेख उपर न आया हो

11. अंक–3

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा समग्र मूल्यांकन/अनुशंषा

12. अंक–2

शैक्षिणिक योग्यता स्नातकोत्तर स्तर–02 स्नातक स्तर–01

13. अंक–03

तकनीकी डिग्री/डिप्लोमा (कम्प्यूटर इत्यादि)

स्नातकोत्तर स्तर–03

स्नातक स्तर–02

सार्टिफिकेट/कोर्स–1

कुल अंको का योग–(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

अंकों में शब्दों में अंकित करें। .....

श्री/सुश्री/श्रीमती..... पद .....

पिता/पति का नाम..... जन्मतिथि.....

कार्यालय/विद्यालय.....

के संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. इनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जाँच/कानूनी कार्यवाही वर्तमान में न तो चल रही है और न ही विचाराधीन है।
2. इनको पूर्व में शिक्षा विभागीय राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है।
3. कार्मिक शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों में प्रतिनियुक्त पर कार्यरत नहीं हैं।
4. अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर की गई सेवा अवधि को कल सेवा में से कम कर दिया गया है।
5. इनके प्रस्ताव के साथ वॉछित प्रलेख संलग्न कर दिए गए है तथा प्रलेखों की जाँच कर ली गई है।

हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर
प्रथम सदस्य	द्वितीय सदस्य	तृतीय सदस्य	सदस्य सचिव	अध्यक्ष

भाग–'ख–II'

जिला समिति/मण्डल समिति(नॉडल)/मा.शि एवं प्रा.शि.निदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा भरा जावेगा

(सहायक कर्मचारी व समकक्ष सवर्ग के कर्मचारियों के लिए)

कुल अंक–90 अंक –24

1	व्यक्तित्व एवं प्रतिष्टा	उत्कृष्ट 2	बहुत अच्छा 11/2	अच्छा 1	संतोषप्रद 1/2
1.	व्यक्तित्व				
2.	व्यवहार				
3.	शिष्टाचार				
4.	धैर्यता				
5.	चारित्रिक गुण				
6.	शारीरिक क्षमता				
7.	मानसिक जागरूकता				
8.	प्रासनिक क्षमता				
9.	दूरदर्शिता				
10.	कार्य निष्पादन क्षमता				
11.	जनता/सहकर्मियों से संबंध				
12.	मानवीय दृष्टिकोण				

अंक–10

2.	व्यक्तित्व एवं प्रतिष्टा	उत्कृष्ट 5	बहुत अच्छा 3	अच्छा 2	संतोषप्रद 1
1.	स्थानीय कार्यालय/ संस्था में प्रतिष्टा				
2.	समाज सेवा				

3.

सेवा की पूर्ण अवधि	15 से 20 वर्ष 1 अंक	20 से 25 वर्ष 2 अंक	25 से अधिक 3 अंक
कुल सेवा	15 वर्ष तक लगातार माध्यमिक/ प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय में सेवा पर 2 अंक अतिरिक्त देय होगा।		

4. अंक - 10

(राष्ट्रीय-10, राज्य-7, मण्डल-5, जिला-03, स्थानीय स्तर-02)

क्या कर्मचारी ने लेख/रचनाएँ/पुस्तक लिखी हैं?
यदि हाँ तो उनका पूर्ण विवरण देंवें।

5. अंक-10

(राष्ट्रीय-10, राज्य-7, मण्डल-5, जिला-03, स्थानीय स्तर-02)

क्या कर्मचारी ने विभागीय प्रतियोगिता में भाग लिया हैं
अथवा आयोजन में रचनात्मक कार्य/सहयोग दिया है?
उल्लेख करें।

6. अंक-05

यदि कर्मचारी विकलांग हैं।
(जिन्हें नियमानुसार विकलांग वाहन भत्ता देय है।)

7. अंक-10

कर्मचारी को संस्था/कार्यालय/समुदाय/समाज /जिला प्रशासन/राज्य सरकार/भारत सरकार से कोई पुरस्कार, प्रशंसा पत्र मिले हो तो विवरण दें। (सत्यापित प्रतियाँ संलग्न की जावें)

राष्ट्रीय स्तर-10
राज्य स्तर-07
मण्डलस्तर-05
जिला स्तर-03
स्थानीय स्तर-02

8. अंक-05

अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य/उपलब्धियों का जिसका उल्लेख उपरोक्त में न आया हो

9. अंक-06

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा समग्र मूल्यांकन/अनुशंषा

10. अंक-02

शैक्षिणिक योग्यता
स्नातकोत्तर स्तर-02
स्नातक स्तर-01

11. अंक-03

तकनीकी डिग्री/डिप्लोमा (कम्प्यूटर इत्यादि)
स्नातकोत्तर स्तर-03
स्नातक स्तर-02
सार्टिफिकेट/कोर्स-1

कुल अंको का योग - (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).....
अंकों में शब्दों में अंकित करें। .....
श्री/सुश्री/श्रीमती..... पद.....
पिता/पति का नाम ..... जन्मतिथि.....
कार्यालय/विद्यालय.....
के संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. इनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जाँच/कानूनी कार्यवाही वर्तमान में न तो चल रही है और न ही विचाराधीन है।
2. इनको पूर्व में शिक्षा विभागीय राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है।
3. कार्मिक शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत नहीं हैं।
4. अन्य विभागों में प्रतिनियुक्त पर की गई सेवा अवधि को कुल सेवा में से कम कर दिया गया है।
5. इनके प्रस्ताव के साथ वॉछित प्रलेख संलग्न कर दिए गए है तथा प्रलेखों की जाँच कर ली गई है।

हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर
प्रथम सदस्य	द्वितीय सदस्य	तृतीय सदस्य	सदस्य सचिव	अध्यक्ष

भाग-'ग'

मण्डल (नॉडल) स्तर पर गठित समिति की सिफारिश

हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर
प्रथम सदस्य	द्वितीय सदस्य	तृतीय सदस्य	सदस्य सचिव	अध्यक्ष

भाग-'घ'

राज्य स्तर पर गठित समिति की सिफारिश

हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर
प्रथम सदस्य	द्वितीय सदस्य	तृतीय सदस्य	सदस्य सचिव	अध्यक्ष

11. हितकारी निधि के अन्तर्गत माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर वित्तीय सहायता हेतु प्रार्थना-पत्र आमंत्रण : अन्तिम तिथि 04.01.2021

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/हिनि/28129/2019-2020 ● दिनांक : 21.11.2020 ● समस्त संयुक्त निदेशक, समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा), समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा) समस्त प्राचार्य डाईट, समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंजियक शिक्षा विभागीय परीक्षायें। ● विषय : हितकारी निधि के अन्तर्गत माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर वित्तीय सहायता हेतु प्रार्थना-पत्र आमंत्रण : अन्तिम तिथि 04.01.2021

हितकारी निधि माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर के अन्तर्गत शिक्षा विभाग में राजकीय सेवा में कार्यरत समस्त वर्ग के शिक्षा अधिकारियों/व्याख्याता (स्कूल शिक्षा/अध्यापकों/मंत्रालयिक/सहायक कर्मचारियों) के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनार्थ वित्तीय सहायता दिए जाने बाबत संलग्न प्रारूप-पत्र में प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र भरते समय एवं संबंधित अधिकारी द्वारा अग्रेषित करते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रख कर अग्रेषित किए जावेंः-

1. यह योजना राजस्थान राज्य के शिक्षा विभाग माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत समस्त वर्ग के कार्मिकों के बच्चों के लिए ही लागू होगी।
2. व्यावसायिक शिक्षा : इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं मैनेजमेन्ट, बी.एड., सी.ए., एस.टी.सी., नर्सिंग फार्मेसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत को ही वित्तीय सहायता देय होगी। निर्धारित पाठ्क्रमों का विवरण निम्नानुसार हैः-

(अ) इंजीनियरिंग में स्नातक पाठक्रम (चार वर्ष)-(आठ सेमेस्टर)ः डिसिपलिन ऑफ सिविल, मैकनेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स एवं टेली-कम्यूनीकेशन, कम्प्यूटर साईन्स एण्ड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाईल, आर्केटैक्चर, टैक्सटाईल, माईनिंग, रबर टैक्नोलोजी, केमिकल इंजीनियरिंग, इन्स्टुमेन्टेशन एण्ड कन्ट्रोल, प्रिन्टिंग, केमिकल टेक्नोलाजी, मेटेजर्लीकल, इंजीनियरिंग, एरोनोटिकल इंजीनियरिंग, प्रोडेक्शन टेक्नोलाजी, शिप बिल्डिंग एण्ड फेब्रिकेशन टैक्नालोजी, नेवल आर्किटेक्चर, पैट्रोलियम इंजीनियरिंग।

(ब) मेडिकल (एलोपेथी), होम्योपेथी, आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफमेडिसन्स एवं पशु आयुर्विज्ञान।

(स) उपर्युक्त पैरा (अ, ब) में उल्लेखित डिग्री (4 वर्ष, डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए।

(द) डिप्लोमा पाठ्यक्रम, बी-फार्मा की अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए।

(य) स्नातक पाठ्यक्रम के पश्चात् मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए।

(र) बी.एड. तथा एस.टी.सी. पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष की मान्य है।

3. प्रार्थना-पत्र की सभी प्रविष्टिया स्वयं कर्मचारी/संस्था प्रधान द्वारा भरी जानी चाहिए।
4. भुगतान किया गया वास्तविक शुल्क प्रार्थना-पत्र के कॉलम संख्या 12 में स्पष्ट रूप से अंकित करें। प्रार्थना-पत्र के साथ शुल्क की मूल रसीदें संलग्न करें। फोटो स्टेट प्रतियां स्वीकार्य नहीं होगी। समेकित भुगतान की रसीद यदि प्रस्तुत की जाती है तो उसका मदवार विवरण प्रस्तुत करने पर ही प्रार्थना-पत्र विचारणीय होगा।
5. सत्र 2020-21 में छात्र जिस महाविद्यालय में अध्ययनरत है, उस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य का प्रमाण-पत्र संलग्न प्रारूप में संलग्न करें।
6. सहायता राशि मात्र ट्यूशन, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला (लेबोरेटरी) शुल्क के भुगतान पर ही देय है। अतः अन्य मदों पर किए गए भुगतान एवं एक मुश्त में दर्शायी गई राशि पर सहायता देय नहीं होगी।
7. सहायता राशि एक शैक्षणिक सत्र तक ही सीमित है। राज्य कर्मचारी के बच्चों को वित्तीय सहायता हेतु प्रार्थना-पत्र छात्र के शैक्षणिक सत्र 2020-21 में अध्ययनरत के लिए ही स्वीकार्य होंगे।
8. व्यावसायिक शिक्षा में सहायता हेतु परिवार के एक ही बच्चे के लिए प्रार्थना-पत्र स्वीकार्य होगा।
9. यह सहायता राशि वर्ष 2020-21 के लिए ही मान्य होगी, जिन्होंने इस सत्र में प्रवेश लिया हो उन्हे ही सहायता दी जावेगी।
10. प्रार्थना-पत्र के आधार पर पात्रता की जांचोपरान्त एवं हितकारी निधि कोष में राशि उपलब्ध होने पर सहायता देय होगी। प्रार्थना-पत्र प्रेषित कर दिए जाने से यह तात्पर्य नहीं है कि आपको सहायता मिल जावेगी। अतः अनावश्यक पत्र व्यवहार नहीं किया जावे।
11. राज्य कर्मचारी, हितकारी निधि का नियमित अंशदाता वर्ष 2018-19 से होना चाहिए। यदि अंशदान जमा करवाया हुआ है तो कटौती शिड्यूल एवं ई.सी.एस. की प्रति वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की संलग्न करें।
12. सहायता राशि पाठ्यक्रम हेतु रुपये 10,000/- निर्धारित है।
13. प्रार्थना पत्र निर्धारित सीमा तक प्राप्त नहीं होने कि सूरत में शेष प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जा सकेगा।
14. अपूर्ण प्रार्थना-पत्र, शुल्क की मूल रसीदें नहीं होने एवं देरी से प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। अतः ऐसी स्थिति में एवं निरस्त हुए प्रार्थना-पत्रों के बारे में कोई सूचना भी नहीं दी जावेगी। सहायता राशि 500 कार्मिकों के प्रार्थना पत्रों पर दी जानी है जिसे वरियता के आधार पर प्रदान की जावेगी।
15. प्रार्थना पत्र के साथ वर्ष 2018-19, 2019-2020 की ई.सी.एस. एवं शिड्यूल कि प्रति संलग्न की जानी है तथा जिन कार्मिकों का वेतन पी.डी. हैड से आहरण होता है उन्हें सी.बी.ई.ओ. (आरहण एवं वितरण अधिकारी) से ई.सी.एस. एवं शिड्यूल कि प्रति प्राप्त कर संलग्न करनी होगी, इसके अभाव में प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

कृपया उक्त विषयक सूचना अपने अधीनस्थ विद्यालयों/कार्यालयों में प्रसारित एवं प्रचारित करावें ताकि अधिकाधिक कर्मचारीगण इसका लाभ उठा सके। अतः निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ संस्था प्रधानों को पाबन्द करावे कि प्रार्थना पत्र सीधे नहीं भेजे, प्रार्थना पत्रों को अपनी अनुशंसा, सहित दिनांक 04.01.2021 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को पद नाम से भिजवाने की व्यवस्था करें। तत्पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। अतः अग्रेषण अधिकारी अन्तिम तिथि के पश्चात् अनावश्यक प्रार्थना-पत्र अग्रेषित न करें।

●संलग्न : निर्धारत प्रार्थना-पत्र

● (पितराम सिंह) उप निदेशक (प्रशासन) एवं सचिव हितकारी निधि माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

● हितकारी निधि ● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर ● हितकारी निधि से राज्य कर्मचारियों, राजपत्रित शिक्षा अधिकारी/व्याख्याता (स्कूल शिक्षा)/शिक्षक/मंत्रालयिक/सहायक कर्मचारी एवं समस्त वर्ग के राज्य कर्मचारियों (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा) के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर सहायता हेतु प्रार्थना-पत्र

1. कर्मचारी का नाम.....
2. पद एवं पदस्थापन स्थान.....
3. कर्मचारी का स्थायी पता.....
4. टेलीफोन नम्बर/मोबाईल नम्बर.....
5. कार्मिक का बैंक खाता विवरण :

   1. कार्मिक का बैक खाता संख्या (पासबुक की प्रति) या निरस्त चैक.....
6. अध्ययनरत छात्र/छात्रा का नाम.....
7. छात्र/छात्रा से सम्बन्ध.....
8. छात्र/छात्रा के व्यावसायिक शिक्षा का नाम (✓ करें) मेडिकल/इंजीनियरिंग/मैनेजमेन्ट/बी.एड./एस.टी.सी./नर्सिंग/सी.ए.....
9. पाठ्यक्रम की अवधि.....
10. महाविद्यालय में प्रवेश तिथि.....
11. महाविद्यालय का नाम एवं पता जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत है..... .....(✓ करें) (संस्था राजकीय/अराजकीय/निजी/मान्यता प्राप्त)
12. **व्यावसायिक विषय के लिए भुगतान की गई राशि की मूल रसीदें संलग्न करें:-**

    संलग्न कुल रसीद संख्या.....राशि.....
13. छात्र/छात्रा जिस महाविद्यालय में अध्ययनरत है उस संस्था से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न है : (हां/नहीं)
14. हितकारी निधि का कार्मिक आई.डी.सं. (अंशदान कटौती शिड्यूल/ई.सी.एस. वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 संलग्न करें, 2018-19 से नियमित अंशदाता होना चाहिये)

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उपर दिया गया विवरण बिल्कुल सही है। इन बिन्दुओं में कोई असत्यता पाई जाती है तो हितकारी निधि, शिक्षा विभाग, बीकानेर मेर विरूद्ध जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकेगा वह मुझे स्वीकार्य होगी।

कर्मचारी के हस्ताक्षर

(पद एवं कार्यरत स्थान)

प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा अग्रेषित करवाया जाना आवश्यक है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... पद एवं पदस्थापन स्थान..... जो मेरे अधीन कार्यरत है। इनके पुत्र/पुत्री..... जो (महाविद्यालय) का नाम..... में अध्ययनरत है एवं मेडिकल/इंजीनियरिंग/मैनेजमेन्ट/बीएड/एस.टी.सी./नर्सिंग सत्र..... में प्रवेश लिया है को सहायता हेतु इनका प्रार्थना-पत्र अध्यक्ष हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकनेर को अनुशंषा सहित अग्रेषित किया जाता है।

जिला शिक्षा अधिकारी — संस्था प्रधान के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर मय सील — (मोहर)

.....

अध्ययनरत महाविद्यालय का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री..... पुत्र/पुत्री/श्रीमती..... जो (महाविद्यालय का नाम)..... में अध्ययनरत है। इनके पुत्र/पुत्री इस महाविद्यालय का नियमित छात्र/छात्रा है।

महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्रा विषयक विवरण निम्नानुसार है :-

पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि (समेस्टर सहित)	प्रवेश तिथि	वर्तमान में किस वर्ष में अध्ययनरत है	उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण	विशेष विवरण

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय मोहर

12. नवीन पदस्थापन पर वेतन आहरण निलम्बन/पदस्थापन पर कार्मिकों को निर्देश देने के सम्बन्ध में।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/मा/बजट/बी-4/25577/2020-21/226 दिनांकः 26.11.2020 ● विषय : नवीन पदस्थापन पर वेतन आहरण निलम्बन/पदस्थापन पर कार्मिकों को निर्देश देने के सम्बन्ध में।

विभाग द्वारा निलम्बन/पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखे हुए कार्मिक/अधिकारियों के नवीन पदस्थापन पर वेतन आहरण निलम्बन/पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में अवधि के मुख्यालय स्थान की उपस्थिति /सक्षम स्वीकृति के बिना वेतन आहरण नहीं किया जावे।

इन निर्देशों की कठोरता से पालना की जावे।

● **(बी.एल. सर्वा)** वित्तीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

महात्मा गाँधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय

बदलती शिक्षा : संवरता राजस्थान

❐ हेमलता चांदोलिया

लोकतंत्र का एक सुनहरा और उज्ज्वल पक्ष यह है कि इसमें जन समस्याओं एवं व्यापक जन हितैषी कार्यक्रमों को समझ कर सरकार द्वारा संवेदनशीलता के साथ समसामयिक निर्णय लिए जाते हैं और उन निर्णयों के अनुसार योजनाएँ बनाकर उन्हें अमलीजामा पहनाया जाता है। इनमें भी शिक्षा और स्वास्थ्य सर्वोपरि हैं।

शिक्षा सम्बन्धी एक ऐसे ही संवेदनशील विषय पर राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने गंभीर मंथन कर 2019 में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रदेश के लाखों अभिभावकों की आँखों में आशा और विश्वास की चमक ला दी।

जी, हाँ! प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री श्री गोविंदसिंह डोटासरा की अगुवाई में शिक्षा विभाग ने प्रदेश के लाखों बच्चों के उन सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाएँ हैं जिनके लिए अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा महज एक दिवास्वप्न थी।

अंग्रेजी शिक्षा का नाम आते ही प्रदेश के लाखों गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित तबके के अभिभावक अपनी जेब को देखकर अपनी इच्छाओं, बच्चों के भविष्य की चिंताओं को जमींदोज कर दिया करते रहे थे, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रदेश में केवल गैर सरकारी निजी विद्यालय ही देते रहे हैं जिनकी फीस जमा कराना सामान्य परिवार के वश की बात नहीं है। सामान्य परिवार के लिए असामान्य फीस देना एक अधूरा स्वप्न ही है,जिसके चलते बच्चे और अभिभावक मन मार कर रह जाते थे। फीस ही नहीं, पाठ्यपुस्तकें व स्टेशनरी आदि अन्यान्य व्यवस्थाएँ करना भी बहुत कठिन था।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने शिक्षा के बारे में अपने सार्थक चिंतन में कहा है 'Education is the Beautiful Tree' मेरा मानना है कि इस खूबसूरत वृक्ष की शाखाएँ यदि शिक्षक हैं तो फल-फूल हमारे बच्चे और शासन इस सुंदर वृक्ष का आधार है। वृक्ष को लगाने तथा उसमें खाद-बीज देकर उसे पुष्पित व पल्लवित करने का पावन कार्य शासन का है तथा हर्ष का विषय है कि राजस्थान सरकार इस कर्त्तव्य का सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निर्वहन कर रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर उन्हीं के नाम पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का श्रीगणेश इसका एक उदाहरण है।

राज्य सरकार ने लाखों अभिभावकों की अब तक ना सुनी गई मन की बात को सुना, क्योंकि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की कमान एक ऐसे कर्मठ एवं शिक्षाप्रेमी व्यक्ति के हाथों में है जो शिक्षक परिवार से निकलकर राजनीति के क्षितिज पर उभरे हैं। वे शिक्षा की परंपरागत अवधारणा एवं शिक्षकों की नवाचार करने की क्षमता के साथ ही सामान्य जन की पीड़ा को समझने में सक्षम हैं, वहीं प्रदेश के मुखिया जन सरोकारों के प्रति पूर्ण सचेष्ट एवं संवेदनशील हैं।

यही संवेदनशीलता प्रदेश में शुरू किए गए महात्मा गाँधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। सत्र 2019-20 में प्रायोगिक तौर पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर शुरू किए गए ये विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एवं प्रयोगधर्मिता की मिसाल हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी शिक्षा में जिन 3H (एच) का जिक्र करते थे Head (मस्तिष्क), Hand (हाथ) और Heart (हृदय) इन तीनों का ही मिश्रित रूप है इन विद्यालयों के शिक्षकों के प्रयास।

इन प्रयासों को महसूस किया जा सकता है जयपुर के पहले राजकीय महात्मा गाँधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जो कि मानसरोवर कावेरी पथ पर स्थित है, को देखकर। यहाँ की प्रधानाचार्य एवं विद्यालय के स्टाफ की कर्तव्यपरायणता और स्थानीय समाज के योगदान का मुँह बोलता प्रमाण है- विद्यालय का नवीन भवन, आधारभूत ढांचागत विकास और निरंतर शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने के प्रयास।

राज्य सरकार ने विभाग में कार्यरत शिक्षकों की योग्यता और प्रमाणिकता पर विश्वास कर यह पहल की और आज सरकार की मंशा के अनुरूप शिक्षकों ने यह कर दिखाया। सरकार और शिक्षकों के प्रति जनमानस का विश्वास ही था कि बड़े-बड़े निजी विद्यालयों से विद्यार्थी सरकारी अंग्रेजी स्कूलों की ओर लौटने लगे हैं, वहीं अब तक केवल अंग्रेजी स्कूलों का स्वप्न देखने वाले अभिभावक और बच्चे विद्यालयों के द्वार खुलने पर हर्षित हैं।

गत वर्ष राज्य सरकार ने प्रदेश के 33 जिला मुख्यालयों पर ऐसे विद्यालयों की स्थापना की थी। प्रदेश के सभी शैक्षिक ब्लॉक में इन विद्यालयों को खोलने के संकल्प के तहत शेष विद्यालय इस वर्ष खोले गए हैं। यह बहुत ही सराहनीय कदम है। भले ही कोरोना की भयावहता के बीच इस वर्ष विद्यालय खुलने पर होने वाली चहल पहल नहीं है, मगर अधिकांश स्कूलो में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होकर लगभग 37,000 बच्चों का नामांकन हुआ है। यह बहुत सुखद है। शिक्षा की यह धारा अनवरत प्रवाहित रहे।

महात्मा गाँधी कहा करते थे-If we want to reach real peace in this world, we should start educating children अर्थात सच्चे अर्थों में शांति बच्चों की शिक्षा में निहित है। हाँ, यही मार्ग है शांति का, सद्भाव का, उन्नति का और विश्वास का। इसी मार्ग पर राज्य सरकार के अभिनव और नूतन प्रयास हैं और इन प्रयासों के प्रति शिक्षक वर्ग भी बीज जब खुद को खो देता है तभी नए पौधे का जन्म होता है के भाव से अपना सर्वोत्तम देने की कोशिश कर रहे हैं।

यह विद्यालय बदलती शिक्षा से संवरते राजस्थान की तस्वीर में रंग भर रहे हैं। इन विद्यालयों में राष्ट्रपिता के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के अनुसार बालक-बालिकाओं में नैतिक संस्कारों की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पाठ्यतर सहगामी गतिविधियों का भी सुनियोजित ढंग से आयोजन किया जा रहा है।

अध्यापिका लेवल-2
महात्मा गाँधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय,
मानसरोवर, जयपुर (राज.) **मो. 9829495900**

जीवन यात्रा

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : एक परिचय

❒ डॉ. रणवीर सिंह

"एक बार शिक्षक हमेशा के लिए शिक्षक Once a teacher is always a teacher." इस कथन पर जीवन भर चलकर मास्टर भंवरलाल मेघवाल 16 नवम्बर, 2020 के दिन ब्रह्मलीन हो गए। वे चाहे कितनी व कैसी ही ऊँची हैसियत में रहे हो, अपने भीतर में बैठे शिक्षक को कभी विस्मृत नहीं किया। उन्हें मास्टर शब्द बहुत अच्छा लगता था। समाज और समुदाय में तो मास्टर होते हैं। वे विधायिका एवं प्रदेश के शीर्ष प्रशासन में मास्टर थे।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल का जन्म चूरू जिले के सुजानगढ़ उपखण्ड की शोभासर ग्राम पंचायत के छोटे से गाँव बाथसर पूर्वी में 2 जुलाई, 1948 के दिन हुआ था। पिता श्री चुनाराम जी अत्यन्त सरल एवं परिश्रमी व्यक्ति थे। धर्मपरायण माँ एवं कर्मयोगी पिता के संस्कार सहज ही में दिखाई देते थे। मास्टर जी का विवाह 15 मई, 1965 को हुआ। पत्नी श्रीमती केसर देवी पंचायत समिति की सदस्य हैं। हाल ही में हुए चुनावों में उन्हें निर्विरोध चुना गया। आपके एक पुत्र व दो पुत्रियों ने जन्म लिया। पुत्र मनोज कुमार कारोबार करते हैं।

किशोरावस्था में खेलकूद एवं व्यायाम में रुचि रखने के कारण उनकी राज्य सेवा में शारीरिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति शिक्षा विभाग में हो गई। सुजानगढ़ के विख्यात झँवर स्कूल में आप वर्षों तक शारीरिक शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे। आप अनुशासनप्रिय, कर्त्तव्यपरायण एवं परिश्रमी शिक्षक के रूप में जाने जाते थे। शिक्षक होने के कारण आपका समाज से सीधा जुड़ाव था। विभिन्न सामाजिक कार्यों में आप हिस्सा लेते थे। इस कारण सामाजिक कार्यकर्त्ताओं/समाज सेवकों की एक टीम आपके साथ हो गई। सुजानगढ़ सेठ साहूकारों का कस्बा है। कारोबार के कारण महानगरों में रह रहे सेठ साहूकार यहाँ आते तो मास्टर जी से वार्तालाप करके सार्वजनिक हित के कार्यों में मदद करने की पेशकश करते। इस प्रकार भंवरलाल जी भामाशाहों एवं पीड़ित व्यक्तियों के मध्य सेतु बनकर उभरे। उनका विराट व्यक्तित्व, ओजस्वी वाणी एवं अकाट्य तर्क के साथ वार्तालाप के कारण शीघ्र ही सुजानगढ़ क्षेत्र में वे हर दिल अजीज बन गए।

सुजानगढ़ क्षेत्र के लोगों के आह्वान पर उन्होंने राजनीति में आने का निर्णय लिया। दरअसल यह उनका कम और स्वयं जनता का ज्यादा, जन-मन का हौसला था। इन दिनों और आज भी राज सेवा (Govt. Service) को सबसे सुरक्षित एवं सम्मानजनक काम माना जाता है। पकी-पकाई नौकरी को छोड़कर दूर-दूर और जन-जन की कृपा का मोहताज बनने वाली राजनीति में पदार्पण का निर्णय बहुत कठिन होता है। मगर जनता के परमादेश को स्वीकार कर सार्वजनिक सेवार्थ वर्ष 1977 में सरकारी सेवा से त्यागपत्र देकर राजनीति में कदम रखा। बिना तपे और बिना खपे सफलता नहीं मिलती। ईश्वर परीक्षा लेता है। वे चुनाव हार गए। सेवा रूपी साधना जारी रही। साधना से सिद्धि वाली कहावत सिद्ध हुई। तीन वर्ष पश्चात् 1980 में हुए विधानसभा चुनाव में भारी मतों से विजयी होकर वे विधानसभा में पहुँचे। शिक्षक से विधायक। प्रदेश में सभी शिक्षकों के लिए गर्व की बात थी। सुजानगढ़ उनकी मातृभूमि है। उन्होंने कभी विधानसभा क्षेत्र नहीं बदला। हर बार सुजानगढ़ से ही चुनाव लड़ा। सन् 1980, 90, 98, 2008 एवं 2018 में वे विजयी हुए।

सन् 2008 में चुनाव में 13वीं विधानसभा के लिए विजयी होने के पश्चात् तत्कालीन सरकार में उन्हें शिक्षा मंत्री बनने का गौरव मिला। प्रदेश के छोटे से स्कूल में शिक्षक के रूप में सेवाएँ देकर सार्वजनिक क्षेत्र में आए एवं सामान्य व्यक्ति का शिक्षा का शीर्ष (Apex) शिक्षामंत्री बनना एक गौरवशाली घटना थी। मास्टर से मिनिस्टर! वे अनेक नवाचारों के प्रणेता रहे। शिक्षामंत्री रहते शिक्षकों का समानीकरण, पदों का व्यवस्थितीकरण, अन्य पदों को भरकर प्रभाव मॉनिटरिंग, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा, पाठ्योत्तर सहगामी प्रवृत्तियों का प्रभावी आयोजन हुआ। क्रीड़ा एवं खेलकूद में अनेक प्रतिमान स्थापित हुए। एनसीईआरटी. नई दिल्ली के तत्वावधान में 37वीं जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी का जयपुर में आयोजन हुआ। इंस्पायर अवॉर्ड में राजस्थान ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जिसकी तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने प्रशंसा की और इस अत्यंत महत्त्वपूर्ण अवार्ड को राजस्थान से लाँच किया गया। सभा-समारोह में आपके भावपूर्ण उद्बोधनों में शिक्षा एवं शिक्षक प्रथम स्थान पर रहते थे।

पन्द्रहवीं विधानसभा के लिए 2018 में हुए चुनावों में विजय होने पर वर्तमान मंत्रिमण्डल में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के केबिनेट मंत्री का अहम उत्तरदायित्व दिए जाने पर इस जन कल्याणकारी कार्य को आप पूर्ण निष्ठा और मनोयोग से कर रहे थे। कोविड-19 के प्रारंभिक दौर में अपने विधानसभा क्षेत्र की पीड़ित मानवता की सार संभाल करने में रात-दिन एक कर दिए थे।

एकाएक 13 मई, 2020 की रात में उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें तत्काल राजधानी के साकेत अस्पताल में सवाई मानसिंह अस्पताल में ईलाज करवाया गया। अग्रिम एवं बेहतर चिकित्सा के लिए गुड़गाँव के मेदांता अस्पताल भिजवाया गया, जहाँ ईलाज के दौरान 16 नवम्बर, 2020 के दिन उन्होंने अंतिम साँस ली। आज मास्टर भंवरलाल मेघवाल सशरीर हमारे बीच में नहीं हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री के रूप में उनके योगदान एवं शिक्षा संबंधी विचारों के रूप में वे जिन्दा हैं और सदैव जिंदा रहेंगे। आपके शिक्षा मंत्री रहते हुए आपका स्नेह, सान्निध्य एवं मार्गदर्शन सहायक निदेशक, कोटा संभाग में कार्य करने के दौरान प्राप्त हुआ जो जीवन की थाति बन गई है।

विशेषाधिकारी
शिक्षा शासन सचिवालय, जयपुर
मो: 9414180951

पुस्तक समीक्षा

आँख्याँ है अणमोल

लेखकः **ओम प्रकाश तंवर**; प्रकाशकः **सनातन प्रकाशन, जयपुर**; संस्करणः **2020**; मूल्यः ₹ **128**; पृष्ठ संख्या : **64** ।

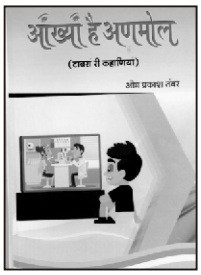

राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षाविद् श्री ओम प्रकाश तँवर अपने जीवन के आठवें दशक में भी निरन्तर लेखन कार्य करते हुए अपने आप को सक्रिय रखते हैं। गत वर्ष इनका राजस्थानी बाल कहानी संग्रह 'मेह बाबो आयो' का प्रकाशन हुआ था जिसकी साहित्य जगत में खूब चर्चा रही। हाल ही में प्रकाशित राजस्थानी बाल कहानी संग्रह 'आंख्यां है अणमोल' बालकों के लिए एक नया उपहार है। आकर्षक चित्रों से सुसज्जित सभी कहानियाँ बालकों के लिए मनोरंजक, ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद हैं।

पुस्तक में कुल 18 कहानियाँ है। सभी कहानियों का कथानक पर्यावरण के घटक पशु-पक्षी, पेड़-पौधे आदि है। लेखक का उद्देश्य कहानियों के माध्यम से बालकों का मनोरंजन करवाने के साथ-साथ उन्हें जीवन मूल्यों की शिक्षा देना है ताकि उनमें अच्छे संस्कार विकसित हों और वे बड़े होकर अच्छे नागरिक बनकर समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके।

पुस्तक की शीर्षक कहानी 'आंख्यां है अणमोल' बालकों के सारे दिन टी.वी. एवं मोबाइल के चिपके रहने से उनकी आँखों को होने वाली बीमारियों के प्रति बालकों और उनके अभिभावकों को चौकस करने वाली कहानी है। जब बालक 'आसू' की माँ को यह पता लगता है कि लगातार टी.वी. देखने से उसके बेटे की आँखें कमजोर हो गयी है तब माँ-बेटे दोनों को अपनी गलती का अहसास होता है।

नानी के घर में ज्यादा सुख-सुविधाएँ होते हुए भी लम्बे समय तक वहाँ नहीं रहना चाहिए। दादी का घर अपना घर होता है। वहाँ अभाव होते हुए भी अपनापन होने के कारण वहाँ पर सुकून मिलता है। इसलिए दादी के घर में ही रहना चाहिए। ऐसा ही संदेश देती है कहानी 'जितू कठै चाल्यौ।' कहानी 'टमरक टूं' में कमेड़ी को किसान बाजरी के पौधे से बाँध देता है। कमेड़ी ने खेत के पास से निकलने वाले ग्वालों से वह हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि उसे बंधन से मुक्त करवाए लेकिन किसी को भी उस पर दया नहीं आती है। आखिर में तरस खाकर कौए मिलकर उसे किसान से छुड़वाते हैं। यह कहानी आपसी सहयोग और संकट के समय में एक-दूसरे की मदद करने की अच्छी सीख देती है।

घर के सदस्यों से अगर किसी बात को लेकर आपस में मनमुटाव हो जाए तो उसे सदा के लिए गाँठ बाँधकर नहीं रखना चाहिए बल्कि उसे भुला देना चाहिए। ऐसी ही बात पढ़ने को मिलती है कहानी 'मटकू ऊंदरौ अर छुटकी ऊंदरी में। छुटकी ऊंदरी जब अपने पति मटकू ऊंदरै से रूठ कर घर से बाहर चली जाती है तो मटकू अपनी समझदारी से उसे मेले के बहाने मनाकर घर ले आता है। दोनों उछलते-कूदते मेले में जाते हैं और वहाँ पर मौज-मस्ती करते हैं।

शिक्षक बालकों को प्रार्थना सभा में शारीरिक स्वच्छता के महत्त्व को बताते हैं तथा रोजाना स्नान करके स्कूल आने, नाखून काटने, साफ कपड़े पहनने आदि पर जोर देते हैं। किन्तु शिक्षक की मौखिक बताई गई बात का बालकों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अगर यही बात 'हाथी क्यूं थमग्यौ' व 'मोरियौ क्यूं नीं नाच्यौ' जैसी कहानियों के माध्यम से कहा जाए तो बालकों पर उसका स्थायी प्रभाव पड़ता है।

कहानी 'छोटू रौ भोळापण' और 'नूंवै साल रौ कलेण्डर' बालकों की अबोधता और भोलेपन को दर्शाता है। ऐसी हलकी-फुलकी कहानियों को पढ़कर बालक बहुत खुश होते हैं। 'भैण-भाई रो रिस्तौ' कहानी में हिरणी शेर के चंगुल में फंस जाती है लेकिन वह अपनी सूझबूझ से अपने आप को शेर के चंगुल से छुड़ा लेती है। यह कहानी बालकों को संकट में नहीं घबराने, अपना आत्मविश्वास नहीं खोने और धैर्य से काम करने की शिक्षा देती है। कहानी 'गळती रौ अैसास' और 'पैलवान काळू बानर' झूठी हेकड़ी नहीं दिखाने, 'अहसान', 'जीव दया' और 'झबरू कुत्तौ' अपने प्राणों को संकट में डालकर भी दूसरों की मदद करने का पाठ पढ़ाती है। कहानी 'बेगौ सोवणौ, बेगौ उठणौ' बालकों को जल्दी सोने और जल्दी उठने, कहानी 'खावौ भरपेट, जूंठौ छोड़ौ नां दाणौ अेक' अन्न का मोल समझने तथा कहानी 'अणसमझ' दुर्घटनाग्रस्त प्राणी को शीघ्रता से अस्पताल पहुँचाने का पाठ पढ़ाती है। महामारी कोरोना के कारण आजकल स्कूलें बन्द हैं। बालकों की ऑनालाइन क्लास लगाई जाती है। ऑनलाइन क्लास से पढ़ाई करने में बालकों को हो रही कठिनाइयों की ओर कहानी 'ऑनलाइन क्लास' शिक्षकों, अभिभावकों और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करती है। इस प्रकार पुस्तक में संग्रहित सभी कहानियाँ बालकों का मनोरंजन करवाने के साथ-साथ उन्हें जीवन मूल्यों की शिक्षा देती हैं। उनमें साहस, सहयोग, दया, मितव्ययिता, स्वामीभक्ति आदि उदात्त गुणों का विकास करती है। बालकों की भाषा में रचित कहानियों के बीच-बीच में गीत और कथानक के अनुरूप आकर्षक चित्रों ने पुस्तक को मनमोहक बना दिया है। केन्द्रीय साहित्य अकादमी, नई दिल्ली में राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल के संयोजक श्री मधु आचार्य 'आशावादी' ने भी पुस्तक के प्रारम्भ में प्राक्कथन में लिखा है कि राजस्थानी बाल साहित्य में यह अनूठी पुस्तक होगी। निश्चित ही तँवर जी की यह पुस्तक बालकों और बाल साहित्यकारों को पसन्द आएगी।

समीक्षकः **डॉ. राजकुमार शर्मा**
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर (राज.)
मो: 8432856101

आस री किरण

लेखकः **रामजीलाल घोड़ेला 'भारती'**; प्रकाशकः **कलासन प्रकाशन, बीकानेर**; संस्करणः **2019**; मूल्यः ₹ **70**; पृष्ठ संख्या : **64**

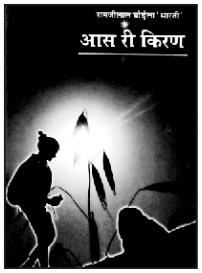

तकनीकी के दौर में आज बाल मन जटिलताओं का शिकार हुआ है। ऐसे में हिन्दी राजस्थानी के सशक्त हस्ताक्षर 'रामजीलाल घोड़ेला 'भारती' अपने बाल कथा संग्रह के माध्यम से एक नई आशा जगाते है। अपने नाम

से ही सार्थक 'आस री किरण' बाल पाठक की हर आशा को पूर्ण करने वाली है इसमें कोई संदेह नहीं है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित राजस्थानी कथा साहित्य की अपने आप में यह एक निराली पुस्तक है। जो कई सितारों को चमकाती सही रास्ते पर लाने व आत्मविश्वास बनाने में उपयोग सिद्ध होगी। इस पुस्तक में '14' बाल कथाएँ दी गई है, जो बहुत ही रोचक व अपने उद्देश्यों को साकार करती प्रतीत होती है। इसकी सभी कथाएँ रोचक व कलात्मक रूप से परिपूर्ण है लेकिन मुहावरे व भाषा की रोचकता को अपने शीर्षक से ही सांगोपांग बनाती 'ओलभो' अपने आप में परिपूर्ण कथा है, उसका अंश-अंगूरों सून मूल्यों को भी हुयग्यो।' 'मनोज री जान निकष्टै ही।' आधारित ज्ञान की कसौटियों पर खरी उतर रही है।

आत्मविश्वास व लगन के उदाहरण के रूप में 'आस री किरण' बाल मनोभावों व उसके विज्ञान को जानने के संदर्भ में एक नई दिशा प्रदान कर रही है। इस सम्पूर्ण पुस्तक में अंधविश्वास पर प्रहार करती 'भूत आळो कुओ' अपने आप में बच्चों में वैज्ञानिकता भी कायम करती है, भय को दूर करने वाली कथा हैं। पाखण्ड में दूर रहना भी बालकथा 'ढोंगी बाबा' सिखाती है। इस पुस्तक में हमारे देश के भविष्य अर्थात् बच्चों को आनंद व ज्ञान देने की विषय वस्तु पर आधारित अनेक कथाएँ हैं, चाहे वो संगति रो असर हो या सोनू री स्याणय आदि। बहुत ही रुचिकर व बच्चों के लिए ज्ञान रूपी संजीवनी का कार्य करती है।

रामजीलाल घोड़ेला माँ भारती के ऐसे सपूत हैं जिन्होंने शिक्षा व प्रेरणा देने के साथ ही बच्चों के बचपन व मन को स्कूली जीवन से नजदीक से हुआ है। उन्होंने यह जाना कि आज के इस चकाचौंध भरे युग में बच्चों के लिए कहानियाँ हितकर होगी।

दया, एकता व समता की शिक्षा देती ये कहानियाँ भाषा शैली की दृष्टि से स्वतः सिद्ध हैं। बाल पाठक इन्हें बहुत ही रुचि के साथ पढ़ेगा व प्रतिस्पर्धा के इस युग में जीवन का वास्तविक अर्थ व महत्त्व समझेगा। इस पुस्तक के भौतिक आवरण की बात करें तो यह अत्यंत ही रोचक व उद्देश्यपूर्ण है। 'आस री किरण' पुस्तक के हर शीर्षक व चित्र रुचिकर व उद्देश्य पूर्ण हैं। इन कहानियों को पढ़ते-पढ़ते पाठक अपने बचपन में जाकर अपने जीवन व जन्म के वास्तविक उद्देश्य को समझेंगे।

समीक्षक : **कालूराम कुम्हार**
वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी)
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गारबदेसर

पीयूष सतसई

लेखक-**ज्ञानप्रकाश 'पीयूष'**; प्रकाशक-**बोधि प्रकाशन, जयपुर**; प्रथम संस्करण-**2020**; मूल्य- **₹150/-**; पृष्ठ-**136 (पेपर बैक)**

'अर्चना के उजाले', ' साथी हैं संवाद मेरे' कविता संग्रह, 'रूप देवगुण की कहानियों में नारी के विभिन्न रूप' 'समीक्षात्मक कृति', राजकुमार निजात की शिक्षाप्रद जीवनोपयोगी सूक्तियाँ' व लघुकथा मंजूषा संपादित कृतियों के बाद 'पीयूष सतसई' ज्ञानप्रकाश 'पीयूष' की छठी पुस्तक है। इन्होंने उक्त पुस्तकों की रचना करके हिंदी साहित्य-जगत में अपना एक विशेष कीर्तिमान स्थापित किया है। कवि और समीक्षक के तौर पर इन्होंने विशेष ख्याति अर्जित की है।

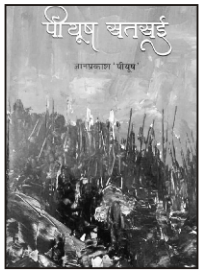

'पीयूष सतसई' इनकी सद्य प्रकाशित कृति है। इसमें सात सौ दोहे संकलित हैं।इनके विषय में स्वयं कवि लिखते हैं- मैंने अपने जीवन काल में जो कुछ भोगा, जीया व साथी-परिजनों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जीवन के सफ़र में जो कुछ भी महसूस किया, वह सब अनुभूति के स्तर पर अनायास प्रस्फुटित हुआ है या अनुभूतियाँ ही आत्मिक-द्वार पर दस्तक देती हुई स्वतः प्रादुर्भूत हुई हैं। निश्चय ही ये 'पीयूष' जी के सात्विक अंतःकरण के अनुभवगम्य उद्गार हैं। इनमें धर्म, नीति, संस्कृति, दर्शन, राजनीति, प्रेम,आत्मविश्वास, ईश्वर के प्रति आस्था, प्रकृति-सौंदर्य, राष्ट्र प्रेम, रिश्तों का महत्त्व, उत्सवों की उपादेयता, नारी अस्मिता, पड़ौसी राष्ट्रों से सम्बन्ध, मानवीय-मूल्य, राष्ट्रभाषा हिंदी का गौरव गान, मानव जीवन से संबंधित समस्याओं का उल्लेख और निदान आदि का अंकन बड़े प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया है।

कवि मानव को ईश्वर का अंश तथा अपना इष्ट मानता है, उसे मानवता के पथ पर चलने का दिव्य सन्देश देता है,निर्मल मन रखने वाले और उत्तम काम करने वाले मानव पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहती है, द्रष्टव्य है कृति से कतिपय दोहे -

मानव मेरा इष्ट है, ईश्वर का है रूप।
उसके ही पुरुषार्थ से, वसुधा दिव्य अनूप।।
मानवता का फर्ज है, युग की भी है मांग।
रहें सभी सद्भाव से, हिंसा को दें त्याग।।
राम नाम के जाप से, सुधरें सारे काज।
मन हर्षित रहता सदा, रहता सुखी समाज।।
ईश्वर की रहती कृपा,उन पर आठों याम।
मन निर्मल जिनका सदा, करते उत्तम काम।।

सतसईकार ज्ञानप्रकाश 'पीयूष' ने मानव सौंदर्य के साथ प्रकृति का मनमोहक चित्रांकन भी किया है। बाह्य सौंदर्य के संग चित्रित आंतरिक सौंदर्य अप्रतिम प्रभावोत्पादक सिद्ध हुआ है। सौंदर्य आकर्षक का केंद्र है। जिधर आँखें और मन बरबस खिंच जाए, उसे सौंदर्य कहते हैं। कवि प्रेम की अतल गहराई व अनुपम सौंदर्य चेतना का अनुभव करता हुआ भी अतृप्त-सा ही रहता है-

मन-मयूर-सा नाचता, यौवन वाले गाँव।
अँजुरी में शोले भरे, मिली न ठण्डी छाँव।।
मन में जगी वासना, तन-मन हुआ बबूल।
हँसती-खिलती ज़िन्दगी, फ़र्ज गई सब भूल।।

अर्थात कवि सौंदर्य उपासक है,किंतु वह मानव को क्षणभंगुर शरीर से लगाव न बढ़ाने का संकेत करता है-

देह और संसार का, अल्प समय का साथ।
ऐसी करनी कर चलें, जगत नवाए माथ।।

कवि शिक्षाविद् होने के नाते अंधकार को चीर कर प्रकाश बिखेरते दीपक की सीख देते हैं। गुरु, विद्या और पुस्तकों की उपादेयता को विविध सन्दर्भों में रेखांकित करते हुए सामने आते हैं -

गुरुवर शब्द-प्रकाश हैं, करें तिमिर का नाश।
सूखे जीवन-बाग में, ला देते मधुमास।।
पुस्तक देती ज्ञान का, उजला नया प्रकाश।
वह जीवन की राह में, भर देती विश्वास।।
विद्या-धन सबसे बड़ा,जीवन जितना मोल।
सब कुछ दे कर पाइए, इसका मोल न तोल।।

कवि हिंदी साहित्य जगत से जुड़े हुए हैं, अतः हिंदी प्रेम की मन-भावन तरंगिनी 'पीयूष सतसई' की लोल-लहरों से आप्लावित करते

हैं। हिंदी को भारतीय संस्कृति की आधार-भूमि के रूप में स्मरण करते हैं-

हिंदी ही आधार है, है संस्कृति का मूल।
इस भाषा के ज्ञान से, खिले राष्ट्र का फूल।।

देशभर में हिंदी की दुर्दशा देख कर सहृदय कवि विह्वल होता है। उसे अंग्रेजी की दासता मंजूर नहीं। वे हिंदी को भारत में ही नहीं अपितु उसे विश्व-पटल पर महत्त्व दिलाने को उत्सुक दिखाई देते हैं।-

अंग्रेजी की दासता, हिंदी से हो दूर।
तम का जैसे नाश हो, दिनकर से भरपूर।।
अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में, इसको मिलता मान।
संयुक्त राष्ट्र संघ में, है इसका सम्मान ।।

'पीयूष सतसई' की बोधगम्य सरल भाषा में भावों की मनमोहक सम्प्रेषणीयता सामने आई है। अभिव्यक्ति की सहजता व स्पष्टता सतसई के लिए वरदान सिद्ध हुई है। तद्भव, तत्सम व देशज शब्दों का मणिकांचन योग भाषा को अनुप्रेरक और भास्वर रूप प्रदान करता है। अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग काव्य सौंदर्य के उत्कर्ष में सहायक है। भाव, भाषा और शिल्प की दृष्टि से बेहतरी 'पीयूष सतसई' कृति दोहा सतसई परम्परा में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। शुभकामनाओं सहित।

समीक्षकः **डॉ.अशोक कुमार मंगलेश**

अध्यक्ष, निर्मला स्मृति साहित्यिक समिति,222, एम.सी.कॉलोनी, वार्ड नं.18, लोहारू रोड, केनरा बैंक के पीछे, चरखी दादरी 127306 (हरियाणा)

मो: 8199929206

समाजदृष्टा साहित्यकार रत्नकुमार सांभरिया भाग 2

संपादक : **डॉ. विवेक शंकर, डॉ. अनिता वर्मा;** प्रकाशकः **दृष्टि प्रकाशन, जयपुर;** प्रकाशन वर्षः 2020; पृष्ठः 288; मूल्यः **₹550/-**

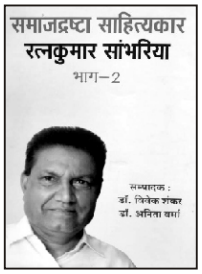

यह कहना शत प्रतिशत सही है कि समाज और साहित्यकार के बीच का अर्न्तसम्बन्ध निश्चित तौर पर अन्योन्याश्रित होता है। साहित्यकार समाज के बीच से ही अनुभूतियों को ग्रहण करता है और फिर अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्हें विविध रूपों में प्रस्तुत करता है। अपनी अनुभूतियों को वह विभिन्न रचना संवादों के माध्यम से पुन: समाज के समक्ष प्रस्तुत होता है और यही उसकी साहित्य की परिघटना भी होती है। निश्चित तौर पर साहित्यकार समाज में घटित विविध घटनाओं, परिवर्तनों को अपनी सूक्ष्म दृष्टि से आत्मसात करता है और फिर उन्हें अपने आत्ममंथन की भट्टी में पका कर भविष्य के परिवर्तनों की तरफ इशारा करते हुए उनका सूक्ष्म विश्लेषण करता है। रचनाकार के आसपास के सामाजिक सरोकार उसे निरंतर स्पंदित करते रहते हैं, जो सृजन की तरफ भी उन्मूख करते हैं। यह कहना भी ग़लत नहीं है कि संवेदना ही सृजन का मूख्य आधार होती है। उनमें से ही रचनाकार स्वत: अनुभूत सत्य का साक्षात्कार करते हुए अपनी अनुभूतियों को शब्दबद्ध करके काग़ज पर उकेरते हुए हर रचना को इस लायक बनाता है कि उससे पाठक का सीधा तादात्म स्थापित हो और वह साधारणीकरण की ओर तीव्रता से बढते हुए पाठक को लम्बे समय तक अपने से बाँधे रख सके। रत्नकुमार सांभरिया सुप्रतिष्ठित रचनाकार हैं जो अपनी रचनाओं के माध्यम से विगत ढाई दशक से पाठकों के बीच में बने हुए हैं। सांभरिया के समस्त रचनाकर्म को ध्यान में रखकर अभी हाल ही में दृष्टि प्रकाशन, जयपुर से महत्त्वपूर्ण पुस्तक आई है जिसका शीर्षक है, 'समाजदृष्टा साहित्यकार : रतनकुमार सांभरिया भाग-2' जिसे सम्पादित किया है डा. विवेक शंकर और डा. अनिता वर्मा ने। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व भी इसी शीर्षक से वर्ष 2013 में भी किताब आई थी। पर यह किताब उसके ही अगले पड़ाव के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित है। इसमें चालीस रचनाकारों के आलेख संग्रहित हैं जो रत्नकुमार सांभरिया की रचनायात्रा का विवेचन करते हैं। सांभरिया की कहानियों पर बात करते हुए डा. माता प्रसाद ने लिखा है, ''कहानियाँ वंचितजन की जिन्दगी की पीड़ा मात्र ही नहीं है, उनको सशक्त और जागरूक भी करती है। इन कहानियों में कथानकों को दृष्टि सम्पन्न बनाया और उदात्तता भी प्रदान की गई। युगीन दमित अस्मिता को उगते सूरज की तेजस्विता की भाँति प्रस्तुत किया है।''

संजय सहाय भी रत्नकुमार सांभरिया की कहानी 'भूभल्या' पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, बड़े ही सूक्ष्य तरीके से पूरे पुलिसिया तंत्र को और उसके बहाने पूरी व्यवस्था पर गंभीर चोट करती कहानी है, जिसका दहशतभरा अंत पाठकों को स्तब्ध छोड़ देता है। एक रेतीला चक्रवात या भूभल्या जो धियानाराम की झोपड़ी उड़ा ले जाता है, दूसरा भूभलया जो हेडकांस्टेबल प्रेमसुख के रूप में उसकी जिन्दगी का ध्वंस करने आता है। रचनाकार ने इस रूपक का बहुत प्रभावकारी इस्तेमाल किया है। सांभरिया के नाटकों पर बात करते हुए प्रो. किशोरी लाल रैगर ने लिखा है, 'वीमा' नाटक व्यापक रूप से चर्चा में है। यह नाटक न केवल नेत्रहीन जमन वर्मा व वीमा की त्रासद् स्थिति को प्रकट करता है अपितु जातिवाद के उस गहरे षड़यंत्र को भी बेनकाब करता है, जिसके कोढ़ से भारतीय समाज सदियों से सड़ान्ध मार रहा है।''

देवर्षि कलानाथ शास्त्री सांभरिया की रचना प्रक्रिया पर बात करते हुए लिखते हैं, ''उनकी कलम की धार में गंवई और पिछड़े तबके के सामान्य जन की पीड़ा और संघर्ष है। मानस के यथार्थ चित्रण के लिए गढ़े हुए काग व्यवहार सी पैनी होती उनकी कलम का अपना ग्रामीण मुहावरा है। लोकोक्तियाँ ठेठ जनसामान्य की अनूठी भाषा से अपनी भावनाएँ अभिव्यक्त करने का अपना मुहावरा बनाती है। यह आंचलिक परिवेश और ज़मीन से जुड़ा मुहावरा कहानियों को अलग पहचान देता है। यह आंचलिकता निचले और वचित तबके के अपने अंदाज और तेवर के संदर्भ में है। गाँव के कृषि मजदूरों या शहर के इमारती मजदूरों की लाचार पत्नियों पर कुदृष्टि रखने वाले भेड़ियों की साहसपूर्वक खबर लेने वाली पीड़िताएँ, ज़मीन से बेदखल करने वाले ज़मीदार से बदला लेने का साहस संजो रहा खेतीहर, जो मजबूरी में शहर में मजदूरी करने आ गया था, गाँव की अच्छी भली हवेली और हरीभरी ज़मीन बेचकर शहरी विलासिता के मोह में शहर में आ बसा ग्रामीण जागीरदार, जो महानगरीय गद्दारियों को देखकर मोहभंग और पश्चाताप की आग में जल उठा है।''

डॉ. अनामिका उनके रचनाकर्म पर टिप्पणी करते हुए लिखती हैं, ''सांभरिया की कहानियों से गुजरते हुए मुझे कुछ ऐसे चरित्र मिले, कुछ ऐसे प्रसंग, बातचीत के कुछ ऐसे नायाब टुकड़े कि मन के अज्ञात कोनों से बरबस ही आवाज़ आई 'यूरेका'! बहुत दिनों से एक

ऐसे दलित लेखक बंधु की तलाश थी, जिसकी विनोद वृत्ति प्रखर हो और भाषा में अमिधा-लक्षणा-व्यंजना तीनों को साध सकता हो, यानी कि एकलव्य जैसा धनुर्धारी भी हो। आसान नहीं होता तीनों तरकशों से तीर चला पाना और उन तीरों से बंजर से बंजर धरती की छाती इस तरह बीध देना कि उसके मर्मस्थल से पानी के सोते फूट पड़े। सांभरिया जी की कहानियाँ पढ़कर मेरी वह तलाश मुकाम पा गई ।'' समीक्ष्य किताब में उमाशंकर सिंह परमार सांभरिया की कहानी यात्रा पर चर्चा करते हुए लिखते हैं, ''इन कहानियों में अतिवाद और फार्मूलावाद का शानदार प्रतित्युत्तर है जो किसी फार्मूले और विमर्श के घटाटोप से मुक्त होकर मानवीय मूल्यों और लोकतन्त्र के संवैधानिक प्रावधानों की पैरोकारी करती है। कहानियों में उनकी वस्तु और गतिप्रवाह में लेखक के अनावश्यक हस्तक्षेप से रहित स्वाभाविक कथात्मक बुनावट के दर्शन होते हैं, जिससे न तो पाठक ऊबता है, न ही कहानी के पाठ में अमूर्तन की संभावनाएँ रह जाती है। लेखकीय नारेबाजी और राजनैतिक दाँव-पेंच रहित ये कहानियाँ यथार्थ के वास्तविक परिदृश्य को कथा का आधार बनाती है ।''

'जाति की फाँक मिटाती कहानियाँ' शीर्षक लेख में डा. प्रमोद मीणा लिखते हैं, ''सांभरिया अपनी कहानियों में सजगता से पात्रों का चयन और चरित्र-चित्रण करते हैं। सदियों से चले आ रहे दलितों के शोषण-उत्पीड़न का वर्णन करते हुए भी वे अपने पात्रों की 'डिग्निटी' के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते। दलित यथार्थ के नाम पर वे दलित पात्रों को गिड़गिड़ाते, समझौता करते, परिस्थितियों से पलायन करते और शोषण को अपनी नियति मान हारते, निराश होते नहीं दिखाते। उनका मानना रहा है कि इस प्रकार के चरित्र-चित्रण से मनुवादी वर्ण-व्यवस्था को ही बल मिलता है। विपरित से विपरित परिस्थितियों में भी उनके पात्र जातिवाद की ऊसर चट्टानों के बीच भी अंकुरित हो अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं और अपने दलित समाज को मनुवादी मकड़जाल से बाहर आने की प्रेरणा देते नज़र आते हैं ।''

समीक्ष्य किताब में सांभरिया जी की कहानियों की विवेचना करते हुए डा. लोकेश कुमार गुप्ता कहते हैं, ''सांभरिया की कहानियों को जातीय प्रतिशोध की कहानियाँ नहीं कहा जा सकता, बल्कि वे व्यक्तिगत विद्वेष की जगह सामाजिक जातीय अहमन्यता को तोड़कर, समरसता रचने की कोशिश में हैं। कहानीकार एक्टिविस्ट की भूमिका में भी हैं । वैसे भी लेखक अंतस् में एक्टिविज़्म अवश्य पालता है। रचनात्मक एक्टिविज़्म। उनका एक्टिविज़्म और विजन सामाजिक असुरक्षा के दायरे से वंचितों को निकाल अभिजात दंभ और दर्प के भावरूपी कोहरे को छाँटने का है। उनका यह भाव कहानी की बुनावट में कोहरे की तरह दंभ और दर्प के वर्चस्व के रूपायन में है। वे प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति करते हुए ऐसे रचते हैं कि जैसे कोहरे ने कोबरे की तरह अपना फन निकला रखा है था। ऐसे ही जब स्तब्ध समाज में अस्तित्वगत जिजीविषा की तलाश करते है जहाँ ढेड़ और भेड़ को जीव माना ही नहीं जाता। इनकी रचनाओं में व्यक्त वह सहभाव है जो वर्ग, जातीय प्रभाव एवं सांस्कृतिक वर्चस्व को प्रदर्शित करता है। डरा और सहमा जीव किससे-किनसे संघर्ष करे और कैसे करे ये सवाल भीतर ही भीतर खदबदाने लगा, जैसे लावा खदबता हैं ।''

डा. अखिलेश कुमार शर्मा, 'साहस की गूँज' में लिखते हैं, ''सांभरिया ज़मीन से जुड़े हुए कथाकार हैं। उनकी कहानियों में आसपास का संघर्षरत परिवेश समय की थाप पर साहस की गूँज के साथ चित्रित होकर जीवंत हो उठा है ।' समीक्ष्य पुस्तक में डा. उमेश कुमार, सांभरिया की कहानियों में हाशिए का यथार्थ तलाशते हुए कहते हैं, ''सांभरिया का साहित्य हाशिए के लोगों की मानवीय संवेदना, उनके सामाजिक-आर्थिक विषमता के पिरवेश का उद्घाटन, यातनाग्रस्त, असहाय और शोषण का भयावह यथार्थ, शोषक एवं प्रभु वर्ग के प्रति संघर्ष और विद्रोह का यथार्थ परक रूप है। उनकी कहानियाँ, नाटकों, एकांकियों, लघुकथाओं और साहित्य सृजन में हाशिये के लोगों की समस्यायें उद्घाटित होती रही है ।''

इस किताब में लगभग 36 पृष्ठों में डा. कमल किशोर गोयनका के 14 पत्रों को भी समाहित किया गया है जिसमें उन्होंने सांभरिया की कहानियों की विवेचना करते हुए लिखा है, ''कहानी धर्म से मुक्ति का सवाल उठाती है। लेखक ने कार्लमाक्स का कथन कि धर्म अफीम है तथा गुरु गोविन्द सिंह के बेटों द्वारा धर्म के लिए मृत्यु वरण के उल्लेख से यह स्पष्ट नहीं है कि लेखक कार्ल मार्क्स का समर्थक है या गुरु गोविन्द सिंह का। यह सत्य है कि धर्म ने मनुष्यता के प्रति बड़े अपराध किए हैं और इसके लिए सभी धर्म दोषी हैं, परन्तु धर्म से मुक्त होना संभव है? धर्म का जो सत्य पक्ष है, वह मनुष्यता का पक्ष है, वह कल्याणकारी है, वह मनुष्य को सदाचारी बनाता है। धर्म में यदि बुराई है तो अच्छाई भी है। तब क्या उसे नष्ट कर दिया जाये या सुधारा जाए? कहानी में ये प्रश्न नहीं उठाए गए हैं ।''

डा. धनंजय चौहाण सांभरिया जी की कहानियों की विवेचना करते हुए कहते हैं, ''उनकी कथा शैली में आधुनिक सृजन बोध और सामाजिक वेदना विश्लेषण का विशिष्ट स्वरूप दिखाई देता है। कथाकार जिन्दगी और समाज के उपेक्षित पात्रों को अपनी कहानियों में स्थान देते हैं। उनकी कहानियाँ तथाकथित देव अथवा प्रभु आश्रय से इतर अभावों से जूझते चरित्रों को सामाजिक रूप से स्थापित होते उपेक्षितों की दास्तान है। मानवीय संवेदनाओं को स्वानुभूति के स्तर पर वंचित समाज की व्यंजना के साथ समाज की आशा, आकांक्षा, अभिलाषा, आवश्यकता और विद्रोह से रूबरू कराती है ।'' जब हम समीक्ष्य पुस्तक का विषद विरेचन करते हैं तो पाते हैं कि इसमें रत्नकुमार सांभरिया के रचनाकर्म को विभिन्न दृष्टिकोणों से परखने की कवायत की गई है। जो वर्तमान साहित्यिक-सांस्कृतिक-सामाजिक परिदृश्य में अत्यावश्यक तो है ही साथ ही इसकी प्रासंगिकता भी है क्योंकि वर्तमान समय सबसे ज़्यादा न केवल खतरनाक है बल्कि भवितव्य को भी लहूलुहान करने वाला है। इस दृष्टि से यह कृति उन अध्येताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी जो सांभरिया जी के रचनाकर्म पर अकादमिक रूप में कार्य कर रहे हैं किन्तु इसके साथ ही यह उनके लिए भी उपयोगी है जो उनकी रचनाओं को लंबे समय से पढ़ते रहे हैं, निश्चित तौर पर यह उन्हें नई दृष्टि प्रदान करेगी।

समीक्षकः **रमेश खत्री**
(संपादक नेट मेगजीन साहित्यदर्शन डाट इन)
53/17,प्रतापनगर, जयपुर 302033
मोः 9414373188

बाल शिविरा

अपनी राजकीय शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा सृजित एवं स्वरचित कविता, गीत, कहानी, बोधकथा एवं चित्रों को इस स्तम्भ में प्रकाशन हेतु नियमित रूप से संस्थाप्रधान/बालसभा प्रभारी भिजवाएं। श्रेष्ठ का चयन करते हुए इस स्तम्भ में प्रकाशन किया जाता है।

-व. संपादक

प्रकृति प्रेम

प्रकृति तेरा रूप निराला है।
अनुपम छटा दिव्य धारा है।
पेड़ों की लहराती हवा, खुशियों का सहारा है।
कलरव करती चिड़िया, माती तेरा शौर्य गान है।
अपनी खुशहाली में, हरियाली तुम महकाती हो।
पड़ों की छावों में मनमंदिर को बहलाती हो।
गौवरयों के झुंड को सविता के, ठंडे पानी में नहलाती हो।
तेरी बहार से शीतल हवा, हम सबको सहलाती हो।
ऐसी नवीन छवि तुम्हारी हो, कुदरत तू ही तेरा कविश्मा है।
तू माँ की ममता पिता का दुलार है।
अदभुत लीला नवीन उभार है।
खुशी के संसार में, मोता खाती बहार है।

नितेश कुमार सिंवाल, कक्षा-11 (विज्ञान)
रा.उ.मा.वि., पालूसर, रतनगढ़, चूरू
मो. 9983546835

बाल मन को रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करने, उनमें सृजन के संस्कार देने हेतु विद्यालय स्तर से ही कविता, कहानी लिखने हेतु उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय अपने विद्यार्थियों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति को 'बाल शिविरा' में प्रकट करने का अवसर दे सकते हैं। हमें विद्यालयों के छोटे-छोटे बाल रचनाकारों की रचनाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है।

-वरिष्ठ संपादक

स्वच्छता के मायने एवं हमारे दायित्व

गंदे रहना ठीक नहीं,
साफ रहो जी साफ रहो।
कमरा घर और गली-मोहल्ला,
कहीं न हो कचरे का हल्ला।
इनसे-उनसे सबसे कहो,
साफ रहो जी साफ रहो।
यदि कहीं हो जरा गंदगी,
हाथ बढ़ा उठाओ गंदगी।
कूड़ा कहीं पड़ा न हो,
साफ रहो जी साफ रहो।

सोहिनी, कक्षा-6
रा.उ.मा.वि., कालाडेरा, जयपुर (राज.)

अपनाओ अच्छी आदतें

होते भोर टहलने जाओ,
सेहत बिगड़ी भी बनाओ।
दाँत न गंदे रहे तुम्हारे,
मोती जैसे चमके न्यारे।
बढ़े हुए नाखून काटना,
हर मौसम में रोज नहाना।
चबा चबा कर खाना खाओ,
तेज-तेज से मत चिल्लाओ।
हरी सब्जियाँ हर दिन खाओ,
उनके खूब विटामिन पाओ।

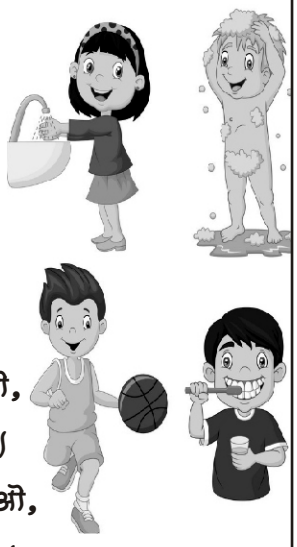

सोहन गुर्जर, कक्षा-5
रा.उ.मा.वि., कालाडेरा, जयपुर (राज.)

शाला प्रांगण से

अपने शाला परिसर में आयोजित समस्त प्रकार की बालोपयोगी एवं शैक्षिक गतिविधियों को पाठकों तक पहुँचाने का विनम्र प्रयास किया जाता है अतः आयोजित कार्यक्रमों का प्रतिवेदन बनाकर **shivira.dse@rajasthan.gov.in** पर भिजवाकर सहयोग करें।

-व. संपादक

भारत स्काउट व गाइड का स्थापना दिवस मनाया

बीकानेर। भारत स्काउट व गाइड का स्थापना दिवस 07 नवम्बर को मनाया जाता है, इसी क्रम में राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड मण्डल मुख्यालय बीकानेर द्वारा मण्डल मुख्यालय पर शनिवार को आयोजित संगोष्ठी में एजीएम पंजाब नेशनल बैंक श्री स्नेह कुमार सिंघल ने कहा कि स्काउट गाइड संस्था समाज सेवा में समर्पित संस्था है और बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास में सहायक है।

मण्डल चीफ कमिश्नर डॉ. विजयशंकर आचार्य ने बताया की स्काउट गाइड संगठन युवाओं के लिए स्वेच्छिक, गैर राजनीतिक शैक्षिक आन्दोलन है जो बिना किसी भेदभाव सभी के लिए खुला है तथा युवाओं को सुनागरिक बनाने का कार्य करता है। आज के दिवस से सहायता राशि भी गुगल फार्म के माध्यम से कार्यकर्ताओं एवं सहयोगियों के माध्यम से राष्ट्रीय मुख्यालय भिजवाई जाएगी। जिसका अंश जिला स्तर से लेकर अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जाता है। जो विभिन्न आपदाओं और स्काउट गाइड गतिविधियों में व्यय किया जाता है।

स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में कोरोना जागरूकता के अन्तर्गत की साइकिल रैली के प्रमाण पत्र भी अतिथियों द्वारा प्रदान किए गए। अतिथियों ने सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएँ प्रेषित की। सहायक राज्य संगठन आयुक्त श्री मानमहेन्द्रसिंह भाटी ने स्काउट गाइड संगठन के इतिहास पर चर्चा करते हुए संगठन के एकीकरण और वर्तमान तक के सफर की जानकारी प्रदान की। बताया की स्काउट गाइड संगठन विश्व का सबसे बड़ा गणवेशधारी संगठन है जो लगभग 216 देशों एवं उपनिवेशों में चलता है।

सी.ओ. स्काउट बीकानेर श्री जसवन्तसिंह राजपुरोहित के अनुसार इस अवसर पर मण्डल मुख्यालय बीकानेर पर रोवर रेंजर ने सौन्दर्यकरण भी किया एवं संगठन के प्रचार प्रसार संबंधित जानकारी के होर्डिंग भी लगाए। संगोष्ठी में स्काउटर श्री रामकृष्ण पन्नीवाल, डॉ. विनोद चौधरी, श्री वल्लभ पुरोहित, गाइडर संतोष रंगा एवं रोवर रेंजर ने सहभागिता की।

ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान का आयोजन

उदयपुर। गोगुंदा ब्लॉक में आयोजित गोगुंदा सायरा ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 2020 में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोगुंदा अंबालाल खटीक की अध्यक्षता में बसेरा के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री जगदीश के मुख्य अतिथि में ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 2020 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोदी की व्याख्याता व गाइड श्रीमती माधुरी त्रिपाठी को उत्कृष्ट शैक्षिक कार्य के लिए ब्लॉक स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्रमाण पत्र शील्ड श्रीमती अपर्णा वसूल द्वारा राजीव गांधी सेवा केंद्र गोगुंदा में सम्मानित किया गया। श्रीमती त्रिपाठी को विगत 5 वर्षों में कक्षा 12 के भूगोल विषय का 100% परीक्षा परिणाम रखने व राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के तहत विद्यालय में राइटिंग प्रवृत्ति का संचालन करते हुए छात्राओं को गतिविधियों में सहभागिता कराने के कारण ब्लॉक स्तर पर उत्कृष्ट शैक्षिक कार्यों के लिए मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम के जन्मदिवस पर शिक्षा विभाग द्वारा सम्मानित किया गया इस कार्यक्रम में एसईबीईओ. श्री प्रकाश जोशी नोडल प्रधानाचार्य रामकेश मीणा व सम्मान प्राप्त करने वाले अध्यापक-अध्यापिका की मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न हुआ।

राउप्रावि. सांसियों का तला में स्टाफ ने लगाया चबूतरा, पंछियों को मिलेगा दाना और पानी

बाड़मेर। 19.10.2020 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सांसियों का तला में सोमवार को सृष्टि संस्थान, बाड़मेर की ओर से प्रधानाध्यापिका गुंजन आचार्य और सृष्टि संस्थान, बाड़मेर के अध्यक्ष व पर्यावरण कार्यकर्ता श्री मुकेश बोहरा अमन की उपस्थिति में गांधी ईको वाटिका में पंछियों के लिए दाना व पानी की व्यवस्था के क्रम में चबुतरा

स्थापित किया गया। विद्यालय में चबुतरा स्थापना पर सृष्टि संस्थान, बाड़मेर अध्यक्ष व पर्यावरण कार्यकर्ता श्री अमन ने कहा कि पंछियों के लिए दाना, पानी और आवास की व्यवस्था करना हमारी संस्कृति और प्रकृति का अंग रहा है। प्रधानाध्यापिका गुंजन आचार्य ने कहा कि विद्यालय में चबुतरा लगाने से पंछियों को प्रतिदिन चुगा देने का अवसर प्राप्त होगा। विद्यालय में चबुतरा लगने से बच्चों में भी जीव-दया व जीओ और जीने दो के भावों व संस्कारों का बीजारोपण होगा। इस अवसर पर सर्वश्री डालूराम सेजू, उषा जैन, मिथलेश चौधरी, शुभम बोथरा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नन्दा सिसोदिया, भरत सिसोदिया, चम्पा सिसोदिया आदि उपस्थित रहे।

विद्यालय में गांधी ईको वाटिका का हुआ लोकार्पण, वाटिका में लगाएं पौधे, बच्चों के लिए लगेंगें झूले

बाड़मेर। 02.10.2020 को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जन्म शताब्दी एवं सादगी के प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती उपलक्ष में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सांसियों का तला में भामाशाह मुकेश कुमार मोहनलाल पारख परिवार के सहयोग से शुक्रवार को एक घर एक पौधा अभियान के प्रेरक व इंडिया अगेंस्ट वॉयलेंस, बाड़मेर के संयोजक मुकेश बोहरा अमन के नेतृत्व में गांधी ईको वाटिका का लोकार्पण सम्पन्न हुआ। इस कड़ी में वाटिका में 10 पौधे लगाएं गए। एक घर एक पौधा अभियान के प्रेरक व इंडिया अगेंस्ट वॉयलेंस, बाड़मेर के संयोजक मुकेश बोहरा अमन ने कहा कि महात्मा गांधी को नए सिरे से पढ़ने और समझने की जरूरत है। गांधी को जानने से अधिक हमें उनके बताएं मार्ग को मानने की जरूरत है। अमन ने कहा कि अहिंसा गांधी का प्राणतत्व है। यही अहिंसा विश्व-शान्ति का बीजमंत्र है। विद्यालय प्रधानाध्यापिका गुंजन आचार्य ने कहा कि भामाशाहों व दानदाताओं के सहयोग की बदौलत विद्यालय में कई सुविधाएं उपलब्ध हो पाई है और शैक्षिक व सह-शैक्षिक नवाचार देखने को मिल रहे है। इस वाटिका में विभिन्न किस्म के पौधे लगाएं जाएँगें और बच्चों के लिए आनंददायी शिक्षण के क्रम में झूले लगाए जाएँगे। श्री डालूराम सेजू ने भामाशाह श्री मुकेश कुमार मोहनलाल पारख परिवार का सहयोग के लिए धन्यवाद व आभार ज्ञापित किया। गाँधी ईको वाटिका के लोकार्पण के दौरान सर्वश्री डालूराम सेजू, उषा जैन, मुकेश सिसोदिया, किशनलाल, देवराज धनदे, कालाराम, भरत कुमार, सुल्तान, हाथी सिसोदिया, देवाराम, सूरज, विक्रम, जोगाराम आदि उपस्थित रहे।

कुंचौली में काढ़ा पैकेट वितरण कार्यक्रम संपन्न

राजसमंद- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंचौली, स्थानीय संघ-कुंभलगढ़ में राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के तहत स्काउट्स ने आयुर्वेद विभाग राजसंमद के सहयोग से कुंचौली ग्राम में जन सामान्य को मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए बांटे सुखे काढ़े के पैकेट। काढ़ा पैकेट वितरण कार्यक्रम की शुरुआत राजीव गाँधी सेवा केंद्र से ग्राम पंचायत कुंचौली की सरपंच निर्मला देवी भील व ग्राम विकास अधिकारी हरीश चंद्र मीणा के सानिध्य में शुरू किया। सरपंच निर्मला देवी ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों को जागरुक करने का कार्य स्काउटर श्री राकेश टांक के सानिध्य में स्काउट्स द्वारा लगातार किया जा रहा है जो कि सराहनीय कार्य है। सहायक लीडर ट्रेनर स्काउट व शारीरिक शिक्षक श्री राकेश टांक ने बताया कि 'नो मास्क-नो एंट्री' अभियान की श्रृंखला में आज कुंचौली ग्राम में राजकीय आयुर्वेद औषधालय के कंपाउंडर श्री गोविंद राम रोत द्वारा उपलब्ध कराए गए मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए सूखे काढ़े के 300 पैकेटों को राज्य सरकार की कोविड-19 गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए गाँव के मुख्य चोराहा, कुम्हारवाडा, नीचे के बस स्टैंड, मुख्य बस स्टैंड व स्कूल परिसर के आसपास स्काउट्स द्वारा वितरित करते हुए काढ़ा बनाने की विधि व उसके सेवन के तरीके को आमजन को बताया गया साथ ही समय-समय पर साबुन से हाथ धोने, भीड़ वाले स्थानों पर अनावश्यक जाने से बचने, घर से बाहर जाते समय नियमित मास्क लगाने और वर्तमान समय में मास्क ही वैक्सीन है बात को स्काउट्स के माध्यम से घर-घर जाकर समझाया गया। इस अवसर पर राजकीय आयुर्वेद औषधालय के कंपाउंडर श्री गोविंद राम रोत (कुंचौली), जयप्रकाश कटारा (कुंभलगढ़), राम भरत मीणा (पीपला), शंकर लाल जैन, शारीरिक शिक्षक राकेश टांक, सहायक स्काउटर दल्लाराम भील, एन वाई के स्वयंसेवक भगवती लाल भील विद्यालय के सोहन लाल रेगर, गिरजा शंकर भील, भगवती लाल आमेटा, पुष्पा शर्मा, गणेश लाल मेघवाल स्काउट्स निलेश प्रजापत, महेंद्र सिंह कुम्भावत, लविश प्रजापत, सुमेश प्रजापत, मनीष प्रजापत, प्रकाश भील, रणजीत भील ने काढ़ा पैकेटों को वितरण करने में सहयोग प्रदान किया।

वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन

झालरापाटन। रा.उ.मा.वि. झालरापाटन में SAVE TREES, SAVE EARTH वृक्षारोपण कार्यक्रम एन.एस.एस. प्रभारी श्री सोमेश सुयन और स्काउट गाइड प्रभारी श्री धर्मेंद्र राठौर के निर्देशन में सम्पन्न हुआ। विद्यालय के प्रत्येक कार्मिक ने एक एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल के जिम्मा लिया। समस्त स्टाफ ने राशि एकत्रित कर सभी पौधों के लिए ट्री गार्ड की व्यवस्था की। इसी अवसर पर हैल्पिंग हैंड्स वेलफेयर सोसायटी की सी.ई.ओ. श्रीमती लीना सोनी और सचिव श्रीमती उज्ज्वला कानोड की और से कोरोना संकट के चलते दो सेनिटाइजर मशीन भेंट की गई। विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती प्रभा सेन ने समस्त स्टाफ़ को ट्री गार्ड की व्यवस्था के लिए और श्रीमती लीना सोनी और उज्ज्वला कानोड को सेनिटाइजर मशीन के लिए आभार व्यक्त किया और आगे भी विद्यालय सुविधाओं में भामाशाह बनकर सहयोग देने का निवेदन किया।

प्रतिभा सम्मान समारोह

बाड़मेर। पुरस्कृत शिक्षक फोरम बाड़मेर एवं लायंस क्लब थार बालोतरा के संयुक्त तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिलाध्यक्ष श्री सालगराम परिहार ने बताया कि प्रतिभा सम्मान समारोह में नीट एवं आईआईटी में वर्ष 2020 में चयनित 9 विद्यार्थियों का शॉल ओढ़ाकर एवं माला पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर फोरम के महासचिव श्री दत्ताराम खारवाल, सी.बी.ई.ओ. पाटोदी के श्री एल.आर. सियाग तथा लायंस क्लब के प्रांत पाल श्री संजय भंडारी सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन होटल दावत बालोतरा में किया गया।

श्री छिंपा राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से पुरस्कृत

हनुमानगढ़– राजकीय माध्यमिक विद्यालय ललाना उत्तरादा, हनुमानगढ़ में वरिष्ठ अध्यापक पद पर सेवारत श्री महेंद्र छिंपा को इस वर्ष राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। श्री महेन्द्र छिंपा मूलतः हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील में भानगढ़ गाँव के निवासी है जो वर्तमान में नोहर (जिला हनुमानगढ़) में निवास करते हैं। आर.पी.एस.सी. 2004 से चयनित होकर अपनी शिक्षण यात्रा प्रारम्भ करने से लेकर आज तक पूरी लगन से कर्त्तव्य निर्वहन करते हुए अपने विषय का लगातार 100% परीक्षा परिणाम देते रहे हैं। इनकी प्रथम नियुक्ति रा.उ.प्रा.वि. गढड़ा (भादरा) में हुई वर्ष 2008 में स्थानांतरित होकर रा.मा.वि. असरजाना (नोहर) में पदस्थमिक हुए, वर्ष 2015 में पदोन्नत होकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानसर में कार्य ग्रहण किया। 2018 में स्थानांतरित होकर राजकीय माध्यमिक विद्यालय ललाना उतरादा में आए जहाँ पर 30 मई 2018 से 30 सितम्बर 2019 तक नव क्रमोन्नत माध्यमिक विद्यालय के संस्थाप्रधान के दायित्व का बखूबी निर्वहन किया। इस दौरान शाला को प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक स्तरानुसार स्थापित करने के लिए अपने स्टाफ साथियों के सहयोग से समर्पित भाव से कार्य किया परिणामस्वरूप विद्यालय के नामांकन में 30% वृद्धि हुई। 15 अक्टूबर, 2020 को आयोजित वर्चुअल शिक्षक सम्मान के उपरांत सीडीईओ. हनुमानगढ़ द्वारा श्री महेंद्र छिंपा को साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। ललाना पहुँचने पर शाला परिवार द्वारा भव्य स्वागत किया गया जिसमें नोहर सरपंच यूनियन अध्यक्ष व गोगाजी मंदिर गोगामेडी के महंत श्री रुपनाथ जी द्वारा सम्मान प्राप्त किया। श्री महेंद्र छिंपा ने अपने पुरस्कार की 10% राशि का अंशदान ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से विद्यालय विकास हेतु किया है। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने स्टाफ साथियों को दिया है, जिन्होंने समर्पित भाव से कार्य करने के लिए इन्हें सहयोग एवं उपयुक्त माहौल प्रदान किया। वर्ष 2005 में हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर श्री टी. रविकांत ने इन्हें गिजुभाई अवार्ड से सम्मानित किया था।

शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित

भीलवाड़ा। पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान जिला इकाई-भीलवाड़ा के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सत्र 2020-21 में राज्य स्तरीय सम्मानित शिक्षकों का सम्मान समारोह दिनांक 8-11-20 रविवार को पुनीत कॉलेज में अतिथियों द्वारा सरस्वती माता को माल्यार्पण एवं द्वीप प्रज्ज्वलन कर प्रारंभ हुआ। जिला महासचिव श्री जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपनिदेशक सेवानिवृत्त एवं राज्य पुरस्कार प्राप्त श्रीमान सुभाष चंद्र जी शर्मा, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्री प्रकाश चंद्र चौधरी, उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा पदमा जी पुरी, राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त प्रधानाचार्य श्री रामेश्वर प्रसाद जीनगर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता फोरम के जिला अध्यक्ष डॉ तेजराज मेवाड़ा द्वारा की गई। मुख्य अतिथियों का दुपट्टा, माला एवं मास्क पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। इस सत्र में राज्य पुरस्कार प्राप्त श्री बसंत कुमार नौलखा, (व्याख्याता) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलिया कला, शाहपुरा। श्री मुकेश कुमावत (शारीरिक शिक्षक) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हलेड, सुवाणा। श्री मुकेश कुमार बलाई (प्रबोधक) राजकीय प्राथमिक विद्यालय बागरिया बस्ती (पालरा) रायपुर को अतिथियों द्वारा शाल, प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो, श्रीफल एवं पुष्प माला पहनाकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि श्री शर्मा ने कहा कि पुरस्कार प्राप्त करने के पश्चात आपकी शिक्षा विभाग एवं समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाती है अतः आप ईमानदारी से जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए छात्रों एवं विद्यालयों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने का प्रयास करें। कार्यक्रम का संयोजन श्री राजेश कुमार ओझा शारीरिक शिक्षक द्वारा किया गया। जिला कोषाध्यक्ष श्री सांवल कुमार ओझा ने कार्यक्रम मे उपस्थित होने पर सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पुरस्कृत शिक्षक सर्वश्री प्रकाश चंद चौधरी, सुभाष चन्द्र शर्मा, डॉ. तेजराज मेवाड़ा, जगदीश चन्द्र शर्मा, सांवल कुमार ओझा, उदय लाल सेन, नरेश कुमार ओझा, राजेश कुमार ओझा, बलवीर सिंह, रघुवीर कुमावत, सूर्यप्रकाश पाराशर, देवीलाल बलाई, जिनेन्द्र कुमार जैन, महावीर प्रसाद जाट सहित अनेक पुरस्कृत शिक्षक उपस्थित थे।

नो मास्क नो एंट्री के साथ दिया बचाव का संदेश

चित्तौड़गढ़– 26.10.2020 पारसोली राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पारसोली के संयुक्त तत्वावधान में नो मास्क नो एंट्री का जनजागरूकता कार्यक्रम रखा गया। प्रधानाचार्य श्री दिनेश चन्द्र डिडवानिया ने बताया कि डॉ. हर्षित शर्मा के मुख्य आतिथ्य एवं पीईईओ. के अधीन सभी स्टाफ के साथ रंगोली कार्यक्रम और मास्क वितरण किया गया डॉ. हर्षित शर्मा ने बताया कि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती है तब तक हमें मास्क का उपयोग कर इस बीमारी से लड़ना है और साथ ही इस कार्यक्रम की भूरी-भूरी प्रशंसा की। प्रधानाध्यापक चित्रा शर्मा, समता रानी भट्ट, राधा शर्मा, कांता चावड़ा और रुबीना बानो ने कोरोना जन जागरूकता के लिए रंगोली बनाकर कोरोना से बचाव का संदेश दिया। इस मौके पर सर्वरी सुन्दर पाल शर्मा, नंदकिशोर धाकड़, स्काउटर अजय सिंह राठौड़, अशोक मीणा, शम्भू लाल कुमावत, रतन लाल रेगर, श्याम सुंदर मुन्दड़ा, सपना जैन, अमृता मीणा, इंद्रा बाहेती, शकुन्तला बैरागी, सुनीता मेघवंशी, अनिकेत मीणा, लोकेश जांगिड़, रतन वेष्णव, जिला समन्वयक एम.ओ.पी. दिव्यांशु कुमावत, रेंजर वंदना स्वर्णकार, सुरभी विश्नोई एवं आमजन उपस्थित थे। मास्क वितरण के भामाशाह सर्वश्री अमृता मीणा, शम्भू लाल कुमावत और इंद्रा बाहेती और वंदना स्वर्णकार थे और लगभग 250 मास्क का वितरण किया गया।

कोरोना जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन

जयपुर–हिन्दुस्तान स्काउटस एण्ड गाइडस राजस्थान राज्य जयपुर के द्वारा कोरोना जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। हिन्दुस्तान स्काउटस एण्ड गाइडस राजस्थान राज्य जयपुर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में चलाए जा रहे कोरोना जागरुकता कार्यक्रम के द्वितीय चरण की शुरआत माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमान् गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में सिविल

लाइन पर उनके निवास स्थान से की गई इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राज्य सचिव श्री नरेन्द्र ओदिच्य रहे।

कार्यक्रम संयोजक सहायक राज्य संगठन आयुक्त जयपुर श्री मनोज त्रिवेदी ने बताया की आज कोरोना जागरूकता के द्वितीय चरण की शुरआत नुक्कड़ नाटक, मानव शृंखला, रंगोली और लोकनृत्य के माध्यम से समाज में कोरोना जागरुकता का संदेश दिया जा रहा है, कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत राज्य संगठन आयुक्त श्री रिपुदमन सिंह, राज्य संगठन आयुक्त श्रीमती श्वेता राज डोडिया, राज्य प्रशिक्षण आयुक्त श्रीमती चित्रलेखा शुक्ला, सहायक राज्य संगठन आयुक्त श्री विशाल सैन आदि द्वारा किया गया।

जिला आर्गेनाइजर स्काउट श्री मुकेश कुमार सैनी व राजेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया की कार्यक्रम में जिले के लगभग 80 रोवर/रेंजर व स्काउट/गाइड शामिल हुऐ जिसमें महात्मा गाँधी रा.वि. अग्रेजी माध्यम मानसरोवर से 30 स्काउट/गाइड श्रीमती संगीता शर्मा गाइड केप्टन व स्काउट मास्टर श्री विनोद शर्मा के नेतृत्व नुक्कड़ नाटक, रंगोली, सरस्वती सी.सै. स्कूल सराय बावडी आमेर के 16 स्काउट गाइड श्री सतीश शर्मा के निर्देशन में रंगोली कार्यक्रम लोकनृत्य, नुक्कड़ नाटक, रामेश्वरम पब्लिक स्कूल लाल चन्द्रपुरा के 13 स्काउट गाइड द्वारा मानव शृंखला, संस्कार पब्लिक स्कूल रामपुरा डाबरी के स्काउट मास्टर श्री दिनेश जी के निर्देशन में मानव शृंखला व जिला आर्गेनाइजर स्काउट जयपुर श्री राजेंद्र सिंह चौधरी के निर्देशन में 22 रोवर/रेंजर ने मानव शृंखला कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कोरोना महामारी के विरुद्ध किए जा रहे जागरूक कार्यों की सराहना की तथा हिन्दुस्तान स्काउट गाइड संगठन को कोरोना जागरुकता के द्वितीय चरण की शुरआत करने के लिए बधाई दी और उत्सावर्धन किया था ही राज्य सचिव श्री नरेन्द्र ओदिच्य ने द्वितीय चरण के दौरान राजस्थान के सभी जिलों में समस्त ब्लॉक स्तर पर जनजागरुकता के कार्य किए जाएँगे साथ ही सरकार के साथ मिलकर कोरोना महामारी के विरुद्ध जनचेतना के कार्य संगठन के सभी सिपाहियों द्वारा किया जाएगा।

हिन्दुस्तान स्काउट के जिलाध्यक्ष श्री राधेश्याम मेहता, जिला उपाध्यक्ष श्री रामगोपाल यादव, जिला उपाध्यक्ष श्री कन्हैया लाल शर्मा के निर्देशन में कार्यक्रम के दौरान आसपास की जनता व स्काउट गाइड को मास्क वितरण किए गए इस कार्यक्रम में सहायक राज्य संगठन आयुक्त गाइड श्रीमती कविता जैण, सहा. राज्य प्रशिक्षण आयुक्त श्री प्रदीप ईशरवाल, सहायक राज्य संगठन आयुक्त उदयपुर श्री प्रदीप मेघवाल, जिला आर्गेनाइजर स्काउट जयपुर श्री रुपेश मीणा, जिला आर्गेनाइजर स्काउट सीकर श्री रमेश कुमार बुनकर, जिला आर्गेनाइजर स्काउट दौसा श्री सोनू शर्मा, ब्लॉक सचिव श्री नानूराम नायक स्काउट लीडर लोकेश शेरावत, रोवर हंसराज जाट जयपुर, रोवर केशव गोठवाल आदि उपस्थित रहे।

दीपावली को 'सार्थक दीपावली' के रूप में मनाया

जोधपुर– राजकीय प्राथमिक विद्यालय मामाजी का थान परिसर में आज प्रधानाध्यापक श्री शौकत अली लोहिया की अध्यक्षता, एस.एम.सी. सदस्यों व गणमान्य ग्रामवासियों की उपस्थिति में विद्यालय बच्चों के साथ बड़े हर्षोल्लास, भाईचारा, कौमी एकता, आपसी सद्भावना व मुहब्बत के साथ कोविड-19 की पालना में विद्यालय परिवार की ओर से रोशनी व दीपोत्सव के पावन पर्व दीपावली को 'सार्थक दीपावली' के रूप में मनाया गया। प्रधानाध्यापक श्री शौकत अली लोहिया ने बताया कि विद्यालय प्रांगण के पास स्थित मामाजी का थान को रंग-बिरंगे दीपक की रोशनी से रोशन किया गया। दीपावली का त्योहार सभी के जीवन में स्वास्थ्य, प्रेम-स्नेह, सुख-समृद्धि, धन-वैभव और सफलता का अपार प्रकाश लेकर आए। संस्थाप्रधान ने इस अवसर पर कहा कि दीपावली त्योहार आपकी सभी मंगलकामनाएँ पूर्ण करें, आप सभी सदा स्वस्थ रहें एवं आपके जीवन मे खुशहाली और सुख समृद्धि बनाए रखें।

श्रीमती बालानिया को मिलेगा टीचिंग एक्सीलेंस अवॉर्ड

बीकानेर– फोर्थ स्क्रीन एजुकेशन व आई ड्रीम लर्निंग ऐप के सहयोग से वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड-2020 के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले विजेताओं में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कीतासर बीदावतान (श्री डूँगरगढ़), बीकानेर में कार्यरत शिक्षिका अनिता बालानिया का इस अवॉर्ड के लिए चयन हुआ

है। देशभर से लगभग 200 फाइनलिस्टों में से ऑनलाइन वोटिंग के आधार पर सर्वाधिक वोट मिलने वाले देश के 21 शिक्षकों को 'टीचिंग एक्सीलेंस अवॉर्ड-2020' से नवाजा जाएगा। फार्थ स्क्रीन एजुकेशन डिजिटल प्लेटफार्म द्वारा शैक्षिक नवाचारों को अपनाते हुए छात्र हितों हेतु कार्य कर रहा है। वहीं आई ड्रीम लर्निंग ऐप एजुकेशन स्कूल के छात्रों तक स्थानीय भाषा में ऐप और टेबलेट के माध्यम से डिजिटल लर्निंग कंटेंट पहुँचाने में कार्यरत है। शिक्षिका अनिता बालानिया विद्यालय के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को यूनिफार्म, शिक्षण नवाचार के साथ विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से सामाजिक बुराइयों पर आर्टिकल लिखना व कोरोना काल में निर्धन परिवारों को राशन वितरण, होम्योपैथी दवाई (कोविड-19) का निःशुल्क वितरण करवाने इत्यादि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया।

संकलन : **प्रकाशन सहायक**

चतुर्दिक समाचार

समाचार पत्रों में कतिपय रोचक समाचार/दृष्टांत समय-समय पर छपते रहते हैं। इन्हें पढ़कर हमें विस्मय तो होता ही है, साथ ही हमारा ज्ञानवर्धन भी होता है। ऐसे समाचार/दृष्टांत चतुर्दिक स्तम्भ के अन्तर्गत प्रकाशित किये जाते हैं। आप भी ऐसे समाचारों का पुनर्लेखन कर संदर्भ एवं पेपर कटिंग के साथ शिविरा में प्रकाशन हेतु हमें भिजवा सकते हैं।

-वरिष्ठ सम्पादक

कबाड़ से बन रहे वैगन, ज्यादा तेज चलेंगे, ज्यादा माल ढोएंगे

जोधपुर– कोरोना के बाद भारतीय रेलवे में न्यू मॉडिफाइड की माँग बढ़ी है। रेलवे में माल लदान के काम आने वाले एनएमजी कोच प्रदेश में पहली बार जोधपुर रेलवे वर्कशॉप में तैयार हो रहे हैं। यहाँ तैयार होने वाले कोच देशभर में दौड़ेंगे। मार्च 2021 तक जोधपुर वर्कशॉप में 40 कोच तैयार करने का लक्ष्य है। जोधपुर वर्कशॉप में कोच तैयार करने का काम शुरू हो गया है। अजमेर रेलवे वर्कशॉप को भी 60 कोच तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। एक कोच में करीब 10 टन माल या छह से आठ चार पहिया और करीब 100 टू व्हीलर ट्रांसपोर्ट किए जा सकते है। पूरे रेक में सैंकड़ों दोपहिया-चार पहिया वाहनों का ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। एक रेक में 24 कोच लगाए जा सकते हैं। न्यू मॉडिफाइउ वैगन पुराने (परंपरागत) वैगनों की तुलना में बेहद सुरक्षित और गतिमान हैं। पुराने वैगन जहाँ अधिकतम 50 से 60 किमी. प्रति घण्टे की रफ्तार से दौड़ती थीं, वहीं नए वाले की चाल 100 किमी. प्रति घंटा है। पुराने वैगन में दो से तीन कारें आ पाती थी, जबकि नए वैगन में छह से 8 कारें समा जाती हैं। अभी तक रेलवे पुराने वैगनों से ही ऑटोमोबाइल्स की ढुलाई करता रहा है। अब जब नए मॉडिफाइड वैगन आ गए हैं तो माल ढुलाई की रफ्तार भी बढ़ गई है।

रेगिस्तान में हवा से बनेगा पानी, नहीं सूखेगा हलक

पालनपुर– रेगिस्तानी इलाकों में पानी की कमी पूरे विकास को रोक रही है। गुजरात के पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती बनासकांठा जिले सुईग्राम के रेगिस्तान में हवा से पानी बनाने का प्राथमिक प्रयोग सफल रहा है। एशिया की सबसे बड़ी बनास दूध डेयरी ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सुईगाम के विशाल रण में सोलर प्लांट की सहायता से हवा से शुद्ध पानी को अलग करने का कार्य जारी है। रण में इस प्रयोग से सफल से उम्मीदों को संजीवनी मिली है। इस प्रयोग से राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी पानी की उम्मीद जगी है। हाल ही में पीएम नरेन्द्र मोदी ने हवा से पानी को अलग करने की बात कही थी। इस बात को ध्यान में रखकर बनास डेयरी ने प्रयोग शुरू किया। प्रोजेक्ट के तहत हवा से शुद्ध पानी को अलग करने का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत सोलर प्लांट की सहायता से हवा में भाप को अलग करके उससे पानी निकाला जा रहा है।

डिस्पोजेबल पेपर कप में रखे गर्म पेय पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक: आइआइटी

नई दिल्ली– भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने हाल में किए गए एक शोध से इस बात की पुष्टि की है कि डिस्पोजेबल पेपर कप में चाय और कॉफी पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि पेपर की सामग्री में सूक्ष्म-प्लास्टिक और अन्य खतरनाक घटकों की उपस्थिति होती है। देश में पहली बार किए गए अपनी तरह के इस शोध में सिविल इंजीनियरिंग विभाग की शोधकर्ता और एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सुधा गोयल तथा पर्यावरण इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन में अध्ययन कर रहे शोधकर्ता वेद प्रकाश रंजन और अनुजा जोसेफ ने बताया कि 15 मिनट के भीतर यह सूक्ष्म प्लास्टिक की परत गर्म पानी या अन्य पेय की प्रतिक्रिया में पिघल जाती है। अध्ययन के अनुसार एक पेपर कप में रखा 100 मिलीलीटर गर्म तरल पदार्थ 25,000 माइक्रोन आकार (10 माइक्रोन से 1000 माइक्रोन) के सूक्ष्म प्लास्टिक के कण छोड़ता है और यह प्रक्रिया कुल 15 मिनट में पूरी हो जाती है।

इसरो का मिशन 'अनलॉक'

हैदराबाद– इसरो ने शनिवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से पीएसएलवी-सी 49 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। लॉकडाउन के बाद पहला मिशन है। रॉकेट के साथ भारत का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट (इओएस-01) व अन्य देशों के 9 सैटेलाइट भेजे गए।

इंसान जैसी आँखों वाला रोबोट

लॉस एंजिल्स– स्थित वॉल्ट डिज्नी कम्पनी कल्पना को जीवन में उतारने में सबसे माहिर है। कंपनी ने इंसानों की तरह बातचीत करने वाले रोबोट को डिजाइन किया है। जो नजरें मिलाकर बात कर सकेगा। वास्तविक इंसानों की तरह व्यवहार करेगा, पलकें झपकाएगा।

बेटियाँ सीखेंगी कलात्मक कार्य

जैसलमेर– जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर बसा कनोई गाँव आने वाले समय में न केवल अनूठे स्कूल भवन के लिए पहचाना जाएगा बल्कि इसमें अध्ययन करने वाली छात्राओं की गणवेश भी अलग व खास तरह की होगी। विख्यात डिजाइनर सुव्यसाची मुखर्जी ने यह गणवेश तैयार की है। गणवेश में सिंध क्षेत्र की प्रसिद्ध अजरख एक विशिष्ठ भारतीय और शक्तिशाली शैली है। यह बालिकाओं की स्थानीय विरासत के महत्त्व के प्रति संवेदनशील बनाने में मददगार साबित होगी। विदित रहे कि कनोई में जैसलमेर के पूर्व राजघराने के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय स्तर के एनजीओ सीआईटीटीए की ओर से विद्यालय (ज्ञान केन्द्र) का निर्माण करवाया जा रहा है। इसमें गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली चार सौ बालिकाएँ बालवाड़ी से दसवीं तक की शिक्षा अर्जित कर सकेंगी। इसमें पुस्तकालय और कम्प्यूटर केन्द्र के साथ आसपास के गाँवों से छात्राओं को लाने के लिए बस सुविधा होगी। विद्यालय तीन खंडों में तैयार किया जा रहा है। एक में विद्यालय दूसरे में कलात्मक कार्य सीखने व करने की वर्कशॉप तथा तीसरे में वहाँ तैयार उत्पादों की गैलेरी तथा विक्रय केन्द्र तैयार होगा।

संकलन : **प्रकाशन सहायक**

नागौर

रा.उ.मा.वि. बरना में प्रजापति परिवार ने अपने स्व. पिताजी श्री गेनाराम प्रजापति की स्मृति में इनकी धर्म पत्नि श्रीमती धायली देवी एवं सुपुत्र सर्व श्री चन्द्राराम, कानाराम, लालाराम, राजूराम व पौत्र दिलीप द्वारा स्थानीय विद्यालय में एक मीठे पानी की प्याऊ का निर्माण व वाटर कूलर भेंट, इसकी लागत 1,71,000 (एक लाख इकहत्तर हजार रुपये)। **रा.बा.उ.मा.वि. छोटी खाटू** को श्री सुरेन्द्र भंडारी से 50 सेट लोहे की टेबल-स्टूल प्राप्त जिसकी लागत 52,500 रुपये, श्री मनसुख सेठिया से 25 सेट लोहे की टेबल-स्टूल प्राप्त जिसकी लागत 26,250 रुपये, श्री महेश कुमार सेठिया से 13 सेट लोहे की टेबल-स्टूल प्राप्त जिसकी लागत 13,650 रुपये, श्री बच्छराज बेताला से 13 सेट लोहे की टेबल-स्टूल प्राप्त जिसकी लागत 13,650 रुपये, श्री ओम प्रकाश सोनी से 20 छत पंखा प्राप्त जिसकी लागत 29,000 रुपये। **रा.उ.मा.वि. डांगावास** में श्री खेमराज बिदावत द्वारा एक कमरे का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत 1,11,000 (एक लाख ग्यारह हजार) रुपये, श्री मनीष सोलंकी द्वारा माँ सरस्वती के मंदिर का निर्माण करवाया व प्राण प्रतिष्ठा विद्यालय परिसर में करवाई गई जिसकी लागत 1,00,000 रुपये।

जालोर

रा.उ.मा.वि. बिशनगढ़, पं.स. सायला को H.P.C.L. कम्पनी ने सीआरसी फण्ड से विद्यार्थियों के लिए 100 टेबल-स्टूल सेट व एक कम्प्यूटर मय थ्री इन वन प्रिन्टर भेंट जिसकी लागत 1,50,000 रुपये, श्री रणछोडाराम चौधरी ने विद्यार्थियों के लिए 50 टेबल स्टूल सैट विद्यालय को भेंट जिसकी लागत 65,000 रुपये, श्री सुराराम चौधरी द्वारा शिक्षकों के लिए एक लॉकर व तीन लोहे की आलमारी विद्यालय को भेंट जिसकी लागत 45,000 रुपये।

भामाशाहों के अवदान का वर्णन प्रतिमाह इस कॉलम में कर पाठकों तक पहुँचाने का विनम्र प्रयास किया जाता है। आइये, आप भी इसमें सहभागी बनें। **-व. संपादक**

भीलवाड़ा

रा.उ.मा.वि. डाबला चॉदा तह.-शाहपुरा को श्री कालूराम मीणा (वरि. अ. हिन्दी) ने अपनी पदोन्नति होने पर विद्यालय को एक कलर प्रिंटर भेंट जिसकी लागत 10,000 रुपये, श्री जगदीश चन्द शर्मा (अध्यापक लेवल-2) अपनी स्वेच्छिक सेवानिवृति पर एक डेस्कटॉप कम्प्यूटर एवं एक प्रिंटर सप्रेम भेंट जिसकी लागत 32,000 रुपये, श्री भगवान सिंह कानावत (प्रधानाचार्य) अपनी सेवानिवृति पर 12 खंड वाली आलमारी विद्यालय को भेंट जिसकी लागत 16,000 रुपये।

हमारे भामाशाह

डूंगरपुर

रा.बा.मा.वि., पूँजपुर पं.स. आसपुर के स्थानीय विद्यालय के स्टॉफ द्वारा विद्यालय विकास हेतु 50 सेट स्टूल-टेबल भेंट किए गए, जिसमें निम्न अध्यापकों व अध्यापिकाओं का सहयोग रहा-श्रीमती मीनाक्षी शर्मा (व.अ.) से 11,000 रुपये, श्री गौतम लाल प्रजापत से 7,000 रुपये, सर्व श्री हितेष शाह (व.अ.), गजेन्द्र जोशी (शा.शि.), भवानी शंकर (च.श्रे.क.) से प्रत्येक से 5000-5000 रुपये प्राप्त, सर्व श्रीमती सुषमा जैन (व.अ.), गीता अहारी (अ.), जया सेवक (व.अ.), पूनम निमोरिया (व.अ.), पुष्पलता भट्ट (अ.), गायत्री भाटीया (अ.) गीता मीणा (अ.) प्रत्येक से 5000-5000 रुपये प्राप्त।

चूरू

राजकीय माध्यमिक विद्यालय धानी मोजी, ब्लॉक राजगढ़ को श्री जसवन्त सिंह (सेवानिवृत्त प्र.अ.) द्वारा 1,60,000 रुपये, विद्यालय विकास हेतु दान दिया। **रा.सी.सै.वि. तारानगर** को श्री देवकरण सिंह (प्रधानाचार्य) द्वारा 51,000 रुपये विद्यालय विकास हेतु सहयोग दिया।

बाँसवाड़ा

रा.सी.सै. वि. मोती बस्सी को श्री गणेश लाल उपाध्याय (व्याख्याता) द्वारा 51,000 रुपये विद्यालय विकास हेतु दान दिया।

अजमेर

सावित्री रा.बा.उ.मा.वि. अजमेर में श्रीमती अनिता अग्रवाल वरिष्ठ सहायक द्वारा सरस्वती की प्रतिमा की स्थापना की जिसकी लागत 10,000 रुपये, विद्यालय स्टाफ द्वारा 15,000 रुपये भेंट, श्रीमती उर्मिला जैन (व्याख्याता) से 11,000 रुपये प्राप्त, श्रीमती प्रेमलता डेविड से 11,000 रुपये प्राप्त, श्रीमती हरदेवी सतवानी से 5,000 रुपये प्राप्त, श्रीमती इन्दुरानी टॉक से 2,100 रुपये प्राप्त, इनर व्हील क्लब अजमेर की अध्यक्ष श्रीमती रेण बंसल ने क्लब की ओर से छात्राओं की फीस हेतु 13,000 रुपये का चेक भेंट, श्री गौरव उपाध्याय इंजीनियर (स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट) ने 1,000 रुपये की राशि बोर्ड फीस हेतु भेंट।

संकलन : **प्रकाशन सहायक**

सूचना

- **'शिविरा' मासिक पत्रिका में रचना भेजने वाले अपनी रचना के साथ व्यक्तिगत परिचय यथा- नाम, पता, मोबाइल नंबर, बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या, आईएफएससी. नंबर एवं बैंक डायरी के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट छायाप्रति अवश्य संलग्न करके भिजवाएँ।**
- **कुछ रचनाकार एकाधिक रचनाएँ एक साथ भेजने पर एक रचना के साथ ही उक्त सूचनाएँ संलग्न कर दायित्वपूर्ति समझ लेते हैं। अतः अपनी प्रत्येक रचना के साथ अलग से पृष्ठ लगाकर प्रपत्रानुसार अपना विवरण अवश्य भेजें। इसके अभाव में रचना के छपने एवं उसके मानदेय भुगतान में असुविधा होती है।**

-वरिष्ठ संपादक

शिविरा पत्रिका (मासिक) : दिसम्बर, 2020 / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित तथा हरिहर प्रिण्टर्स, जे-97, अशोक चौक, आदर्श नगर, जयपुर-302 004 फोन : 0141-2600850 से मुद्रित। वरिष्ठ सम्पादकः अनिल कुमार अग्रवाल, प्रकाशन हेतु सामग्री चयन के लिए उत्तरदायी।

बालशिविरा

निहारिका जांदू, कक्षा–VI A
महारानी किशोरी देवी बालिका विद्यालय, बीकानेर

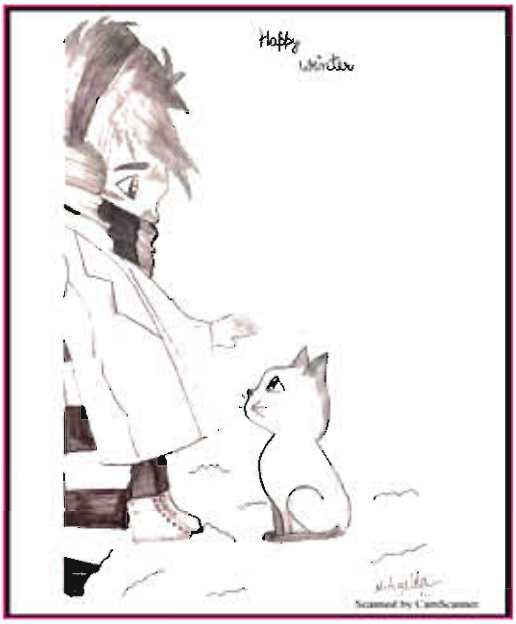

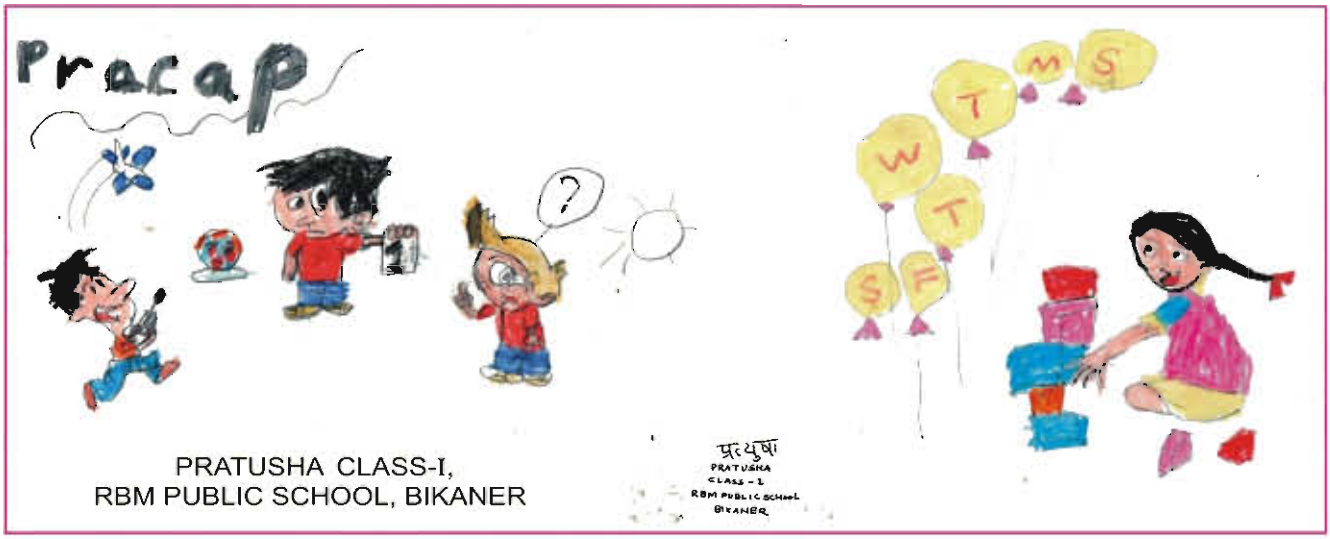

PRATUSHA CLASS-I,
RBM PUBLIC SCHOOL, BIKANER

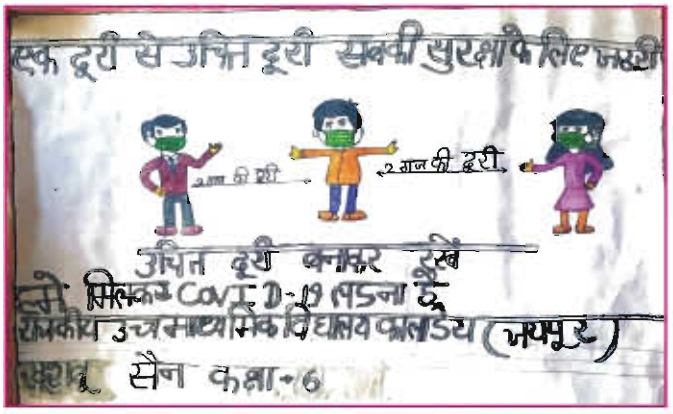

खूशबू सैन, कक्षा–VI एवं कनिका योगी, कक्षा–X
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालाडेरा, जयपुर

डाक पंजीयन संख्या : जयपुर सिटी/430/2020-22 शिविरा पत्रिका (मासिक) • दिसम्बर, 2020 समाचार पत्र पंजीयन संख्या 10350/66
प्रकाशन तिथि : 2 दिसम्बर, 2020 पृष्ठ 52 • प्रेषण : माह की 5-6 तारीख

चित्रवीथिका : दिसम्बर, 2020

शिक्षा निदेशालय, बीकानेर परिसर में कोविड-19 से बचाव हेतु शपथ लेते कार्मिक एवं अधिकारीगण

राउप्रावि. कोडिया, रैणी में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि क्षैत्रिय विधायक श्री जौहरीलाल मीणा एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थी एवं अन्य अतिथिगण।

राउमावि. मामाजी का थान, जोधपुर में इस बार दीपावली को सार्थक दीपावली के तहत शाला में रंगौली बनाकर सायं को विद्यार्थियों एवं शाला परिवार दीप प्रज्जवलित करते हुए।

राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड डूंगरपुर द्वारा नो मास्क नो एन्ट्री कार्यक्रम के तहत स्थानीय बाजारों एवं चौराहों पर पोस्टर एवं स्टीकर लगाकर जागरूक करते हुए स्काउटर एवं अधिकारीगण।

राउमावि. पारसोली, बेंगू चित्तौड़गढ़ एवं राजस्थान भारत स्काउट गाईड के संयुक्त आयोजन के तहत चौराहों पर बनाई गई रंगोली एवं पोस्टर का विमोचन करते हुए स्काउटर एवं अधिकारीगण।